खण्ड-434, अंक-9
बुधवार, 13 वैशाख, शक संवत् 1922
(3 मई, 2000 ई0)

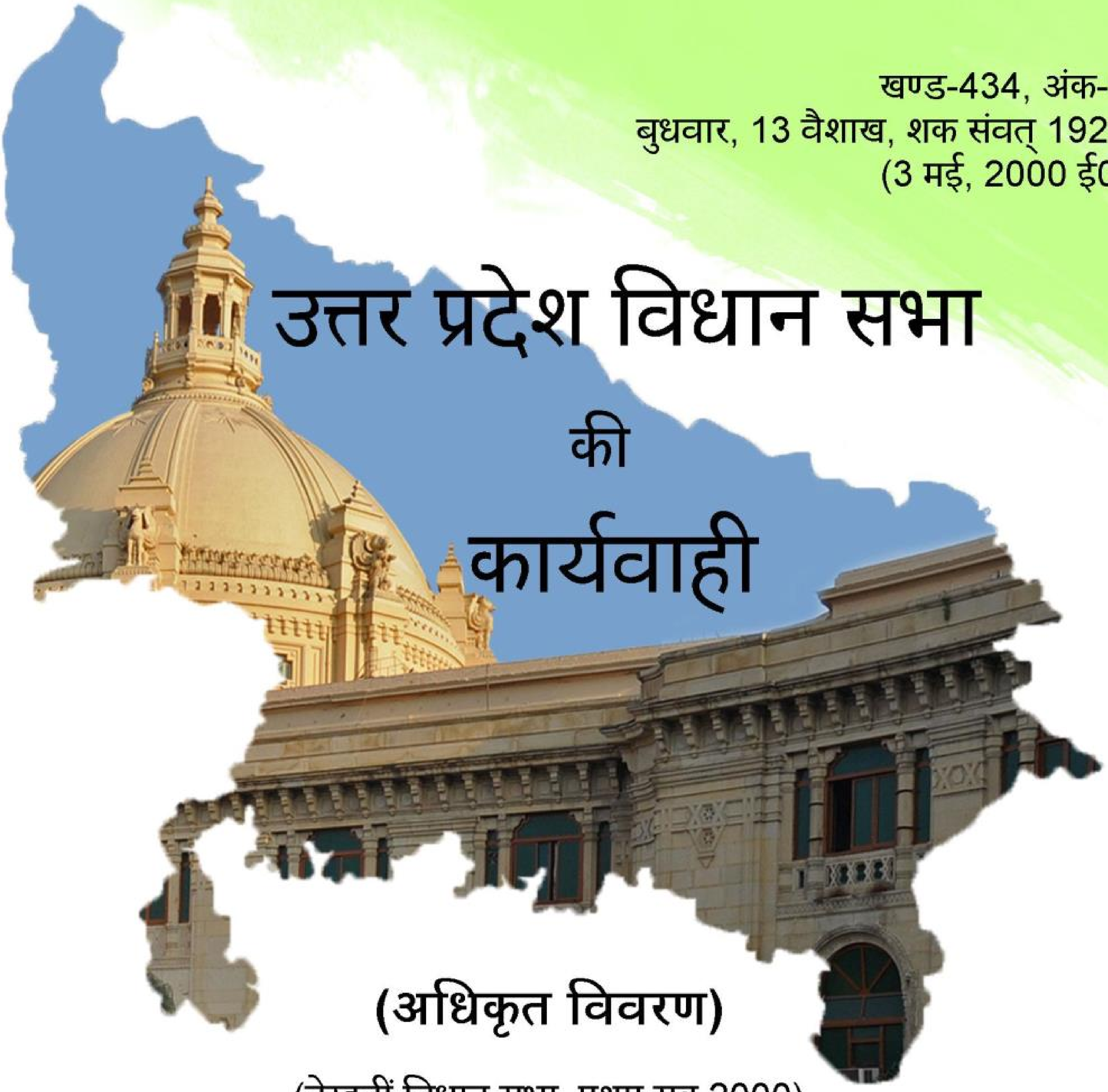

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला कस्बे में एक ही रात में सात व्यक्तियों की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	1–2
श्नोत्तर	2–80
जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला कस्बे में एक ही रात में सात व्यक्तियों की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	80–105
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	105
कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फैजाबाद में हुई समूह "ग" की परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित करने तथा नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद चित्रकूट के ग्राम रमौली में चकबन्दी कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद बाराबंकी में पंचायत चुनाव कराने हेतु वोटर लिस्टों में की गयी गड़बड़ियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106–107
जनपद जौनपुर के गरिया नाले पर बने पुल से टोल टैक्स समाप्त करने तथा बेलाव घाट पर पीपा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद बांदा के घोषित पर्यटन स्थल कालिन्जर में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	107–108
जनपद चन्दौली के थानापुर स्थित विद्युत उपकेन्द्र में अतिरिक्त 5 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
जनपद जालौन के थाना चुर्खी के थानाध्यक्ष द्वारा धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	108–109
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	109
जनपद संत रविदासनगर, भदोही में सुरियावां के पश्चिमी क्षेत्र दुर्गागंज को क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) घोषित किये जाने विषयक श्री राम बहादुर सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गयी) ...	109
जनपद मथुरा के कस्बा राधाकुण्ड में वोल्टेज को सुव्यवस्थित करने हेतु एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र कुमार गोस्वामी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गयी) ...	110

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा स्थित मंडी समिति के चौराहे पर एक पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने विषयक श्री पृथ्वीराज कुमार पोइया आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका....(उपस्थित की गयी)	110
श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर के जखनियां तहसील में मघई नदी पर चौजा सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भृगुनाथ राम आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का स्थगन	110
श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम कटघरा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री त्रिभुवन सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का स्थगन	110
जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत दीघ ब्लाक के सेमराधनाथ में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	110
जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम रमईपुर में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमशंकर पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	110–111
विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी	111
"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्यसभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय" के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	111
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ (पारित).. ...	111–113
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिए मांग पर मतदान अनुदान संख्या–01-आबकारी विभाग (स्वीकृत)	113–114
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिए मांग पर मतदान अनुदान संख्या–14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	114
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन	114
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	115–116

विषय	पृष्ठ-संख्या
हरिद्वार नगर में सप्त सरोवर मार्ग पर शिवानन्द आश्रम, तुलसी मानस मन्दिर के समीप सीवर का गन्दा जल गंगा नदी में जाने से गंगा प्रदूषण एवं यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	116–117
जनपद बिजनौर में जैन पेपर मिल, मोहित मिल से निकले केमिकल युक्त गन्दे पानी से उत्पन्न प्रदूषण से जनजीवन पर होने वाले कुप्रभावों के सम्बन्ध में स्वामी ओइमूवेश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	117–118
चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज, मण्डी श्यामनगर, जनपद गौतमबुद्ध नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य का स्थगन ..	118
प्रदेश में समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पन्न हुयी 'होम्योपैथिक भेषिजक' की परीक्षा को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	119
नाबार्ड द्वारा आवंटित पूर्ण धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त न कर पाने से आर० आई० डी० एफ० योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले विकास कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	119
सम्पूर्ण प्रदेश में कई-कई हत्याओं के आरोपियों तथा सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा दाखिल आरोप पत्रों के मुकदमों की वापसी के कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, न्याय मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	119
सेण्ट जान कानवेन्ट हास्टल ट्रिनिसिरपुर, बिजनौर तथा मथुरा में एंग्लो इण्डियन स्कूल में अराजक तत्वों द्वारा हमला कर ननों तथा कर्मचारियों को मारे-पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पीटर फैन्थम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	119–121
जनपद संत रविदासनगर के नगर पंचायत नई बाजार में फेयर बस स्टाप न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	122
जनपद संत रविदासनगर, भदोही के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के गोपीगंज नगर में सीवर लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	122–123

विषय	पृष्ठ-संख्या
महाराज सिंह इण्टर कालेज, बहराइच के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री अली हुसैन को पेन्शन प्रपत्र न मिलने से पेन्शन के भुगतान में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ...	123
जनपद गोण्डा के दक्षिण वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत वनाधिकारियों की मिली भगत से अवैध लकड़ी कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामविशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	123–125
क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम द्वारा मनमाने ढंग से लखनऊ महानगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित बसों का मार्ग परिवर्तन किये जाने तथा लखनऊ शहर में व लखनऊ से अन्य स्थानों को अवैध रूप से चलायी जा रही जीपों, टाटा सूमों तथा डग्गामार बसों से परिवहन निगम को हो रही क्षति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	125
नत्थी	126–127

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 3 मई, 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
अनिल कुमार, श्री	बलिया	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राम नक्षत्र, श्री	पडरौना
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	राम नरेश रावत, श्री	गांजियाबाद
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद	वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा०	बिजनौर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		शिव गणेश लोधी, एडवोकेट, श्री	रायबरेली
पप्पू भइय्या, श्री	गोरखपुर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर	सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून	सुशील शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
मुश्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर	हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिधान सभा
३८ पटेश्वर

बुधवार, 3 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला कस्बे में एक ही रात में सात व्यक्तियों की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता विरोधी दल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कौकब हमीद, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव तथा श्री राम जग सहित विपक्ष के अधिकांश सदस्य टूण्डला में हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गयी है.....

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

इससे ज्यादा जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता है ।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें । कुछ नहीं लिखा जा रहा है । कृपया आप लोग शान्त रहें । जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं उस घटना पर नियम–311 में भी और नियम–56 में भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं मैंने उसको नियम–56 में ले लिया है । जो कल की नियम–56 की सूचनाएं आज ले रहे हैं उसमें पहले पहली सूचना नियम–56 में इसको ले लिया जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, घटना बहुत गम्भीर है । इससे ज्यादा जघन्य अपराध पुलिस द्वारा और कोई नहीं हो सकता है । 4-4 अनुसूचित जाति के लोग जो मजदूर हैं, उनकी निर्मम हत्या हो जाय ।

(कई सदस्यों के जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

पुलिस ने सारी मानवता को समाप्त कर दिया है । पुलिस के लोग जान बूझकर शातिर अपराधियों को पकड़ नहीं पाते हैं और निर्दोष लोगों को पकड़कर मरवा रहे हैं । डकैती पड़ी टूण्डला में और चार पल्लेदारों को मार दिया गया ।

*संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं एक सूचना देना चाहता हूं । आप सुन लें आपको सुविधा रहेगी बोलने के लिये । इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह सचिव, डी० जी० पी० को मौके पर भेजा है वे सारे तथ्य एकत्रित कर रहे हैं । आज सदन उठने से पहले सरकार स्वयं वक्तव्य लेकर आयेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

शासन की जानकारी आ जाय तो यह ज्यादा उपयुक्त होगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, सारे तथ्य आ जाने चाहिए । हम लोगों के पास सारे तथ्य हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस व्यवधान में तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है । आप लोग कृपया शान्त रहें । मेरा अनुरोध यह है कि घटना की गम्भीरता को देखते हुए अनेक माननीय सदस्य अपनी बात इस सदन में कहना चाहेंगे और कहना भी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है । जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि गृह सचिव और उच्च अधिकारी वहां भेजे हैं । शासन की भी जानकारी आ जायेगी सदन के समक्ष तो विचार विमर्श ज्यादा सार्थक होगा । इसमें कौन सी दिशा मिलती है यह विचार विमर्श के द्वारा प्राप्त हो जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

हमारे दो-दो विधायक भी गये थे । सारे तथ्य हम लोगों के पास हैं । सदन के माध्यम से जनता तक पहुंच जाने चाहिए । सरकार किस तरह के तथ्य देगी सत्य या असत्य उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिये स्थगित कर देता हूं । माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि मेरे कक्ष में आ जायं और हम इस पर बात कर लें ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

सरकार कोई समाधान नहीं कर पा रही है, 24 घंटे हो गये हैं, इतनी गम्भीर घटना है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 11.30 तक स्थगित कर रहा हूं ।

(श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

(11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पूर्ण मद्य निषेध लागू किये जाने की जानकारी

**1.—श्री राम औतार शाक्य–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पूर्ण मद्य-निषेध लागू किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पूर्ण मद्य निषेध लागू करना व्यवहारिक एवं राजस्व हित में नहीं है ।

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को पूर्व की भांति सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान सुविधा अनुमन्य कराये जाने की मांग

*2–श्री राम पाल वर्मा तथा श्री सीताराम निषाद–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को पूर्व से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड व समयमान वेतनमान की वित्तीय सुविधा को शासनादेश संख्या पद मापदण्ड निर्धारण–356/ दस–22 (एम)/87. दिनांक 23-12-1997 के पैरा–4 द्वारा स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार राज्य कर्मचारियों को पुनः सेलेक्शन ग्रेड व समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

जी हां ।

दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू कर दिये गये हैं । पुनरीक्षित वेतनमानों में समयमान वेतनमान की सुविधा का प्रकरण वेतन समिति को संदर्भित था । अतः इस विषय पर वेतन समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने एवं उस पर शासन का निर्णय होने तक दिनांक 1-1-1996 के बाद सेलेक्शन ग्रेड व समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को स्थगित करने का निर्णय लिया गया । समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं जिस पर शीघ्र ही शासन का निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज के छात्रों की मांगों पर सरकार द्वारा निर्णय की जानकारी

*1—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी कालेज के छात्र अपनी मांगों के संदर्भ में विधान सभा के सामने विगत 20 दिनों से क्रमिक अनशन एवं धरने पर बैठे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज के छात्र अपनी मांगों के संदर्भ में विगत दिनांक 23-11-1999 से माह जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह तक क्रमिक अनशन एवं धरने पर बैठे थे ।

जी हां, छात्रों की ग्यारह मांगों में से तीन मांगों को मान लिया गया है, शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राजकीय अस्पतालों के डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने सम्बन्धी जानकारी

*2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

राजकीय अस्पतालों में कार्यरत डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी नियमावली "द उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट डाक्टर्स (एलोपैथिक) रिस्ट्रिक्शन आन प्राइवेट प्रैक्टिस (एलोपैथिक) रूल्स, 1983" पूर्व से प्रभावी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की स्वास्थ्य नीति तथा चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

*3—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की स्वास्थ्य नीति क्या है ? क्या जनपदीय चिकित्सालयों में सामान्य जनता के लिये पट्टी, रुई, साधारण एवं जीवन रक्षक दवायें, स्प्रिट, आई० पी० डिप सेट, सूईयां पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नीति है ।

जनपदीय चिकित्सालयों में सामान्य जनता के लिये बहुत कम शुल्क पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं । निर्धन एवं निराश्रित वर्ग एवं जनरल वार्ड में भर्ती रोगियों के लिये चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नहरों की सफाई समय सारिणी के अनुसार कराने की मांग

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों की सफाई की कोई समय सारिणी निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या उक्त समय सारिणी के अनुसार नहरों की सफाई सुनिश्चित की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

आवश्यकतानुसार नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य खरीफ फसल के बाद एवं रबी की सिंचाई के पूर्व सामान्यतः अक्टूबर से दिसम्बर माह के मध्य किया जाता है । किन्तु निश्चित समय सारिणी निर्धारित नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री राम औतार शाक्य–

19वें गुरुवार में ता० प्र० सं०–1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

*3–श्री राजधारी–

मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया ।

प्रदेश में गौड़ (कहार) राजभर जाति को अनुसूचित जाति सूची में सम्मिलित करने की मांग

*4–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश में गौड़ (कहार) समाज तथा राजभर (भर) समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़कर उन्हें उसी प्रकार की सभी सुविधायें देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी में लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

भर/राजभर जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया जो भारत सरकार के विचाराधीन है ।

किसी जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने का अधिकार राज्य सरकार में निहित न होकर भारत सरकार (संसद) में निहित है ।

प्रदेश में चीनी निगम की बन्द चीनी मिलों का नवीनीकरण/पुनः चालू किये जाने की मांग

*5–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी निगम की घाटे में चलने वाली कितनी चीनी मिलें पिछले दो वर्ष में बन्द की जा चुकी हैं ? क्या सरकार जनहित में घाटे में चलने वाली चीनी मिलों का नवीनीकरण कराकर उन्हें चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

राज्य चीनी निगम की अत्यन्त घाटे की 5 चीनी मिलें–बाराबंकी, बरेली, महोली, नवाबगंज, नन्दगंज को सत्र 1998-99 से शासनादेश सं०–3371 एस सी/18-2-98, दिनांक 8-9-98 द्वारा बन्द किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था तथा इसी क्रम में घाटे की 6 चीनी मिलें यथा रामपुर, मुण्डेरवा, घुघुली, छितौनी, मेरठ एवं हरदोई को शासनादेश सं० 2915 एससी/18-2-99, दिनांक 12-11-99 द्वारा सत्र 1999-2000 से बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

निगम की मिलों के नवीनीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । इन सभी चीनी मिलों में अत्यधिक घाटे की स्थिति है और इन सब की पेराई क्षमता भी कम है । यह सभी चीनी मिलें काफी पुरानी हैं । इनको आधुनिकीकरण करने के लिए निगम तथा शासन के पास न तो संसाधन ही हैं और न ही इनका आधुनिकीकरण व्यावहारिक है ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति करने की मांग

*6–कुं० रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत कराकर स्वायत्ता देते हुये प्राध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार भी दे दिया गया था ? क्या माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे आदेश को रद्द कर अब नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा कराने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त निर्देश का पालन कब तक करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

मा० न्यायालय के आदेशानुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराने हेतु कार्यवाही संचालित है ।

सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने की मांग

*7–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को क्या सरकार राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिलों में नियुक्त कर्मचारी सहकारी चीनी मिल समितियों द्वारा नियुक्त किये गये हैं और इन कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तृतीय शुगर वेजबोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ।

चीनी मिल मालिकों पर गन्ना किसानों का बकाये धन की अदायगी कराये जाने की मांग

*8–श्री संजय गर्ग–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना किसानों का वर्ष 1998-99 का कितना धन मिल मालिकों पर बकाया है ? क्या सरकार उसकी अदायगी के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

वर्ष 1998-99 का दिनांक 20-4-2000 तक कुल देय गन्ना मूल्य 326000.97 लाख रुपये में से रु० 1465.36 लाख तीन चीनी मिलों पर बकाया है ।

इन तीन चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे । चीनी मिल सरदारनगर एवं बिलारी का वसूली प्रमाण-पत्र वी० आई० एफ० आर० द्वारा

स्थगित किया गया है । चीनी मिल, चिलवरिया ने मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिन्हें निरस्त कराने की कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया की जानकारी

*9–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया क्या है ? क्या छात्रवृत्ति का वितरण उसी शिक्षा सत्र में कर दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कक्षा–1 से 8 के विद्यार्थियों हेतु बिना आय सीमा के प्रतिबन्ध के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है । इससे ऊपर की कक्षाओं में निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है । अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को कक्षा–1 से 10 तक छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक की अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्रवृत्ति की स्वीकृति तथा वितरण विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, उसकी ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा करने की प्रक्रिया लागू है । नगर क्षेत्र में सभी श्रेणी की छात्रवृत्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा–9 तथा इससे ऊपर की कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृति तथा वितरण प्रत्येक विद्यालय में गठित समिति द्वारा किया जाता है ।

पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को कक्षा–3 से 8 तक नगरीय क्षेत्र में विद्यालय के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निधि के माध्यम से व कक्षा–9 व 10 में विद्यालय के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरित की जाती है । पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय छात्र के लिए रु० 500/- तथा छात्रा के लिए 750/- तक हो, को उपलब्ध धनराशि की सीमा तक रु० 54/- प्रति छात्र प्रति माह दशमोत्तर छात्रवृत्ति विद्यालय के माध्यम से वितरित की जाती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा व योग पद्धति की शिक्षा व्यवस्था डिग्री स्तर पर किये जाने की मांग

*10–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के नागरिकों को सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध किये जाने हेतु नेचुरोपैथी व योग विद्या की शिक्षा व्यवस्था डिग्री स्तर पर किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक शुरू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्राकृतिक चिकित्सा व योग पद्धति की शिक्षा व्यवस्था हेतु कोई विद्यालय खोलने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनावर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित करने की मांग

*11–श्री श्रीराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों को वर्ष 1998-99 में अनावर्तक अनुदान की सूची पर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या अनुदान का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मानकों के अनुसार औपचारिकताओं को पूर्ण करने में समय लगने के कारण वर्ष 1998-99 में नहीं लिये जा सके ।

प्रदेश में जल संकट से निपटने हेतु सरकार द्वारा प्रारम्भ योजनाओं की जानकारी

*12–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि लगातार जलस्तर गिरने के कारण प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पूर्व में बने हुये कुंए काफी संख्या में सूख रहे हैं ? यदि हां, तो गम्भीर जल संकट से निपटने के लिये क्या वर्तमान सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कुएं सूखने की समस्या प्रायः बनी रहती है, जिसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों एवं पाइप पेयजल योजना द्वारा स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

जनपद सीतापुर में अवध शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों से राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय कराये जाने की जानकारी

*13–श्री समर पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में अवध शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों से अतिरिक्त सट्टा बाण्ड के रूप में 20 प्रतिशत राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं । जिन गन्ना कृषकों द्वारा गन्ना मूल्य में से ही स्वेच्छा से इंगित धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्रों में विनियोजन की प्रार्थना की गयी, उनके प्रकरण में उनके अनुरोधानुसार विनियोजन कराये गये । विभाग द्वारा किसी ऐसे विनियोजन के निर्देश नहीं हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जिला एटा में सिढपुरा, पटियाली आदि गांवों में संक्रामक रोगों से मृत व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*14–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला एटा में अक्टूबर 1998 में ब्लाक सिढपुरा, पटियाली, गंजडुण्डवारा, सोरों एवं सहाबर के गांवों में संक्रामक रोग फैलने से लगभग 300 व्यक्तियों की मौत हो गयी थी ? यदि हां, तो मृतक आश्रितों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? क्या संक्रामक उपरोक्त रोगों की रोकथाम में लापरवाही बरतने वाले चिकित्साधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

माह अक्टूबर, 1998 में जिला एटा के ब्लाक सिढ़पुरा में 05, पटियाली में 02 व्यक्तियों की मृत्यु संक्रामक रोगों से हुई । गंजडुण्डवारा, सोरों एवं सहाबर के गांवों में किसी की मृत्यु संक्रामक रोगों से नहीं हुई है ।

ऐसी व्यवस्था विद्यमान न होने के कारण कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में डा० ओंकार नाथ तिवारी, प्रवक्ता, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर की अध्ययन रिपोर्ट के कार्यान्वयन की मांग

*15–श्री उदय राज यादव–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 उत्तर प्रदेश के संबंध में डा० ओंकार नाथ तिवारी, प्रवक्ता, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर की अध्ययन रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अध्ययन रिपोर्ट की संस्तुतियों पर प्रभावी कार्यवाही कर संबंधित नियमावली, 1987 में संशोधन की कार्यवाही कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अध्ययन रिपोर्ट के कार्यान्वयन में विलम्ब का दायित्व निर्धारण कर दण्ड की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अध्ययन रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों के आधार पर किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन हेतु प्रदेश में रिक्त चल रहे पदों को भरने की कार्यवाही के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्ययन रिपोर्ट का कार्यान्वयन उसकी विषयवस्तु, अध्ययन क्षेत्र तथा सुझावों पर विचारोपरान्त उसे शासन द्वारा स्वीकार करने के बाद ही सम्भव है ।

जी नहीं ।

किसी अध्ययन रिपोर्ट का कार्यान्वयन शासन द्वारा उसमें की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करने के बाद ही किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*16–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[4थे शुक्रवार में ता० प्र० सं०–16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*17–डा० सरजीत सिंह डंग–

[12वें मंगलवार में ता० प्र० सं०–5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के नकली औषधि निर्माताओं के विरुद्ध रासुका लगाये जाने की मांग

*18–श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नकली दवाओं की बिक्री जोरों पर चल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार नकली औषधि निर्माताओं के विरुद्ध रा० सु० का० जैसी कठोर कार्यवाही करने हेतु नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । अपितु प्रदेश के विभिन्न जनपदों से एकत्र किये गये नमूनों में कतिपय नमूने नकली पाये गये हैं ।

नकली औषधियों के मामले में भारत सरकार के ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट, 1940 के संगत प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, जिसमें रासुका लगाये जाने का प्राविधान नहीं है । अतः नकली औषधि निर्माताओं के विरुद्ध रासुका लगाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से मार्गदर्शन/आदेश प्राप्त कर ही कोई नीति निर्धारित किया जाना सम्भव है ।

नत्थी 'घ'

अतारांकित प्रश्न

राजकीय उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ की संवासिनियों के सामूहिक विवाह आयोजन में स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों से प्राप्त धन का विवरण

1–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ द्वारा संवासिनियों के सामूहिक विवाह का आयोजन दिनांक 30-10-1999 को किया गया था ? यदि हां, तो संवासिनियों हेतु स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों से कितनी-कितनी धनराशि तथा सामान प्राप्त हुआ ? क्या प्राप्त धनराशि एवं दहेज हेतु सामान को रजिस्टर पर अंकित किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्राप्त एवं वितरण का ब्योरा उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी, हां ।

विवरण संलग्न । †

जी, हां ।

जी, हां संलग्न ।

प्रश्न नहीं उठता ।

---

† छापी नहीं गयी ।

राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में जे० जे० एक्ट के अन्तर्गत निरुद्ध संवासिनियों को समयावधि समाप्त होने के पश्चात् भी इलाहाबाद से राजकीय किशोर गृहों में स्थानान्तरित न करने वाले दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में संवासिनियों को जे० जे० एक्ट के अन्तर्गत तीन माह तक निरुद्ध रखने का नियम है ? यदि हां, तो तीन माह बाद वर्ष 1995 से 15 नवम्बर, 1999 तक कितनी निरुद्ध संवासिनियों को जनपद इलाहाबाद से राजकीय किशोर गृहों में स्थानान्तरित किया गया ? यदि नहीं, तो संबंधित दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी, हां ।

किसी को भी नहीं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में रोगी संवासिनियों को औषधि वितरण तथा नर्स/कम्पाउण्डरों की तैनाती किये जाने की मांग

3–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में नर्स/कम्पाउण्डर्स के पद सृजित हैं ? यदि नहीं, तो निरुद्ध संवासिनियों को औषधि का वितरण किस प्रकार कराया जाता है ? क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा औषधि का वितरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्प्रेक्षण गृह में नर्सों/कंम्पाउण्डरों की समुचित तैनाती सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

उक्त संस्थाओं में चिकित्सक के परामर्श के अनुसार सहायक अधीक्षक द्वारा रोगी संवासिनियों को औषधि दी जाती है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में नर्स/कम्पाउण्डर की आवश्यकता अनुभव की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर, देवकली नहर खण्ड (प्रथम) के ताड़ीघाट रजबाहा के टेल से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग

4–श्री सिंहासन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवकली नहर खण्ड, प्रथम गाजीपुर के ताड़ीघाट राजबाहा के टेल के अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से सुहवल, डेढ़गावां, उधरनपुर, गौरा, पकड़ी, गोपालपुर, तिलवा, रेवतीपुर के किसानों की रबी की हजारों एकड़ फसल प्रतिवर्ष बरबाद हो जाती है ? यदि हां, तो क्या उसके जल निकासी की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, देवकली पम्प नहर प्रखण्ड-1 गाजीपुर के ताड़ीघाट राजवाहा के टेल से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था है । टेल के अतिरिक्त पानी से मुहवल, डेढ़गांवा, उधरनपुर, गौरा, पकड़ी, गोपालपुर, तिलवा तथा रेवतीपुर के किसानों के रबी की फसल की क्षति नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पुल निर्माण विषयक मुख्य मंत्री के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित ग्राम भोलनापुर, ब्लाक आसपुरा देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के पुल निर्माण हेतु मुख्य मंत्री के आदेश सं०-सी० एम०/वि०को०/एम-2/20488/कुशी०/99 दिनांक 15-2-99 का अनुपालन क्या जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)-

जी नहीं ।

प्रश्नांकित पुल का निर्माण कार्य दिनांक 18-7-97 से प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु मौके पर विवाद हो जाने के कारण मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत भूमि सुधार निगम को हस्तान्तरित भिठाई ड्रेन को चिन्हांकित किये जाने की मांग

6-डा० धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भिठाई ड्रेन को उ० प्र० भूमि सुधार निगम को हस्तान्तरित कर दी गयी है ? क्या अभी तक उसका चिन्हांकन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस ड्रेन का चिन्हांकन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

भूमि सुधार निगम द्वारा विभिन्न वर्षों हेतु सोडिक गांवों जिनके ऊसर भूमि का सुधार किया जाना होता है एवं उक्त सोडिक गांवों की जल निकासी से सम्बन्धित ड्रेनों का चयन सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं भूमि सुधार निगम के जनपदीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है ।

प्रश्नगत ड्रेन से सम्बन्धित सोडिक गांवों का चयन अभी तक भूमि सुधार निगम द्वारा सूचित नहीं किया गया है । अतएव उक्त ड्रेन के चिन्हांकन का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभी उ० प्र० भूमि सुधार निगम ने इस ड्रेन से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में भूमि सुधार निगम द्वारा सहिजना ड्रेन की खुदाई/सफाई करवाने की मांग

7-डा० धर्मेन्द्र मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सहिजना ड्रेन की खुदाई व सफाई व ड्रेन पर पुलिया का उ० प्र० भूमि सुधार निगम द्वारा जून, 2000 तक निर्माण कार्य पूरा होने का प्रस्ताव है ? क्या इस ड्रेन की खुदाई व सफाई न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि आज भी जलमग्न है ? क्या इस कारण क्षेत्रीय कृषकों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जून, 2000 तक उपरोक्त ड्रेन की सफाई व खुदाई कराने का आदेश निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां । क्षेत्र में जलभराव की समस्या के दृष्टिगत भूमि सुधार निगम द्वारा कार्य वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में भूमि सुधार निगम को हस्तान्तरित भिखारीपुर ड्रेन को चिन्हांकित किये जाने की मांग

8-डा० धर्मेन्द्र मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भिखारीपुर ड्रेन उ० प्र० भूमि सुधार निगम को हस्तान्तरित कर दी गयी है ? क्या अभी तक इसका चिन्हांकन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका चिन्हांकन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

भूमि सुधार निगम द्वारा विभिन्न वर्षों हेतु सेडिक गांवों जिनकी ऊसर भूमि का सुधार किया जाना होता है एवं उक्त सेडिक गांवों की जल निकासी से सम्बन्धित ड्रेन का चयन सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं भूमि सुधार निगम के जनपदीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है ।

प्रश्नगत ड्रेन से सम्बन्धित सेडिक गांवों का चयन अभी तक भूमि सुधार निगम द्वारा सूचित नहीं किया गया है । अतएव उक्त ड्रेन के चिन्हांकन का प्रश्न नहीं उठता ।

अभी उ० प्र० भूमि सुधार निगम ने इस ड्रेन से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

जनपद सहारनपुर एवं बागपत में अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान में उपलब्ध हुई धनराशि की जानकारी

9-श्री संजय गर्ग

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह हेतु जनपद सहारनपुर एवं बागपत में कितनी-कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वित्तीय वर्ष 1998-99 में योजनान्तर्गत जनपद सहारनपुर में रु० 3.30 लाख एवं जनपद बागपत में रु० 10.45 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी ।

जनपद उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में शारदा कैनाल पर प्रस्तावित क्रसवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

10–श्री रामशंकर पाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत क्या शारदा कैनाल के 180 मील पर क्रसवाल का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो प्रस्तावित क्रसवाल का कब तक निर्माण हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निजी नलकूपों को छूट की जानकारी

11–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतावेंगे कि जनपद चित्रकूट में लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 में लगाये गये निजी नलकूपों में कोई छूट दी गयी है ? यदि हां, तो कितने लोगों को ? क्या शेष किसानों को भी छूट का लाभ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

30

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में तहसील बबेरू नलकूप निर्माण खण्ड डरई द्वारा कतिपय ग्रामों में राजकीय नलकूपों के पम्प हाउस, मिनिएलिवेटेड टैंक आदि के निर्माण का भुगतान

12–श्री बाबू लाल कुशवाहा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा में वर्ष 1996-97 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत नलकूप निर्माण खण्ड डरई, उपखण्ड बांदा द्वारा तहसील बबेरू में राजकीय नलकूप निर्माण संख्या 127 ग्राम काजी टोला, 131 ग्राम निमौर और 132 ग्राम अरमार का निर्माण कार्य कराया गया था ? क्या इन नलकूपों का पम्प हाउस, टैंकों कम्पाउण्ड के निर्माण का भुगतान संबंधित ठेकेदार को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? अब तक भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत नलकूपों के पम्प हाउस के निर्माण का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदारों को किया जा चुका है । कम्पाउण्ड निर्माण के अलग से कोई आदेश नहीं थे । मिनी एलिवेटेड टैंक के निर्माण से सम्बन्धित धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका है । भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ से बचाव कार्य में फर्जी टेण्डर व भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री दीपलाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बड़ी गण्डक नदी की बाढ़ से बचाव कार्य में 80 लाख का फर्जी टेण्डर व भुगतान से संबंधित पत्र सं०–सी० एम/वि०को०/एम–1/27188/कुशीनगर/97 दिनांक 28-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

इस सम्बन्ध में श्री दीपलाल भारती, मा० विधायक का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–1/27188, दिनांक 28-10-1999 नहीं बल्कि पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–1/27188, दिनांक 28-10-99 प्राप्त हुआ था। इससे पूर्व भी इसी प्रकरण पर मा० विधायक के पत्र दिनांक 23-8-98, 5-10-98, 9-10-98, 18-10-98 तथा 16-10-98 शासन को प्राप्त हुए थे। मा० विधायक के इसी प्रकरण पर पूर्व में प्राप्त पत्रों पर टी० ए० सी० से जांच कराई गई तथा दोषी पाये गये अधिकारियों को शासन के आदेश दि० 11-2-2000 द्वारा दण्डित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, महिला कल्याण विभाग में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तथा पेंशन प्रार्थना-पत्र स्वीकृत न किये जाने की जानकारी

14–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन हेतु दि० 1-4-1997 से दि० 15-11-1999 तक कितने आवेदन पत्र महिला कल्याण विभाग, शाहजहांपुर में प्राप्त हुए हैं तथा कितने स्वीकृत हुए हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में लगभग दो वर्षों से कोई भी पेंशन प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन-पत्र महिला कल्याण विभाग से सम्बन्धित न होने के कारण, समाज कल्याण विभाग को प्राप्त होते हैं। जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 1-4-97 से दिनांक 15-11-99 तक वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग में 182 आवेदन-पत्र स्वीकृति उपरान्त भुगतान हेतु प्राप्त हुए हैं जिनमें से 2089 आवेदन-पत्र मृतक वृद्धावस्था पेंशनरों के स्थान पर स्वीकृत हुए हैं।

विधवा पेंशन के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग में 2485 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से 820 आवेदन-पत्र स्वीकृत हुए हैं।

वर्ष 97-98 से अतिरिक्त नवीन लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण उक्त के अतिरिक्त नवीन पेंशनर्स को भुगतान नहीं हो पाया है।

जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव के अम्बेडकर ग्राम सुल्तानगंज में नये राजकीय नलकूप के निर्माण की मांग

15–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि मौजा सुल्तानगंज, तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी में लगा राजकीय नलकूप खराब हो गया है और किसानों के सामने सिंचाई की भारी समस्या पैदा हो गयी है ? क्या सरकार उक्त अम्बेडकर ग्राम में नया राजकीय नलकूप बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। मौजा सुल्तानगंज, तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी में स्थित राजकीय नलकूप संख्या–9 (बी० जी०) वर्ष 1998-99 में असफल हो गया है।

जी नहीं।

प्रदेश के राजकीय नलकूपों व उनकी परिसम्पत्तियों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण हो जाने के कारण सिंचाई विभाग द्वारा कोई नवीन नलकूप निर्मित किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने व जल निगम के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

16–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में 1 जून, 1999 के बाद अब तक इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प की स्थापना के लिये किन-किन कार्यदायी संस्थाओं को कितना धन आवंटित किया गया और ब्लाकवाइज किन-किन के प्रस्ताव से कितने हैण्डपम्प लगवाये गये ? क्या यह सही है कि 3 जून, 1999 के मुख्य सचिव के शासनादेश हैं कि हैण्डपम्प की स्थापना हेतु जल निगम ही कार्यदायी संस्था होगी ? यदि हां, तो अन्य कार्यदायी संस्थाओं से हैण्डपम्प लगवाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इसके लिये दोषी जनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

01 जून, 1999 के बाद उ० प्र० जल निगम के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यदायी संस्था को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है ।

ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति द्वारा किये गये स्थल चयन के आधार पर जनपद में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अब तक निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प लगाये गये हैं :––

1—करहल	62
2—बरनाहल	29
3—जागीर	61
4—घिरोर	36
5—मैनपुरी	68
6—कुरावली	93
7—सुल्तानगंज	71
8—बेवर	105
9—किशनी	87
कुल योग =	612

जी हां ।

दिनांक 3-6-99 को निर्गत शासनादेश के पश्चात् उ० प्र० जल निगम के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यदायी संस्था को धनराशि नहीं आवंटित की गयी । चूंकि अन्य संस्थाओं को 3-6-99 के पूर्व धनराशि आवंटित की जा चुकी थी तथा शासनादेश संख्या–116/38-5-99–653/95, दिनांक 5-8-99 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन कार्यदायी संस्थाओं को 3-6-99 के पूर्व धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, उसे वापस नहीं लिया जायेगा अर्थात वे संस्थायें अपना कार्य पूर्ण करेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा सहायक अभियन्ता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानकारी

17–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञापन संख्या ए–4/इ–1/97-98 दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को दिनांक 17 अगस्त, 1998 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां करने का निर्णय शासन स्तर पर ले लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

18–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के कितने पद सृजित है तथा उन पर कितने सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या उक्त पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार आरक्षण कोटा पूर्ण करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के अधिष्ठान में वर्तमान में 587 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद स्वीकृत हैं तथा इन पदों के विपरीत वर्तमान में 475 सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) कार्यशील हैं ।

जी नहीं ।

सहायक अभियन्ता (यां०) के अधिष्ठान में सीधी भर्ती के आरक्षित पदों पर विशेष चयन द्वारा लोक सेवा आयोग से चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है । चयनित/संस्तुत अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्णय शासन स्तर से ले लिया गया है । जी हां । उपरोक्तानुसार ।

पर्वतीय क्षेत्र के एलोपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति का औचित्य

19–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र के एलोपैथिक चिकित्सालयों में 31 अक्टूबर, 1999 तक कुल कितने चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त थे ? रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त क्षेत्रों में एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

श्री रमापति शास्त्री–

पर्वतीय क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सकों के कुल 1522 पद सृजित हैं और इनमें से 554 पद रिक्त हैं ।

श्रेणी–2 के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद को चयन हेतु अधियाचन भेजा जा रहा है। श्रेणी–1 के पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। एलोपैथिक चिकित्सालयों पर इस विधा के चिकित्सक समुचित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती, जन सामान्य को चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये की गयी हैं।

जनपद उन्नाव में नाबार्ड योजनान्तर्गत सिंचाई खण्ड द्वारा नहरों की सफाई दरों में अन्तर की जानकारी

20 श्री राम शंकर पाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड, उन्नाव द्वारा नहरों की सफाई करायी जा रही है ? क्या माधोगंज सेक्सन में सिल्ट सफाई 19.80 रुपये की दर से वर्क आर्डर द्वारा तथा आसीवन ब्रान्च पर 24.35 रुपये की दर से वर्क आर्डर द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त दरों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां। अनुबन्धों द्वारा।

कार्य की प्रकृति एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रतियोगी दरें आने के कारण दरों में अन्तर है।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र/कृत कार्यवाही की जानकारी

21–श्री दीप लाल भारती–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेडिकल कालेज गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने से संबंधित पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–2/27264/कुशीनगर/99 दिनांक 30-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

उपरोक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर से जांच कराई गयी। प्राप्त जांच आख्या के अनुसार प्रधानाचार्य, गोरखपुर मेडिकल कालेज को शासनादेश दिनांक 7-4-2000 द्वारा निन्दा प्रविष्टि दे दी गयी है और दोषी नर्सों को निलम्बित करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 10-4-2000 के आदेश से निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित उदयगंज तथा हैवलक रोड कालोनियों में आवंटियों द्वारा आवास किराये पर दिये जाने की जांच कराने की मांग

22–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित उदयगंज तथा हैवलक रोड कालोनियों में ऐसे कितने आवास हैं जो आवंटियों द्वारा किराये पर देने के कारण उनमें अन्य कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति रह रहे हैं ? क्या इसकी जांच कराकर ऐसे व्यक्तियों से आवास खाली कराये जायेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अवैध कब्जे से हुई शासकीय आर्थिक हानि का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में कार्यरत कैनाल कालोनी, हैवलक रोड, लखनऊ के निवासियों से विद्युत बीजकों की धनराशि जमा कराये जाने की मांग

23–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में ऐसे कितने कार्मिक कार्यरत हैं जो आवास सं०–3/6 कैनाल कालोनी हैवलक रोड लखनऊ में दिनांक 21-8-93 से पूर्व निवास करते रहे हैं परन्तु उन्होंने विद्युत बीजक जमा नहीं किये हैं ? क्या सरकार उनके उक्त अवधि के विद्युत बीजकों की धनराशि जमा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत आवास में दिनांक 21-8-93 से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ के निम्नलिखित कार्मिक निवास करते रहे हैं :––

1––श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ल, दिनांक 14-8-81 से 23-1-86 तक

2––श्री प्रमोद कुमार खत्री, दिनांक 24-1-86 से 18-8-93 तक

विद्युत कनेक्शन व्यक्तिगत अध्यासी के नाम होने के कारण विद्युत बीजकों की धनराशि विद्युत विभाग को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व अध्यासी का है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित उदयगंज कैनाल कालोनी तथा हैवलक रोड कालोनी में अपात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास आवंटन की जांच कराने की मांग

24–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित उदयगंज कैनाल कालोनी तथा हैवलक रोड कालोनी में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी निवास कर रहे हैं जो उक्त कालोनियों में आवास-आवंटन के पात्र नहीं हैं ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लखनऊ स्थित उदयगंज कैनाल कालोनी तथा हैवलक रोड कालोनी में आवास आवंटन के पात्र अधिकारी/कर्मचारी ही आवंटन समिति द्वारा आवंटित आवास में निवास कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

25–आचार्य राम देव वैश्य तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

विधायक निधि/सांसद निधि के धन से विकास कार्यों हेतु प्राधिकृत कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी

26–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में विकास कार्यों हेतु विधायक निधि/सांसद निधि का धन खर्च करने के लिये किसी कार्यदायी संस्था को प्राधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन कार्यदायी संस्थाओं को ? क्या सरकार किन्हीं विशिष्ट कार्यदायी संस्थाओं से उक्त निधि खर्च करने के लिये कोई शासनादेश निर्गत करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसी सरकारी या पंचायती राज संस्थायें होंगी जिन्हें निर्माण कार्यों के संतोषजनक कार्यान्वयन के योग्य मुख्य विकास अधिकारी समझते हैं ।

सांसद निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कार्य सरकारी विभागों, नगर पालिका, ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं आदि से कराया जा सकता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच की जरवल रोड चीनी मिल पर किसानों की बकाया धनराशि का ब्याज सहित भुगतान करने की मांग

27–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 में चीनी मिल जरवल रोड जनपद बहराइच पर किसानों का कितना गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया और कितना शेष है ? इस बकाया धनराशि का ब्याज सहित भुगतान कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जरवल रोड चीनी मिल पर वर्ष 1998-99 में देय कुल रु० 2160.94 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान हो चुका है । अब कोई भी धनराशि चीनी मिल के विरुद्ध देय नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के गन्ना विकास परिषद् द्वारा कराये जा रहे कतिपय मार्गों के निर्माण कार्यों की टी० ए० सी० द्वारा जांच की मांग

28–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत गन्ना विकास विभाग बलरामपुर द्वारा वर्ष 1998-99 में कोहनियां से उतरौला–तुलसीपुर मार्ग, मनकापुर मार्ग पर इमलिया वसुन्धरा से चीती तक, विजौरा प्राइमरी पाठशाला से बभनी होते हुए तिलखी मार्ग, फत्तेपुर ग्राम से जनुका गोदाम तक मार्ग निर्माण में कार्य मानक व

गुणवत्ता के अनुसार किया गया है ? क्या सरकार इनके निर्माण कार्यों की जांच टी० ए० सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

गन्ना विकास परिषद्, बलरामपुर द्वारा वर्ष 1998-99 में कोहनियां से उतरौला–तुलसीपुर मार्ग, मनकापुर मार्ग पर इमलिया वसुन्धरा से चीती मार्ग, विजौरा प्राइमरी पाठशाला से बभनी होते हुए तिलकी मार्ग, फत्तेपुर मार्ग से जनुका गोदाम तक मार्ग के निर्माण का कार्य प्रगति में है । कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार ही कराया जा रहा है ।

निर्माण कार्यों की टी० ए० सी० से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत गन्ना विकास परिषद् द्वारा कतिपय ग्रामों में मार्ग निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप न किये जाने की टी० ए० सी० द्वारा जांच की मांग

29–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत गन्ना विकास विभाग बलरामपुर द्वारा वर्ष 1998-99 में नानकारी गैण्डास मार्ग से बिलरिया तक, उमरा ग्राम से सहियापुर होते हुए अमहवां तक, गहरौला ग्राम के नहर के पूरब व पश्चिम सकरा ग्राम तक उतरौला आसाम रोड से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक मार्ग निर्माणों का कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार किया गया है ? क्या सरकार इन निर्माण कार्यों की जांच टी० ए० सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

गन्ना विकास परिषद्, बलरामपुर द्वारा वर्ष 1998-99 में नानकारी गैडास मार्ग से बिलरिया तक, ग्राम उमरा से सहियापुर होते हुए अमहवा तक, गहरौला ग्राम से नहर के पूरब व पश्चिम सकरा ग्राम तक, उतरौला आसाम रोड से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक मार्ग का निर्माण अभी प्रगति में है । कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार ही कराया जा रहा है ।

कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप ही कराया जा रहा है । अतः टी० ए० सी० से जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकलांग जन ऐक्ट, 1995 के अनुसार सरकारी विभागों में सुविधाएं प्रदान न किये जाने विषयक भारतीय विकलांग क्लब के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

30–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग जन ऐक्ट, 1995 के प्राविधानों के अनुसार सरकारी विभागों एवं निकायों द्वारा सुविधा प्रदान न किये जाने के संबंध में विकलांग जन आयुक्त उ० प्र० को सम्बोधित श्री केदार सिंह नेगी, एडवोकेट, संगठन मंत्री ''भारतीय विकलांग क्लब'' के दिनांक 21-4-99 के पत्र पर आयुक्त द्वारा शासन को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विकलांगों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अलग से कोचिंग सेन्टर खोलने सम्बन्धी जानकारी

31–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के द्वितीय बुधवार को पूछे गये नियम 29(4) के तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर के संबंध में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकलांगों को बिना जातिवर्ग के भेदभाव के अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग की भांति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अलग से कोचिंग सेन्टर खोलने की घोषणा की गयी है ? यदि हां, तो उक्त घोषणा के अनुपालन में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

विकलांगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अलग से कोचिंग सेन्टर खोलने की कोई घोषणा नहीं की गयी है, अपितु वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों पर बजट भाषण में मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि प्रदेश के सभी मण्डलीय मुख्यालयों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य निर्बल वर्ग के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की जाय ।

शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र पूर्व से ही संचालित हैं । उक्त घोषणा के संदर्भ में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कोचिंग हेतु जो माडल उपलब्ध है, उसी को आधार मानकर सम्बन्धित विभागों द्वारा इस माडल को अपनाते हुए कोचिंग का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ।

उक्त माडल व्यवस्था के अन्तर्गत सभी प्रदेश स्तरीय कोचिंग सेन्टर्स तथा दिल्ली में स्थित ख्याति प्राप्त कोचिंग सेन्टर्स को भी चिन्हित करके सम्बन्धित विभागों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें उक्त चिन्हित सेन्टर्स में भेजा जायेगा एवं निजी कोचिंग सेन्टर्स में कोचिंग पर उक्तानुसार जो व्यय आयेगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रदेश शासन द्वारा सम्बन्धित विभागों के माध्यम से की जायेगी ।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पूर्व से संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं/अथवा अग्रेतर औचित्य पूर्ण स्थिति में ही इस योजना का लाभान्वयन इस वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जायेगा । इस व्यवस्था के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभान्वयन के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होंगे तथा सामान्य निर्धन वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग इस कार्य को संचालित करेंगे ।

अतः विकलांग अभ्यर्थी भी अपनी जाति/वर्ग के वर्गीकरण के आधार पर उक्त योजना का लाभ उक्त सम्बन्धित विभागों के माध्यम से उठा सकते हैं ।

जनपद मैनपुरी की क्षेत्र समिति बेवर के ग्राम चिरावर में जे० आर० वाई० के धन से बिना अनुमोदन के पक्की पुलिया निर्माण कराने वाले दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

32–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्र समिति बेवर के ग्राम चिरावर में वर्ष 1999 में जे० आर० वाई० के धन से बिना क्षेत्र समिति की बैठक के अनुमोदन के पक्की पुलिया का निर्माण रु० 4,17,000/- रुपये में कराया गया था ? यदि हां, तो बिना क्षेत्र समिति की बैठक के अनुमोदन के

उक्त कार्य कराने के लिये दोषी कौन हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

जांच के उपरान्त समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी की क्षेत्र पंचायत बेवर में निर्बल/इन्दिरा आवासों के आवंटन एवं चयन में अनियमितताओं की जांच/दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

33–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में क्षेत्र पंचायत बेवर जनपद मैनपुरी में कितने और किसके निर्बल/इन्दिरा आवास स्वीकृत कराये गये और उनको चयनित करने का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त आवासों के आवंटन एवं चयन में अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां,तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद मैनपुरी के क्षेत्र पंचायत बेवर में वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में निम्न प्रकार आवास स्वीकृत किये गये हैं :—

निर्बल वर्ग आवास वर्ष 98-99, 59 आवास

इन्दिरा आवास वर्ष 98-99, 313 आवास

इन्दिरा आवास वर्ष 99-2000, 157 आवास

निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत समस्त आवास अनु० जाति/जनजाति के लाभार्थियों को तथा इन्दिरा आवास दिशा निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति के लाभार्थियों को स्वीकृत किये गये हैं । लाभार्थियों का चयन शासनादेश सं० 3087/38-5-98-654/98, दिनांक 27-5-98 व 2569/38-5-99-654/99, दिनांक 17-6-99 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओखला एवं कानपुर स्थित सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों पर टेण्डर निर्गत करने विषयक कार्यालय ज्ञाप का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

34–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओखला एवं कानपुर स्थित सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों के स्तर पर निर्माण कार्य कराने तथा निर्माण सामग्री के क्रय करने से पूर्व टेण्डर निर्गत करने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या : 368/पूर्व अनु०/निविदा, दि० 23-11-1998 का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में नये आडिटोरियम के निर्माण का औचित्य

35–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग से अनुलग्न जो ''आडिटोरियम/हाल'' बनाया जा रहा है, उस पर कुल कितना व्यय अनुमानित है? क्या यह सत्य है कि उक्त कार्यालय में एक मीटिंग हाल तथा संलग्न निकटस्थ ''एनेक्सी'' में पूर्व से ही एक आडिटोरियम निर्मित है ? यदि हां, तो शासन की आर्थिक स्थित ऋणात्मक होते हुए भी उपरोक्त नये आडिटोरियम के निर्माण का क्या औचित्य है ? इस प्रकरण में विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में ''आडिटोरियम हाल'' नहीं बनाया जा रहा है बल्कि एक उच्च स्तरीय समिति कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है जिस पर रु० 40.60 लाख का व्यय किया गया है ।

जी हां ।

समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठकों, सेमिनार आदि में अधिकारियों की संख्या पूर्व निर्मित मीटिंग हाल की क्षमता से अधिक होने के दृष्टिगत नये समिति कक्ष का निर्माण आवश्यक हो गया था ।

विभिन्न कर्मचारी संगठनों को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है ।

जनपद जालौन के नलकूप खण्ड (प्रथम) उरई में राजकीय नलकूपों की मरम्मत में फर्जी भुगतान तथा अनियमितताओं की जांच हेतु शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36–श्री श्रीराम पाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के नलकूप खण्ड प्रथम, उरई जालौन के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की मरम्मत में फर्जी भुगतान तथा अनियमितताओं की जांच के संबंध में श्री अहिबरन सिंह यादव, सदस्य, जिला पंचायत, उरई का पत्र दिनांक 2-10-1999 तथा श्री जगदीश सिंह चौहान, ठेकेदार, कालपी का पत्र दिनांक 20-10-1999 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन्त पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों की जांच प्रगति पर है । जांच परिणाम प्राप्त होने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत दोषी पाये गये अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहंदर की ग्राम पंचायत गौरी दायमपुर में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत इन्दिरा आवासों के निर्माण की मांग

37–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहंदर में ग्राम पंचायत गौरी दायमपुर, गौरी सैय्यद तालिब तथा खेरवा में वर्ष 1997-98 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत भवनों का निर्माण कराया जाना स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त आवासों हेतु प्रधान ग्राम

पंचायतों द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्ताव बनाकर विकास खंड अधिकारी, बेहंदर तथा जिला विकास अधिकारी, हरदोई को दिये जा चुके हैं ? क्या उक्त इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड टाण्डा में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं को क्षेत्रीय विधायक/सांसद के परामर्श से स्वीकृत किये जाने की मांग

38–श्री लालजी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड टाण्डा जनपद–अम्बेडकर नगर में वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 10-2-99 तक कुल कितनी धनराशि कौन-कौन सी योजनाओं हेतु स्वीकृत की गयीं ? क्या उक्त स्वीकृत योजनायें क्षेत्रीय विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद के परामर्श से स्वीकृत की गयी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद के परामर्श से प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये जाने हेतु आदेशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां, सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत रु० 35.337 लाख धनराशि वाटरशेड विकास, लघु सिंचाई, सम्पर्क मार्ग तथा पाठशाला भवन निर्माण की कुल 20 योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं ।

उक्त स्वीकृत योजनाओं में से दो योजनायें क्षेत्रीय विधायक के परामर्श से स्वीकृत की गयी हैं।

1––सम्पर्क मार्ग बेलहरी–धौरहरा

2––अकबरपुर–इल्तफातगंज मुख्य मार्ग से स्व० श्री जयराम वर्मा बापू इण्टर कालेज नाऊसाण्डा–खडण्जा

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । मा० सांसदों व मा० विधायकों से परामर्श करने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा द्वारा मार्गों पर निर्माण कार्यों की टी० ए० सी० जांच कराने की मांग

39–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 व 1998-99 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा द्वारा पी० डब्लू० डी० मार्ग से श्रीदत्तगंज बाजार प्राइमरी पाठशाला होते हुए गुमड़ी मार्ग तक, महदेइया मोड़ मस्जिद-भुजहनी सरहद-भर पुरवा सम्पर्क मार्ग होते हुए गोण्डा उतरौला–मुख्य मार्ग तक, पीलीभीत–बस्ती मार्ग पर दारी चौरा से आगे किदूरा तक मार्गों के निर्माण में क्या मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच टी० ए० सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

प्रश्नगत मार्गों का निर्माण कार्य वर्ष 1997-98 व 1998-99 में न तो इस प्रखण्ड के लिए स्वीकृत हुआ था, और न ही इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य इस प्रखण्ड द्वारा कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर से सम्बद्ध चिकित्साधिकारी, डा० आर० पी० सिंह के विरुद्ध आरोपों की बिना जांच पूर्ण हुए ही निलम्बन समाप्त किये जाने सम्बन्धी जानकारी

40–श्रीमती सुशीला अग्रवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा० आर० पी० सिंह, चिकित्साधिकारी, सम्बद्ध जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर को दिनांक 14-10-99 को आदेश सं०–6437/चि०-3-99-1531/99 द्वारा निलम्बित किया गया था ? क्या यह सही है कि आरोपों की बिना जांच पूर्ण हुए ही उन्हें पुनः दिनांक 30 अक्टूबर, 99 को आदेश सं०–एस० एम० 118/चि०–3-99-1531/99 द्वारा बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जी हां। प्रशासनिक आधार पर इनका निलम्बन जारी रखना उचित नहीं पाया गया। इनके विरुद्ध प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही अब भी चल रही है।

जिला चिकित्सालय, जौनपुर में वार्डों की क्षमता का विस्तार एवं उनका आधुनिकीकरण किये जाने की मांग

41–श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, जौनपुर में क्या जनरल वार्ड तथा पेइंग बोर्ड की क्षमता का विस्तार एवं सेप्टिक वार्ड व बर्नवार्ड का आधुनिकीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत वार्ड पूर्व से स्थापित हैं। प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए, इन वार्डों की क्षमता का विस्तार एवं आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद जौनपुर में कुष्ठ नियंत्रण इकाई में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

42–श्री अफजाल अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में कुष्ठ नियंत्रण इकाई में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी विगत 5 वर्ष से ज्यादा समय से वहीं पर कार्यरत हैं ? क्या ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद जौनपुर में कुष्ठ नियंत्रण इकाई में 32 अधिकारी/कर्मचारी (सूची संलग्न) एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण नीति 1999 के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 126–127 पर)

जनपद मेरठ के सरधना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दौराला में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराने की मांग

43–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ ग्राम दौराला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दौराला के निर्माण कार्य का पूर्ण होना जनपद में परिव्यय की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड गोण्डा द्वारा मार्गों के निर्माण कार्य में मानक/गुणवत्ता का पालन न किये जाने की टी० ए० सी० द्वारा जांच की मांग

44–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा द्वारा श्रीदत्तगंज गुमडी मार्ग से बंबई खुर्द तक, महदेइय्या से सिरसिया तक, गालिब पुर-करमहना, घाट, हरिकृष्ण से मंसूर जोत तक मार्गों के निर्माण में क्या मानक व गुणवत्ता के अनुसार कार्य हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच टी० ए० सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज के बेवर फीडर नहर का तख्ता जाम होने से कृषकों की फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में जानकारी

45–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम वीलों ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के बेवर फीडर नहर में तख्ता जाम होने से काश्तकारों की जमीन डूब जाने एवं उससे नुकसान होने विषयक पत्र

संख्या सी० एम०/वि०को०/ 26844/मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मौके का निरीक्षण कराया गया जिसके अनुसार कृषकों की फसल को किसी प्रकार की क्षति नहीं पाई गई ।

जनपद मैनपुरी की तहसील भोगांव की रजबाहा नगरीया हेतु आवंटित धनराशि तथा फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

46. श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि रजबाहा नगरीया तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी में खन्दी आदि के होने व फर्जी भुगतान लेने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक : सी०एम० वि०को०/एम–2/26843/मैनपुरी/99 दिनांक 5-10-99 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । राजवाहा नगरिया पर रु० 5.00 लाख अति आवश्यक कार्यों हेतु आवंटित कर दिया गया है ।

भावंत माइनर के नीचे खंदियों पर कोई व्यय नहीं किया गया है । अतः फर्जी भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाटरी फण्ड से स्वीकृत कार्य तथा जनपद प्रतापगढ़ की पी० एच० सी० ढिढयी के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत न किये जाने के कारण की जानकारी

47–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाटरी फण्ड से 21-9-97 से अब तक क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? इस संबंध में शासन की नीति क्या है ? क्या उक्त फण्ड के धन से जनपद प्रतापगढ़ की पी० एच० सी० ढिढयी के भवन निर्माण की स्वीकृत का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो क्या धन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

विभाग द्वारा दिनांक 21-9-97 से प्रदेश के मेडिकल कालेजों, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित चिकित्सालयों आदि को भवन निर्माण, उपकरण क्रय, रोगी वाहन, भवन मरम्मत आदि विभिन्न प्रयोजनों हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

महानिदेशालय/प्रशासकीय विभाग की संस्तुति सहित प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त हास्पिटल फण्ड नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत हास्पिटल फण्ड से धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वित्त विभाग के आदेशानुसार लाटरी फण्ड के पी० एल० ए० में उपलब्ध सम्पूर्ण धनराशि को राजकोष में समर्पित किये जाने के कारण धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

जनपद सुल्तानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर के सेवा निवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्री शिव दुलारे को पेंशन भुगतान की मांग

48-श्री तेजभान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-11-99 श्री शिव दुलारे सेवानिवृत्त, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वा० केन्द्र, जगदीशपुर सुल्तानपुर के प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी को दो वर्ष सेवानिवृत्त के बाद भी पेन्शन न देने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी के पेन्शन का अविलम्ब भुगतान करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मातृ, शिशु कल्याण एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी हां।

पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

पेंशन भुगतान के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में सरधना–नानू–भलसोना नाले की जल निकासी हेतु प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी की मांग

49-प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ में सरधना–नानू–भलसोना के जल निकासी हेतु नाला की खुदाई एवं सफाई की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

कार्य योजना के अन्तर्गत नाले की सफाई और इसके आंतरिक भाग की पुर्नस्थापना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के सरधना नगर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु धन अवमुक्त किये जाने की मांग

50-प्रो० रविन्द्र पुण्डीर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ के सरधना नगर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? उक्त योजना में अब तक कितना धन अवमुक्त किया जा चुका है ?

श्री रमापति शास्त्री–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरधना, जनपद मेरठ का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जायेगा।

चिकित्सालय के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अब तक रु० 112.99 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

जनपद लखनऊ एवं सीतापुर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पुष्टाहार वितरण के भौतिक सत्यापन की मांग

51–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ व सीतापुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुल कितना पुष्टाहार वितरण हेतु 1 जनवरी, 1999 से 1 नवम्बर तक दिया गया है ? क्या पुष्टाहार वितरण का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जनपद लखनऊ में दस बाल विकास परियोजनाओं में दिनांक 1 जनवरी, 1999 से दिनांक 1 नवम्बर, 1999 तक 125802 पैकेट ब्रेड एवं 73088 बैग्स पंजीरी का वितरण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किया गया। जनपद सीतापुर में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उक्त अवधि में कुल 86868 बैग्स पंजीरी एवं 2879 कार्टन बिस्कुट वितरण हेतु दिया गया।

पुष्टाहार का भौतिक सत्यापन जिला कार्यक्रम अधिकारी, सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी व क्षेत्रीय मुख्य सेविकाओं के अतिरिक्त केयर के क्षेत्राधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, जिला नियोजन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्दाह तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरीपुर बरदौता हेतु स्वीकृत धनराशि की मांग

52–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 1999–2000 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्दाह एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरीपुर बरदौता, नरायनपुर के भवन विस्तार हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक गौरीगंज में आंगनबाड़ी में परियोजनाधिकारी द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर की गई जांच की जानकारी

53–श्री तेजभान सिंह–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित मालती त्रिपाठी पत्नी विजय बहादुर निवासी–बस्ती देई, तह०–गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक क्रमशः 15-6-99 तथा 26-6-99 को प्राप्त कराया गया प्रार्थना-पत्र जो बस्ती देई ब्लाक गौरीगंज में आंगनबाड़ी की नियुक्ति में परियोजनाधिकारी द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट पर की गयी नियुक्ति तथा वरीयता क्रम में दूसरे नम्बर के उम्मीदवार को नियुक्ति न देने तथा नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने की शिकायत विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किस अधिकारी ने की है तथा जांच परिणाम क्या है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

शिकायती-पत्र दिनांक 6-1-99 तथा शिकायती पत्र दिनांक 26-6-99 प्राप्त हुआ है।

शिकायत की जांच दिनांक 2-6-99 को जिला विकास अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा की गयी। जांचोपरान्त फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर प्राप्त की गयी एक नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है तथा वरीयता के आधार पर दूसरे नम्बर की उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिनांक 19-11-99 को जारी कर दिया गया है।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज की प्राथमिक पाठशाला बलारपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को प्रदत्त छात्रवृत्ति की जानकारी

54–श्री राम औतार शाक्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक पाठशाला बलारपुर, ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को क्या वर्ष 1996–97, 1997-98, 1998-99 व 1999-2000 में छात्रवृत्ति दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

वर्ष 1996-97 में 68 छात्रों को 144/- रु० प्रति छात्र की दर से 9,792/- रुपये, वर्ष 1997-98 में 68 छात्रों को 144/- रु० प्रति छात्र की दर से 9,792/- रुपये, वर्ष 1998-99 में 56 छात्रों को 300/- रु० प्रति छात्र की दर से 16,800/- रुपये तथा वर्ष 1999-2000 में 50 छात्रों को 300/- रु० प्रति छात्र की दर से 15,000/- रुपये दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा में वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप मध्य) सिंचाई विभाग द्वारा की गयी वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

55–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप–मध्य) सिंचाई विभाग द्वारा इटावा जनपद में अधिशासी अभियन्ता के पद पर रहते हुये की गयी वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-11-99 मुख्य अभियन्ता (नलकूप–मध्य) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

मा० विधायक के पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच प्रमुख अभियन्ता से करायी गयी एवं प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये आरोपों के लिए वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी को दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

56–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 6-4-2000 को अता० प्र० सं०–151 द्वारा उत्तरित]

57–श्री अजय कुमार पोइया–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद जालौन में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड उरई द्वारा ग्राम रिसिया, मलंगा नाले पर रपटे के निर्माण की तकनीकी जांच की मांग

58—श्री श्रीराम पाल–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत, ग्राम रिसियां के पास मलंगा नाले पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उरई द्वारा वर्ष 1996-97 से निर्माणाधीन रपटे के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण है ? क्या रपटे के दोनों तरफ कच्चे सम्पर्क मार्गों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या बिना निर्माण कराये धन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार निर्माण कार्य की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराकर वर्ष 1999–2000 में उक्त कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

ग्राम रिसियां के पास मलंगा नाले पर रपटे एवं उसके दोनों तरफ कच्चे मार्ग का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उरई को स्वीकृत नहीं है, न ही इस पर कोई कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड–उरई द्वारा कराया गया है ।

जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा में सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की गयी वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

59–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत लोना, जरारा, हैदलपुर ग्रामों के कच्चे सम्पर्क मार्गों के निर्माण में कार्यदायी संस्था क्षेत्र समिति महेवा के द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच मुख्य विकास अधिकारी जालौन (उरई) द्वारा करायी गयी थी तथा वित्तीय अनियमितताओं के कारण क्षेत्र समिति महेवा का खाता गत माह जुलाई, अगस्त 1999 से सील किया गया था ? यदि हां, तो क्या खण्ड विकास अधिकारी महेवा का स्थानान्तरण अन्यत्र करके वित्तीय अनियमितताओं के बिन्दुओं के आधार पर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

दोषी खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सामान्य अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने के बाद भी सेवा में बनाये रखने का औचित्य

60–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 15-11-97 के नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से नियुक्त 59 सामान्य अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध करार दिये जाने के बाद भी उन्हें अभी तक सेवा में बनाये रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्तुति/परामर्श मांगा गया है । आयोग का परामर्श प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में चयनित अवर अभियन्ताओं की सेवा प्रथम नियुक्ति पत्र के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित करने एवं सेवा लाभ प्रदान करने की मांग

61–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में 9 जून, 1995 को नियुक्ति पाये 484 अवर अभियन्ताओं में से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 53 अवर अभियन्ताओं का चयन मा० उच्च न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध करार दिये जाने के बाद भी दिनांक 15-11-97 से 11-8-98 तक का वेतन रोककर उनकी सेवा बाधित कर दी गयी है ? क्या सरकार उक्त चयनित अवर अभियन्ताओं की सेवा प्रथम नियुक्ति पत्र के आधार पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से ही नियमित कराने एवं समस्त सेवा लाभ प्रदान करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी नहीं ।

जी हां । शासन के पत्र सं०–1450/62-3-99-198 डब्लू/97, दिनांक 16-9-99 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 23-9-99 एवं निदेशालय के आदेश सं०–3876/ग्रा०अ०से०/स्था०–3/अव०अभि०/नियुक्ति/99-2000, दिनांक 11-11-99 द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर की अपर गैंगेज चीनी मिल स्यौहारा द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

62–डा० वेद प्रकाश सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर गैंगेज चीनी मिल स्यौहारा जि० बिजनौर की निजी स्वामित्व की भूमि का रकबा क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त मिल मालिक द्वारा अनधिकृत रूप से कई बीघा ग्राम समाज की भूमि एवं स्यौहारा दौलताबाद-मुख्य मार्ग पर भी कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इस अनधिकृत कब्जे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) बिजनौर से प्राप्त सूचना के अनुसार अपर गैंगेज चीनी मिल स्यौहारा, जनपद बिजनौर की निजी स्वामित्व की भूमि का रकबा कुल क्षेत्रफल 67 बीघा 4 बिसवां 11 बिस्वांसी अभिलेखों में दर्ज है जो निम्नवत् है :—

	बी०बि०बिस्वां०
ग्राम रफियाबाद में	60-04-11
ग्राम सदानन्दपुर में	03-01-00

ग्राम गजमलपुर में	00-03-00
ग्राम खेरूल्लापुर में	02-01-00
ग्राम खलीलपुर में	00-05-00
ग्राम स्योहारा में	01-10-00

ग्राम रफियाबाद के गाटा संख्या–8(ख)/0-17-0 खोला ग्राम समाज दर्ज है। शुगर मिल के कब्जे में है। ग्राम गिरधरपुर में गाटा संख्या–9(ख)/01-01-00, 14(ख)/00-07-00 तालाब के खाते में अंकित परन्तु स्थल पर रास्ता चलता है। गाटा संख्या–9(ख)/0-10-0 उत्तर में एवं गाटा संख्या 14(ख)/0-07-0 पर शुगर मिल द्वारा खुन्ती गाड़ कर 5 लाइनों में विभक्त कर दिया गया है जिसमें गन्ने की गाड़ियों के खड़े होने पर रास्ता स्योहारा दौलताबाद अवरुद्ध हो जाता है।

उपरोक्त ग्राम रफियाबाद के गाटा संख्या–8(ख) तथा ग्राम गिरधरपुर के गाटा सं० 9(ख), 14(ख) से कब्जा हटाये जाने हेतु कार्यवाही चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान प्राविधानित है।

जनपद अलीगढ़ की चीनी मिल साथा में गन्ना सुपरवाइजरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

63–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल साथा, अलीगढ़ में जून, 1997 में पेटर्न मेकर के एक पद, टाइपिस्ट के दो पद व गन्ना सुपरवाइजरों के कतिपय रिक्त पदों को विशेष अभियान द्वारा भरने की कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी सुलभ न होने के कारण पैटर्न मेकर तथा टाइपिस्ट के पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। गन्ना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति चीनी मिल संघ में निहित है, जिसके कारण मिल स्तर से नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं।

एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को समाप्त किये जाने के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 16 जून, 1999 को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अलीगढ़ की चीनी मिल साथा द्वारा अधिवक्ता श्री के० एस० चौहान को भुगतान की गयी फीस तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

64–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि साथा चीनी मिल, अलीगढ़ द्वारा व्यक्तिगत मुकदमा अपराध संख्या–291/90, 551/96 व 392/99 में उक्त मिल समिति के अधिवक्ता श्री के०एस० चौहान को फीस का बिल नं०–300, दिनांक 18-1-97 द्वारा श्री अरविन्द जैन श्रम/विधि अधिकारी की संस्तुति पर दिनांक 6-5-1999 को भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मुकदमा अपराध सं०–551/96 व 392/99 व्यक्तिगत मुकदमें नहीं हैं, जबकि चीनी मिल साथा में किसी भी वाद की संख्या–291/90 नहीं है। अधिवक्ता श्री के० एस० चौहान की फीस का भुगतान बिल नं०–300 दिनांक 10-1-97 द्वारा नहीं हुआ है। अपितु बिल संख्या–300 दिनांक 18-1-99 जो

रु० 85/- का था, जिसका भुगतान श्री अरविन्द जैन की संस्तुति पर नियमानुसार किया गया।

भुगतान देय था। अतः भुगतान किया गया।

कोई दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की चीनी मिल साथा में खाद्य गोदाम लिपिकों के रेग्युलर पदों पर सीजनल नियुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

65–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल साथा, अलीगढ़ में फरवरी, 1999 में खाद्य गोदाम लिपिकों के दस पदों में से नौ पदों की विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत सीजनल पद पर नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या संघ द्वारा जारी स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार यह पद सीजनल है ? यदि नहीं, तो रेग्युलर पदों को स्वेच्छा से सीजनल कर नियुक्ति प्रदान करने के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

संघ द्वारा जारी माडल स्टाफिंग पैटर्न में खाद्य गोदाम लिपिक का पद सीजनल अथवा रेगुलर होने का कोई भी उल्लेख नहीं है।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मऊ की बाल विकास पुष्टाहार परियोजना अधिकारी श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव के विरुद्ध मा० विधायक श्री जोखूलाल एवं वीरेन्द्र सिंह सोलंकी के शिकायती-पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

66–श्री दिलीप कुमार–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव बाल विकास पुष्टाहार परियोजना अधिकारी, रतनपुरा जनपद मऊ के विरुद्ध एक शिकायती पत्र माननीय विधायक जोखूलाल व वीरेन्द्र सिंह सोलंकी व अन्य द्वारा संलग्न सहित दिनांक 22-11-99 को सचिव, महिला कल्याण व मा० मंत्री बाल विकास पुष्टाहार को दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई जांच आख्या के अनुसार शिकायतें निराधार एवं तथ्यहीन पाई गईं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ी जाति घोषित जाट जाति को आरक्षण का लाभ दिये जाने की मांग

67–श्री शिव सिंह चक–

क्या सरकार की जानकारी में है कि जाट जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या इस जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला क्षेत्र में जल स्तर में गिरावट के कारण फसलों को सूखे से बचाने हेतु सरकारी नलकूप लगाये जाने की मांग

68–श्री शिव सिंह चक–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला के ब्लाक टूण्डला जनपद फिरोजाबाद में जल स्तर में गिरावट के कारण किसानों की फसलों की सिंचाई समय से न हो पाने के कारण फसलें सूख जाती हैं, जिससे किसानों का भारी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार टूण्डला ब्लाक के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक सरकारी नलकूप लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

लघु सिंचाई से प्राप्त सूचना के अनुसार विकास खण्ड–टूण्डला, जनपद–फिरोजाबाद के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है ।

जी नहीं । राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये जाने के फलस्वरूप जिला योजना में प्राविधान न होने के कारण नये राजकीय नलकूपों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है ।

जनपद रामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पैगम्बरपुर के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने की मांग

69–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद रामपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पैगम्बरपुर के भवन का निर्माण पिछले 8 वर्ष से विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उसके भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं । केवल श्रेणी–2 के आवास एवं चहारदीवारी को छोड़कर समस्त निर्माण कार्य पूर्ण है । जिला योजना से पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था न होने से आवश्यक धनराशि कई चरणों में स्वीकृत करने के कारण भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ।

चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य का पूर्ण होना जिला योजना से परिव्यय की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है ।

जनपद मैनपुरी में खरीफ एवं जायद फसल में सिंचाई की पड़ताल न होने से हुई करोड़ों रुपये की क्षति तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

70–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि खरीफ एवं जायद की फसल के सिंचाई की प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 20 नवम्बर तक होने वाली पड़ताल इस वर्ष 1999–2000 में नये संशोधन के बाद किस एजेंसी से करायी गयी है ? क्या यह सही है कि इस वर्ष प्रदेश के अधिकांश जनपदों में खास तौर से मैनपुरी में किसी एजेंसी ने पड़ताल नहीं किया है जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सींचपालों को पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में ग्राम पंचायतों में स्थापित कर दिया गया है तथा नहरों की सींच अंकन का कार्य लेखपालों द्वारा किया जाना है । लेखपालों द्वारा अंकित सींच के अनुसार प्रदेश के जनपदों जिनमें मैनपुरी भी सम्मिलित है, में सिंचाई विभाग द्वारा जमाबन्दी बनाने का कार्य किया गया है । सिंचाई विभाग द्वारा पड़ताल का कार्य करने हेतु अभिलेख लेखपालों से समय से उपलब्ध नहीं हो सके । राजस्व में इस वर्ष कमी के प्रति उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई विभाग में इसके लिए कोई दोषी नहीं है।

उत्तरांचल क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में ड्रग फैक्ट्री आल्पस इण्डिया लिमिटेड द्वारा दवाओं की आपूर्ति की जानकारी

71–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र की ड्रग फैक्ट्री आल्पस इण्डिया लि० अल्मोड़ा ने वर्ष 1998-99 में कुल कितनी लागत मूल्य के दवा का व्यवसाय किया है ? उक्त अवधि में उत्तरांचल क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में कितने पूंजी लागत की दवा उक्त कम्पनी से आपूर्ति की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

सार्वजनिक क्षेत्र की ड्रग्स फैक्ट्री आल्पस इण्डिया लि०, अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 1998-99 में कुल रु० 59,86,326.05 लागत मूल्य की दवा का व्यवसाय किया गया है ।

उक्त अवधि में रु० 34,09,539.50 की दवाएं उत्तरांचल क्षेत्र के शासकीय अस्पतालों में क्रय की गयी ।

जनपद सहारनपुर में स्थित पाबधौई तथा ढमोला नदियों की सफाई कराये जाने की मांग

72–श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर स्थित पाबधौई तथा ढमोला नदी की सफाई कब से नहीं करायी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त नदियों की सफाई न होने के कारण उसके जल में व्याप्त गन्दगी के कारण वहां के निवासियों में बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो उक्त दोनों नदियों की सफाई कब तक करवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अभिलेखों के अनुसार इन नदियों की सफाई नहीं कराई गयी है ।

सिंचाई विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विभाग द्वारा नदियों की सफाई नहीं करायी जाती है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में महिला उत्थान योजनान्तर्गत लाभान्वित महिलाओं का विवरण देने की मांग

73–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि महिलाओं के समग्र विकास हेतु 67 करोड़ रुपये की महिला उत्थान योजना प्रारम्भ की गयी है ? यदि हां, तो उसके अन्तर्गत जनपद

हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की कितनी महिलाओं को अब तक लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में लाभान्वित करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा वित्त पोषित स्वशक्ति परियोजना के अन्तर्गत प्रश्नगत निर्वाचन क्षेत्र की महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[दिनांक 29-3-2000 को अता०प्र०सं०–115 द्वारा उत्तरित ।

जनपद अम्बेडकर नगर, टाण्डा के ग्राम अशरफपुर पलाऊख में लिफ्ट कैनाल टूटने से जल भराव के कारण हुई क्षति हेतु किसानों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

75–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर में टाण्डा के ग्राम अशरफपुर पलाऊख के पास दिनांक 18-11-1999 को लिफ्ट कैनाल टूट जाने के कारण उक्त ग्राम में जल भराव हो गया था ? यदि हां, तो उक्त जल भराव के कारण कितनी फसलों की क्षति हुई तथा कितने मकान गिर गये थे ? क्या मंत्री जी फसलों को हुई हानि एवं मकानों की क्षति पूर्ति हेतु किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । टाण्डा पम्प नहर दिनांक 19-11-99 को टूटने से लगभग 18 घण्टे के लिये जल भराव हो गया था । इस जल भराव के कारण 8 हेक्टेयर में फसलों को आंशिक हानि हुई । कुछ छप्पर की कच्ची दीवार की क्षति हुई । मुआवजा दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है जो माह जून, 2000 तक निस्तारित होना सम्भावित है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ रजवहा की सफाई हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

76—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हाथरस में सिकन्दराराऊ के राजवाहे की सफाई किये जाने हेतु पिछले दो वर्षों में कितना धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1997-98 एवं 98-99 में क्रमशः 10.00 एवं रु० 10.00 लाख आवंटन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट में चिल्लीमल्ल पम्प कैनाल द्वारा नहर की सभी माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने की योजना की जानकारी

77—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट में चिल्ली मल्ल पम्प कैनाल की क्षमता कितने क्यूसेक है ? इस समय कितने क्यूसेक पानी नहर में चल रहा है ? क्या नहर को मुख्य

शाखा सहित सभी माइनरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या टेल तक पानी पहुंचाने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चिल्लीमल्ल पम्प कैनाल की क्षमता 120 क्यूसेक है ।

इस समय 80 क्यूसेक के दो पम्प चल रहे हैं ।

मुख्य नहर के टेल भाग के एक किलोमीटर तथा दो नहरें सुखल नहर के टेल भाग एवं भदेहदु माइनर नं०–2 पर पानी नहीं पहुंचा ।

तीसरा पम्प न चलने के कारण ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बजट में इस कार्य हेतु व्यवस्था नहीं है ।

78–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

{ न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

पिछड़े वर्गों में अन्य वर्गों को सम्मिलित करने सम्बन्धी जानकारी

79–श्री राम औतार शाक्य–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं तथा कौन-कौन सी अन्य जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जा रहा है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' की सूची में संशोधन किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है । सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा कुल अठहत्तर (78) जातियां उपरिलिखित अनुसूची–एक में समाविष्ट की जा चुकी है ।

वर्तमान समय में अन्य किसी जाति को उपर्युक्त अनुसूची एक में शामिल किया जाना शासन के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मथुरा के सिंचाई क्षेत्र को अपर कैनाल, आगरा से जोड़े जाने सम्बन्धी जानकारी

80–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के समस्त सिंचाई क्षेत्र को क्या अपर कैनाल, आगरा से जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दण्डात्मक कार्रवाई के अधिकार की मांग

81–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गठित अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयोग को दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का अधिकार दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई प्रस्ताव सम्प्रति शासन के विचाराधीन नहीं है ।

82–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अनुसूचित जाति की निर्धन लड़कियों की शादी हेतु अनुदान विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाई की जानकारी

83–श्री चेतराम–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-11-99 जो जनपद की अनुसूचित जाति के निर्धन पात्र व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान विषयक था, जिला समाज कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

उक्त संदर्भित पत्र में विधान सभा क्षेत्र पुवायां में प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची चाही गयी थी । उक्त सूची माननीय विधायक के स्थानीय प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की न्याय पंचायत ककराली में सरकारी ट्यूबवेल लगवाने की मांग

84–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला की न्याय पंचायत ककराली की ग्राम सभाओं में कोई भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त न्याय पंचायत का सर्वे कराकर सरकारी ट्यूबवेल लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित कर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में जिला योजना के अन्तर्गत नवीन नलकूपों के निर्माण हेतु प्राविधान नहीं किया जा रहा है ।

85–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[दिनांक 24-3-99 को अता०प्र०सं०–73 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत नहर की सिल्ट सफाई कराये जाने की मांग

86–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र विकास खण्ड मल्लावां के अन्तर्गत नहर जो पुरवावां से देवनपुर तक 3.90 कि०मी० है, की काफी समय

से सिल्ट सफाई न किये जाने के कारण कृषकों को वांछित सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त नहर की सिल्ट सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1999-2000 में पुरवावां माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य नहीं कराया गया है परन्तु रबी 1407 फसली में टेल तक पानी पहुंचा है एवं वर्तमान में पानी टेल तक पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत रजबाहा सोनहार ऐचामऊ की सिल्ट सफाई कराये जाने की मांग

87–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र स्थित रजबहा सोनहार ऐचामऊ से मदारपुर खुर्द तक की लम्बाई 23.60 कि०मी० है ? क्या उसकी मात्र दो कि०मी० की सिल्ट सफाई की गयी है ? क्या इसके कारण अभी भी टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की पूरी सिल्ट सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनंपद हरदोई के 91—मल्लावां विधान सभा क्षेत्र स्थित रजबाहा सोनहार की कुल लम्बाई 25.75 कि०मी० है ।

वर्ष 1999-2000 में इस रजबाहे की सिल्ट सफाई शीर्ष से कि०मी० 3.20 तक की गयी है तथा कि०मी० 10.00 से 25.75 तक की लम्बाई के मध्य डी० आर० डी० ए० हरदोई से प्राप्त धन से आन्तरिक सेक्शन सुधार का कार्य कराया गया है एवं आवश्यक स्थलों पर मरम्मत का कार्य कराया गया है तथा वर्तमान रबी में टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

वर्तमान में आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत गौतरा माइनर की सिल्ट सफाई कराये जाने की मांग

88–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज की गौतरा माइनर जो शहवदा से गौतरा तक 5.11 कि०मी० लम्बी है, की सिल्ट सफाई करवा कर कृषकों को वांछित सिंचाई सुविधा सरकार प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1999-2000 में गौतरा माइनर की शीर्ष से 2.50 कि०मी० तक सिल्ट सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मदर टेरेसा मेमोरियल मेडिकल कालेज के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

89–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री के आदेश सी०एम०/वि०को/एम–1/19814/प्रतापगढ़/99, दिनांक 20-1-1999 जो मदर टेरेसा मेमोरियल मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

इस पर जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निदेशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

90—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[दिनांक 2-5-2000 को अता०प्र०सं०–182 द्वारा उत्तरित]

91 व 92–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 29-3-2000 को अता०प्र०सं०–62 व 63 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

93—श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उपचारिकाओं के कितने पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्तमान समय में प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित 341 पद तथा पर्वतीय उपसंवर्ग में अन्य पिछड़े वर्ग के 72 आरक्षित पद कुल 413 पद रिक्त हैं ।

उपरोक्त रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के उपचारिका प्रशिक्षण प्राप्त अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पदों पर वर्तमान में नियुक्तियां किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद महोबा, चरखारी में स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय के जीर्ण-शीर्ण भवन के पुनर्निर्माण की मांग

94—डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में स्थित राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय भवन जो पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है एवं मरीजों के रुकने का कोई ठिकाना नहीं है, क्या नया भवन बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

चरखारी स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जीर्ण-शीर्ण है व अनुपयुक्त घोषित किया जा चुका है ।

जी हां । जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन तथा परिव्यय उपलब्धता के आधार पर आय-व्ययक में प्राविधान करा कर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में डा० एस० पी० मुखर्जी अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में संगठन मंत्री भारतीय विकलांग क्लब के शिकायती-पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

95—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित डा० एस० पी० मुखर्जी अस्पताल में आम निर्धन मरीजों को उचित दवा एवं पैथालोजी व एक्सरे जांच की सुविधा न दिये जाने एवं अस्पताल प्रशासन के अधीक्षक से सम्बद्ध चिकित्सकों के अभद्र व्यवहार किये जाने के विरुद्ध श्री केदार सिंह नेगी एडवोकेट संगठन मंत्री भारतीय विकलांग क्लब का पत्र दिनांक 29-5-1999 मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच निदेशक स्तर के अधिकारी से कराये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में घाटे में चल रही गन्ना समितियां तथा गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किये जाने की मांग

96–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर की कौन-कौन सी गन्ना समितियां घाटे में है ? क्या यह सही है कि उक्त जिले की चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान उक्त गन्ना समितियों को किये जाने के बावजूद, गन्ना समितियों ने किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है ? क्या वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में मिल से सीधे भेजने की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? गन्ना समितियों पर गत वर्ष के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद कुशीनगर की गन्ना समिति छितौनी, खड्डा, बोदरवार, लक्ष्मीगंज, कठकुइयां, पडरौना, रामकोला (के), रामकोला (पी), दुदही, कसया तथा हाटा समितियां घाटे में हैं ।

चीनी मिल सेवरही, रामकोला (पी), रामकोला (के), लक्ष्मीगंज, खड्डा एवं छितौनी द्वारा गन्ना के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है । चीनी मिल कठकुइयां, पडरौना एवं कप्तानगंज द्वारा कतिपय वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना समितियों को नहीं किया गया है । गन्ना समिति दुदही, छितौनी, बोदरवार, हाटा, रामकोला (पी), पडरौना, रामकोला (के), खड्डा लक्ष्मीगंज, सेवरही एवं कसया द्वारा चीनी मिलों से समस्त गन्ना मूल्य प्राप्त कर लेने के उपरान्त कृषकों का गन्ना मूल्य आंशिक रूप से अवशेष है । गन्ना समितियों द्वारा व्यावर्तित की गयी गन्ना मूल्य धनराशि को प्राप्त होने वाले कमीशन से भुगतान करने के आदेश शासन द्वारा दे दिये गये हैं । गन्ना समिति कप्तानगंज एवं तरया सुजान द्वारा प्राप्त समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान कृषकों को कर दिया गया है ।

निम्न पद रिक्त हैं ।

1—वरिष्ठ लिपिक	एक पद
2—कनिष्ठ लिपिक	एक पद
3—चपरासी	एक पद
4—सफाई कर्मचारी	एक पद

जी हां ।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा वर्ग ''ग'' के अनुसार एक्सरे टेक्नीशियन/लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां करने की मांग

112—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माह जून, 1999 में चयनित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा में ''वर्ग–ग'' के अन्तर्गत लैब टेक्नीशियन और एक्स-रे टेक्नीशियन दोनों पदों पर नियुक्ति की समान शर्तें लागू हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्तियां स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ० प्र० लखनऊ में रजिस्ट्रेशन के बिना ही कर ली गयी हैं और लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां अभी तक नहीं की गयी हैं ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ से पंजीयन कराकर पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रेषित न किये जाने के कारण नहीं की जा सकी है ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ द्वारा वर्ग ''ग'' में चयनित लैब टेक्नीशियनों को नियुक्त न करने की जानकारी

113—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़ द्वारा दिया गया प्रोफैशनल कोर्स का डिप्लोमा केन्द्र सरकार द्वारा एक्ट नं०–एक्स०एल० 1920 पैरा–6 के अनुसार मान्यता प्राप्त है और ए०एम०यू० अमेन्डमेन्ट एक्ट 1981 (62 आफ 1981) के अनुसार यह कोर्स एक्ट आफ पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में पंजीकरण की शर्त आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो मार्च, 1999 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ द्वारा ''वर्ग–ग'' के अन्तर्गत लैब टेक्नीशियन पद पर मार्च, 1999 में चयनित उम्मीदवारों की अभी तक नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

12-11-99 द्वारा पेराई सत्र 1999-2000 से न चलाये जाने तथा स्थाई रूप से बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त चीनी मिलें वर्ष 1999-2000 से बन्द होने के कारण पेराई कार्य नहीं कर रही हैं। कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए मिल क्षेत्र के समस्त गन्ना आस-पास की अन्य मिलों को गन्ना खरीद हेतु गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा अभ्यर्पित किया गया है।

उक्त चीनी मिलों को पुनरुद्धार कराके पुनः चालू कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज आदि कतिपय चीनी मिलों पर किसानों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान कराने की मांग

99–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर की चीनी मिल, कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज, पडरौना, कठकुइयां, रामकोला खेतान पर वर्तमान पेराई सत्र, 1999–2000 का कितना-कितना- किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया है तथा उसका कब तक ब्याज सहित भुगतान करा दिया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद कुशीनगर में पांच चीनी मिलों के सम्बन्ध में पेराई सत्र 1999-2000 में दिनांक 22-4-2000 तक के गन्ना मूल्य अवशेष की स्थिति निम्नवत् है :—

(लाख रु० में)

पेराई सत्र, 1999-2000 में चलायी जा रही चीनी मिलें	अवशेष गन्ना मूल्य
1—कप्तानगंज	1141.99
2—लक्ष्मीगंज	432.75
3—रामकोला (के)	343.36
4—पडरौना	शून्य
5—कठकुइयां	शून्य

पडरौना तथा कठकुइयां चीनी मिलें पेराई सत्र 1999-2000 में नहीं चली हैं।

चीनी मिल कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज, रामकोला (के) का पेराई सत्र चल रहा है और उनके द्वारा भुगतान बराबर किया जा रहा है। सत्र के दौरान कुल देय गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

जनपद बलरामपुर में उतरौला के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र की एक्सरे मशीन चालू कराये जाने की मांग

100–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत उतरौला के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन बिना चालू हुई वर्ष 1998 से चिकित्सालय में रखी है ? यदि हां, तो उक्त मशीन कब तक चालू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री

जी हां।

रेडियोलाजिस्ट तथा एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के सृजन तथा उन पर तैनाती हो जाने पर एक्सरे मशीन चालू कर दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में जिला प्रोवेशन कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक की अनियमित नियुक्ति को समाप्त करने तथा दोषीजन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

101–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, बहराइच के आदेश संख्या–217–24/प्रो०स्था०/94-95, दिनांक 1-7-1994 द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्राधिकार न होते हुए भी जिला प्रोवेशन कार्यालय में नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमित नियुक्ति को समाप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

संबंधित कार्मिक की नियुक्ति दिनांक 27-12-99 को समाप्त कर दी गयी है । जहां तक नियुक्तिकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न है, प्रकरण नियुक्ति विभाग को संदर्भित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल द्वारा राजकीय निराश्रित कार्यशाला, जगदीशपुर, सुल्तानपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनियमित नियुक्ति को समाप्त किये जाने की मांग

102–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि उप निदेशक, समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद ने अपने आदेश संख्या 13-18-उ०नि०स०क०/94-95, दिनांक 5-12-94 द्वारा राजकीय निराश्रित कार्यशाला, जगदीशपुर, सुल्तानपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति की है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1991 में उप निदेशक को नियुक्ति प्राधिकार नहीं था ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या अनियमित नियुक्ति को समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

संबंधित अधिकारी को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1224/26-1-2000-4(66)/98टी०सी०, दिनांक 19-4-2000 द्वारा निलम्बित करते हुए आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है ।

सम्बन्धित कार्मिक की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, महिला कल्याण के आदेश संख्या–4978-86/ म०क० निदेशक/स्था०/1999-2000, दिनांक 27-12-99 द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के लेडी लायल अस्पताल (महिला) की उपचारिकाओं के वेतन भुगतान की मांग

103–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के लेडी लायल अस्पताल (महिला) की उपचारिकाओं को वर्ष 1989 दिसम्बर का वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वेतन भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? कब तक उक्त वेतन भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

लेडी लायल महिला चिकित्सालय, आगरा की उपचारिका संवर्ग की कर्मियों के दिनांक 6-12-88 से 3-1-89 तक स्थानीय मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल पर होने के कारण वेतन भुगतान नहीं किया गया था ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र दिनांक 01-03-2000 द्वारा आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

लखनऊ के डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में टी० बी० रोगियों हेतु अलग वार्ड की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी जानकारी

104–श्री संजय गर्ग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में क्या टी० बी० के रोगियों को रखने के लिए अलग से वार्ड की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो कब तक इसकी व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, मेडिकल वार्ड के बाहर क्लोज बरामदे में क्षय रोगियों के उपचार हेतु 10 शैय्याओं की अलग से व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई, शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंगनपुर में डाक्टर की नियुक्ति करने सम्बन्धी जानकारी

105–श्री बाबू खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड भरखनी के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंगनपुर में ढाई साल से डाक्टर का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंगनपुर, हरदोई पर पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी तैनात है ।

जनपद हरदोई, शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत जिला गन्ना सोसाइटी द्वारा काश्तकारों से वसूल किये गये धन से निर्मित सड़कों की जानकारी

106–श्री बाबू खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किट प्लाई इण्टस्ट्रीज शुगर यूनिट रूपापुर ने पिछले 4 वर्षों में एक करोड़ बीस लाख

कुन्तल गन्ना काश्तकारों से खरीदा था ? क्या उसमें एक रुपया प्रति कुन्तल की दर से काश्तकारों से सड़क निर्माण हेतु जिला गन्ना सोसाइटी में वसूल किया गया था ? यदि हां, तो वसूले गये धन का उपयोग किन सड़कों के निर्माण में किया गया ? शेष धन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

जनपद हरदोई के 89 शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किट फ्लाई इण्डस्ट्रीज शुगर यूनिट रूपापुर ने पिछले 4 वर्षों में कुल 87.67 लाख कुन्तल गन्ने की खरीद काश्तकारों से की ।

जी नहीं ।

रूपापुर गन्ना समिति के अन्तर्गत आने वाले काश्तकारों से 0.40 पैसे प्रति कुन्तल की दर से 47.72 लाख कुन्तल की आपूर्ति पर रु० 19.07 लाख सड़क निर्माण के मद में वसूल किया गया तथा हरदोई (गेट) समिति के अन्तर्गत आने वाले काश्तकारों से केवल वर्ष 1998-99 में 0.25 पैसे प्रति कुन्तल की दर से 4.50 लाख कुन्तल गन्ने की आपूर्ति पर रु० 1.13 लाख सड़क निर्माण के मद में वसूल किया गया, जबकि हरदोई ग्रेवर समिति से विगत 4 वर्षों में कोई कटौती नहीं की गयी । इस प्रकार सड़क निर्माण के मद में कुल रु० 20.20 लाख वसूल किया गया ।

वसूल की गयी धनराशि रु० 20.20 लाख का उपयोग निम्न सड़कों के लिए किया गया :—

1—पाली पचदेवरा मार्ग से विन्धैका माफी सम्पर्क मार्ग ।

2—पाण्डेयपुर से विन्धैया सम्पर्क मार्ग ।

3—पाली से बाबरपुर सम्पर्क मार्ग ।

4—पाली पचदेवरा से भरखनी सम्पर्क मार्ग ।

5—पाण्डेयपुर से मुडेर सम्पर्क मार्ग पर 5 पुलियों का निर्माण ।

6—कुदेरपुर से कुतुलुपुर से सम्पर्क मार्ग ।

7—कुतुलुपुर से अमृतपुर मार्ग ।

8—उत्तरावर्मा सम्पर्क मार्ग ।

9—भरिगवां से हरसिंहपुर मार्ग ।

10—चीनी मिल गेट से विन्धैया मार्ग ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक होम्योपैथिक, उत्तर प्रदेश द्वारा, राजकीय लालबहादुर शास्त्री होम्योपैथिक कालेज इलाहाबाद के लूटे गये वेतन के आहरण हेतु लेखा शीर्षक आवंटित करने विषयक शासन को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाई की जानकारी

107–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 का पत्रांक 1904/सेक–4/इकहत्तर/99-134/99, दिनांक 22 जुलाई, 1999 जो राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इलाहाबाद के समस्त स्टाफ के माह नवम्बर, 1996 के लूटे गये वेतन की धनराशि रु० 1,15,705 के पुनः आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में है, निदेशक, होम्योपैथिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या निदेशक, होम्योपैथिक का उक्त

धनराशि के आहरण हेतु लेखा शीर्षक आवंटित करने हेतु कोई पत्र शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त धन को कब तक वितरित कर दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं । निदेशक द्वारा लेखा शीर्षक–8550–सिविल अग्रिम–01 दुर्विनियोग, गबनों (घटती) व्यवहरण के अन्तर्गत धनराशि आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया था । इस हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1,18,705/- का पुनर्आहरण कर सम्बन्धित कर्मियों को दिनांक 24-3-2000 को भुगतान कर दिया गया है ।

सिंचाई विभाग के कतिपय खण्डों में लेखा रिपोर्ट महालेखाकार को समय से उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाई की मांग

108–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के जिन 92 खण्डों द्वारा मार्च, 1997 का लेखा निर्धारित समयान्तर्गत महालेखाकार को उपलब्ध नहीं कराया गया था, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिनांक 19-6-1997 को दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग का अ०शा० पत्रांक–जी–2156, दिनांक 4-5-1998 प्रसारित करके निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उनमें दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उत्तरदायी अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण अभी सभी अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुआ है। स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी में यू० पी० एग्रो तथा नलकूप निगम द्वारा इण्डिया मार्का- 2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाई की जानकारी

109–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में यू० पी० एग्रो तथा नलकूप निगम द्वारा गलत तरीके से इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापन किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/ एम–1/27055/ मैनपुरी/99, दिनांक 23-10-99 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जून, 99 में यू० पी० एग्रो द्वारा स्थल चयन में राय न लिये जाने की जांच करायी जा रही है। जहां तक दिशा-निर्देश में संशोधन का प्रश्न है । विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत शासनादेश दिनांक 6-8-99 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित कराये जा रहे इण्डिया मार्का–2

हैण्ड पम्पों के स्थल चयन का अधिकार अब वाह्य सहायतित परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए समस्त योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को जल प्रबन्धन समिति को होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के माननीय सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद् को उनके विवेकानुसार चयनित स्थलों पर 50-50 हैण्ड पम्प भारत स के मानकों के अन्तर्गत अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है।

मे० माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिल्ली सरकार को बच्चों के वितरण हेतु कम भाव पर बिस्कुट बेचे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

110. श्री अक्ष नाल तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या ता एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मे० माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज से बच्चों को वित करने हेतु बिस्कुट किस भाव से खरीदा जा रहा है ? क्या यही बिस्कुट इसी संस्था द्वारा दिल्ली सरकार को रु० 9 (नौ रुपये) कम के भाव से बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस अनुबन्ध के लिए जिससे प्रदेश सरकार को नुकसान हो रहा है, उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज से रु० 30.90 (सभी करों सहित) प्रति किलोग्राम की दर से बिस्कुट क्रय किया जा रहा है।

जी नहीं। माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज द्वारा यह बिस्कुट दिल्ली सरकार को नहीं बेचा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य विकलांग जन आयुक्त कार्यालय/न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

111.—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकलांग जन एक्ट 1995 के तहत नियुक्त राज्य "विकलांग जन आयुक्त" के न्यायालय में कितने उपायुक्त एवं रीडर, मुनसरिम, लिपिक अर्दली तथा चपरासी वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

विकलांग जन आयुक्त कार्यालय/न्यायालय में वर्तमान में निम्न अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं :—

1—उपायुक्त	एक पद
2—आशुलिपिक	एक पद
3—विधि सहायक	एक पद
4—वाहन चालक	एक पद
कुल	चार पद

निम्न पद रिक्त हैं ।

1––वरिष्ठ लिपिक एक पद

2––कनिष्ठ लिपिक एक पद

3––चपरासी एक पद

4––सफाई कर्मचारी एक पद

जी हां ।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा वर्ग ''ग'' के अनुसार एक्सरे टेक्नीशियन/लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां करने की मांग

112––श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माह जून, 1999 में चयनित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा में ''वर्ग–ग'' के अन्तर्गत लैब टेक्नीशियन और एक्स-रे टेक्नीशियन दोनों पदों पर नियुक्ति की समान शर्तें लागू हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्तियां स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ० प्र० लखनऊ में रजिस्ट्रेशन के बिना ही कर ली गयी हैं और लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां अभी तक नहीं की गयी हैं ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ से पंजीयन कराकर पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रेषित न किये जाने के कारण नहीं की जा सकी है ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ द्वारा वर्ग ''ग'' में चयनित लैब टेक्नीशियनों को नियुक्त न करने की जानकारी

113––श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़ द्वारा दिया गया प्रोफैशनल कोर्स का डिप्लोमा केन्द्र सरकार द्वारा एक्ट नं०–एक्स०एल० 1920 पैरा–6 के अनुसार मान्यता प्राप्त है और ए०एम०यू० अमेन्डमेन्ट एक्ट 1981 (62 आफ 1981) के अनुसार यह कोर्स एक्ट आफ पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में पंजीकरण की शर्त आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो मार्च, 1999 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ द्वारा ''वर्ग–ग'' के अन्तर्गत लैब टेक्नीशियन पद पर मार्च, 1999 में चयनित उम्मीदवारों की अभी तक नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ में श्रीमती उषा किरण पाण्डेय, मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना रतनपुरा के विरुद्ध अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निदेशक, बाल विकास एवं महिला कल्याण को प्रेषित पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

114—श्री अक्षयवर लाल–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ऊषा किरण पाण्डे (मु०से०) बाल विकास परियोजना, रतनपुरा जनपद मऊ द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों से अवैध धन की वसूली धोखाधड़ी करने, अनु० जाति के कार्यकत्रियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने अनुशासनहीनता एवं अन्य भ्रष्टाचार से सम्बन्धित ज्येष्ठ लेखा प्रमुख क्षेत्र पंचायत समिति रतनपुरा जनपद मऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 2-10-1999 रजि० डाक द्वारा जिलाधिकारी जनपद मऊ आयुक्त, आजमगढ़, निदेशक, बाल विकास एवं महिला कल्याण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

प्राप्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच कराये जाने के उपरान्त श्रीमती उषा किरण पाण्डे, मुख्य सेविका के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में मुख्य अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

115—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में दो मुख्य अभियन्ता पूर्वी एवं पश्चिमी के पद स्वीकृत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों पद दो वर्ष से रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116—श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 29-3-2000 को अता० प्र० सं०–60 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ कैन्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी में अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाई की मांग

117—श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कैन्ट रोड स्थित कैनाल कालोनी उपनिवेश में सरकारी भवनों/सम्पत्तियों पर वर्तमान में अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर के पत्रांक–8070, दिनांक 27-11-99 पर दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रकरण में उचित कार्यवाही की जा रही है, जिसे शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में देवकली पम्प कैनाल प्रथम में करमाताल ड्रेन एवं पुलिया निर्माण की जांच तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

118—श्री गणेश राजभर–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद में देवकली पम्प कैनाल प्रथम के अन्तर्गत करमाताल ड्रेन एवं पुलिया निर्माण के कार्य हेतु धन आहरित हो जाने के बाद निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद में देवकली पम्प कैनाल खण्ड–प्रथम के अन्तर्गत करमाताल नाम की कोई ड्रेन सिंचाई विभाग के अभिलेखों में नहीं है । करमाताल से कलवरा ड्रेन निकलती है । इस ड्रेन पर वर्ष 1998-99 में ग्राम विकास अभिकरण गाजीपुर से प्राप्त धनराशि से कार्य कराया गया है । कलवरा ड्रेन पर पुलिया निर्माण हेतु कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है । जहूराबाद विधान सभा क्षेत्र में हसनपुर से धरवा तक ड्रेन तथा गरार ड्रेन पर पुलिया निर्माण हेतु ग्राम्य विकास अभिकरण से धन प्राप्त हुआ है । हसनपुर से धरवा तक ड्रेन पर पुलिया निर्माण का कार्य कराया गया है तथा गरार ड्रेन पर कार्य प्रगति में है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ द्वारा शासनादेश के विरुद्ध दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

119—श्री गोपाल कृष्ण–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ ने कार्मिक विभाग के उन शासनादेशों को जिनके द्वारा वर्ष में 240 दिन या उससे अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सेवा से न हटाये जाने के आदेश हैं, की अवहेलना करते हुए आयोग में कई वर्षों से कार्यरत 8 कर्मियों को जिनमें एक अनुसूचित जाति का भी कर्मी है 2 नवम्बर, 99 से सेवा से हटा दिया गया है ? क्या यह सही है कि इनसे जूनियर 5 कर्मियों को नहीं हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कार्मिक विभाग के शासनादेश का पालन करते हुए उक्त 8 कर्मियों को नवम्बर, 99 से ही सेवा में प्रतिस्थापित कराकर उन्हें नियमित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

प्रश्न में संदर्भित कार्मिक विभाग का तद्विषयक कोई शासनादेश विद्यमान नहीं है, अतएव उसकी अवहेलना किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । यह सही है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कार्यरत प्रश्नगत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों से कार्य लिया जाना बन्द कर दिया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में विचाराधीन है । आयोग के स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश/निर्णय होने तक इस मामले में किसी प्रकार का प्रशासनिक निर्णय लिया जाना विधिसम्मत नहीं पाया गया है ।

120—श्री श्याम देव राय चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत फिरोजपुर माइनर की सिल्ट सफाई कराये जाने की मांग

121—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फिरोजपुर माइनर जिसकी लम्बाई 9.30 कि०मी० है, की सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ? क्या सरकार पूरे माइनर की सिल्ट सफाई कराने का आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, फिरोजपुर माइनर पर शीर्ष से 3.0 कि०मी० तक सफाई का कार्य कराया गया है जिससे टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरीर के आयुर्वेदिक डाक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा कृत कार्रवाई की जानकारी

122—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरीर के आयुर्वेदिक डाक्टर दिनेश चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध कतिपय शिकायतों के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक– सी०एम०/वि०को०/एम–1/220998/मथुरा/99. दिनांक 6-4-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

संदर्भगत पत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में पैक्स फेड कार्यदायी संस्था द्वारा सांसद निधि/विधायक निधि से व्यय किये गये धन की जांच की मांग

123–श्री तेजभान सिंह तथा श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि शासन के निर्देशों के विरुद्ध सांसद निधि एवं विधायक निधि के धन का उपयोग निर्माण कार्यों पर न कराकर सुल्तानपुर जनपद में पैक्स फैड द्वारा कर्मचारियों का वेतन, जीप का किराया, कार्यालय किराया, स्टेशनरी व्यय तथा यात्रा व्यय आदि में व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विधायक निधि के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–ए–2/18/दस-99–17(4)/75. दिनांक 24 मार्च, 1999 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण

कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्ज की धनराशि कार्यदायी संस्था पैक्सफैड को मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी परन्तु शासन स्तर से यह संज्ञान में आने के उपरान्त कि विधायक निधि के अन्तर्गत सेन्टेज चार्ज देय नहीं है, उक्त मद में अवमुक्त धनराशि के उपभोग पर दिनांक 4 फरवरी, 2000 को रोक लगा दी गयी थी एवं 16 मार्च, 2000 को धनराशि वापस करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर आवश्यकता नहीं है।

जनपद चित्रकूट, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

124–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चित्रकूट में एक-एक पद के विरुद्ध दो अवर अभियन्ता एवं दो लेखाकार कार्यरत हैं और वेतन आहरित कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस वित्तीय अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां। वर्तमान में एक अतिरिक्त अवर अभियन्ता जिसको जनपद–कन्नौज से सम्बद्ध किया गया है वह मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। जहां तक लेखाकार का प्रश्न है एक ही लेखाकार कार्यरत है।

इसकी जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में वरिष्ठता/ज्येष्ठता सूची नियमावली के अनुसार अन्तिम रूप से प्रकाशित करने की मांग

125–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची नियमावली के अनुसार कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सूची कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं।

अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही अग्रसर है। आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय के वर्तमान अधीक्षक डा० एस० पी० सिंह के विरुद्ध सतर्कता जांच रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर कृत कार्रवाई की जानकारी

126—डा० कौशल किशोर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर के वर्तमान अधीक्षक डा० एस० पी० सिंह के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो

जांच रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर उक्त अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

सतर्कता विभाग द्वारा कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में खुली जांच के आदेश सतर्कता अधिष्ठान को दिये गये हैं ।

जांच आख्या प्रशासकीय विभाग में अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127—श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 6-4-2000 को अता० प्र० सं०–153 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत बरहस माइनर की सिल्ट सफाई कराये जाने की मांग

128—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज की बरहस माइनर जो बरहस से अटवा अलीमदानेपुर तक 5.10 कि०मी० है की केवल 2.50 कि०मी० तक ही सिल्ट सफाई करायी गयी है जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे माइनर की सिल्ट साफ कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में बरहस माइनर की सफाई नहीं करायी गयी है, परन्तु पानी टेल तक पहुंच रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत फिरोजपुर माइनर की सिल्ट सफाई कराये जाने की मांग

129—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज में फिरोजपुर माइनर जो फिरोजपुर से सधरा तक 9.00 कि०मी० है, की केवल 1.00 कि०मी० तक ही सिल्ट सफाई का कार्य प्रस्तावित किया गया है जिससे सिंचाई का अपेक्षित लाभ कृषकों को नहीं प्राप्त हो सकेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सम्पूर्ण लम्बाई की सिल्ट साफ कराये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, फिरोजपुर माइनर की कुल लम्बाई 9.061 कि०मी० है । शीर्ष से 0.90 कि०मी० में सफाई कार्य की आवश्यकता थी । जिसे करा दिया गया है । नहर के टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत पहुंतेरा माइनर की सिल्ट साफ कराये जाने की मांग

130—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां वि० सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधोगंज की पहुंतेरा माइनर जो पहुंतेरा से अटवा अलीमदानेपुर तक 8.40 कि०मी० लम्बी है, में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए माइनर की पूरी लम्बाई की सिल्ट साफ कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पहुंतेरा माइनर में कि०मी० 0.0 से कि०मी० 8.4 तक सफाई करायी गयी है । पानी टेल तक पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद तथा स्नातकोत्तर उपाधिधारक चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी

131—डा० अशोक बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के कुल कितने पद सृजित हैं और कुल कितने चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं ? उनमें से कितने चिकित्साधिकारी स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के कुल 2467 पद सृजित हैं और 2224 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं । उनमें से 110 चिकित्साधिकारी स्नातकोत्तर उपाधिधारक हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बड़े नगरों में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक चिकित्साधिकारियों को वरीयता दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी

132—डा० अशोक बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पन्द्रह शैय्या से अधिक एवं प्रदेश के बड़े नगरों में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक चिकित्साधिकारियों की तैनाती में वरीयता दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसको कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ में शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पंचकर्म योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र में एक ही पद पर दो चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाई की मांग

133–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ में स्थित पंच कर्म योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र में चिकित्साधिकारी का एक पद सृजित है और दो व्यक्ति कई वर्षों से तैनात हैं और वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । एक चिकित्साधिकारी को स्थानांतरित किया जा रहा है । निदेशक, आयुर्वेद से वेतन आहरण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जा रही है । निदेशक की आख्या के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में पैथालॉजिस्ट के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

134–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में पैथालॉजिस्ट का पद कई वर्षों से रिक्त है ? क्या यह सही है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एम–127/71-2-99–43/93, दिनांक 6 मई, 1999 द्वारा एक डिमांस्ट्रेटर (पद समूह–'ग' राजपत्रित) को पैथालॉजिस्ट (पद राजपत्रित समूह 'ख') का कार्यभार सौंपा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? उक्त रिक्त पद कब तक भर लिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6-5-99 द्वारा एक डिमांस्ट्रेटर (पैथालॉजी) को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने तक अपने पद के कार्यों के साथ-साथ राजकीय आर्युद कालेज लखनऊ में पैथालॉजिस्ट के रिक्त पद के कार्यों को संपादित करने हेतु अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है ।

लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत पैथालॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति की जायेगी ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ० प्र० में आशुलिपिक संवर्ग का एकीकृत संवर्ग गठित कर वरिष्ठता के अनुसार वेतनमान दिये जाने की मांग

135–डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के सन्दर्भ में वित्त विभाग से जारी शासनादेश संख्या–वे०आ०–1–1311/दस–101(एम)/98, दिनांक 16 जुलाई, 1993 के संलग्नक–II के प्रस्तर–5 का अनुपालन करते हुए क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ० प्र० के आशुलिपिक संवर्ग का एकीकृत संवर्ग गठित कर दिया गया है ? क्या आशुलिपिक संवर्ग को तदनुसार वरिष्ठता के अनुसार वेतनमान दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन सचिव, वित्त विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या-वे०आ०–1-1311/दस-101(एम)/89, दिनांक 16 जुलाई, 1993 के संलगनक–11 के प्रस्तर 5 में दिये गये सुझाव

के सन्दर्भ में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिकों का एकीकृत संवर्ग गठित करने हेतु सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री राम नक्षत्र–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।

श्रीमती प्रेमा देवी को आवंटित इन्दिरा आवास का पैसा प्रधान द्वारा हड़पने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

137–श्री नेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्रीमती प्रेमा पत्नी स्व० कन्धई, ग्राम कोटवा (कॉया) ब्लाक बल्दीराय, जनपद–सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-12-1999 जो प्रार्थिनी को आवंटित इन्दिरा आवास का पैसा प्रधान द्वारा हड़पने तथा इन्दिरा आवास का निर्माण न कराने से सम्बन्धित है, प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच कब और किस अधिकारी ने की है ? क्या जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

श्रीमती प्रेमा देवी के शिकायती पत्र पर जांच श्री राम धीरज मिश्र, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 18-12-99 को की गयी । जांच आख्या का परीक्षण किया गया । जांच संतोषजनक नहीं पायी गयी । पुनः जांच हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एपेक्स तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (मुख्यालय), ग्राम्य विकास विभाग तथा मण्डलीय तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ में कार्मिकों को पदानुरूप वेतनमान दिये जाने की मांग

138–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "एपेक्स तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (मुख्यालय), ग्राम्य विकास विभाग" तथा "मण्डलीय तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ" के लिए शासनादेश संख्या–370 डी/38-2-98(157)/97, दिनांक 28 जुलाई, 1998 द्वारा स्वीकृत पदो एवं वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों को पदानुरूप वेतनमान दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

टी०ए०सी० के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिक अपने पद सहित स्थानान्तरित किये गये हैं । टी०ए०सी हेतु निर्धारित वेतनमान में भिन्नता होने के कारण वेतनमान नहीं दिया जा रहा है । प्रकरण में वित्त विभाग की राय ली जा रही है, तत्पश्चात यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बस्ती विकास खण्ड साउघाट के ग्राम सरैया में सरजु नहर पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

139–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड साऊघाट में ग्राम सरैया की सड़क पर जहां मुख्य सरजू नहर काटती है उस स्थान पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध मे प्रश्नकर्ता

का पत्र दिसम्बर, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पुल के-परिकल्पन का कार्य कर लिया गया है ।

140–श्री राधेश्याम सिंह–

(मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।)

141 श्री उबैदुर्रहमान–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

142 श्री उबैदुर्रहमान–

(दिनांक 6-4-2000 को अता० प्र० सं०–154 द्वारा उत्तरित)

जनपद हाथरस में न्याय पंचायत गिरौली कलां को ब्लाक सिकन्दराराऊ से जोड़ने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

143–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्याय पंचायत गिरौली कलां जनपद हाथरस को ब्लाक सिकन्दराराऊ से जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-3-1999 पर उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, ग्राम्य विकास को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

विकास खण्डों/क्षेत्र पंचायतों के परिसीमन/पुनर्गठन सम्बन्धी अधिकार निदेशक, पंचायती राज को प्रतिनिधानित कर दिये गये हैं । अतः समुचित प्रस्ताव सीधे निदेशक पंचायती राज को भेजने हेतु, जिलाधिकारी, हाथरस को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में मुख्यालय से सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ताओं को मण्डल में तैनात किये जाने की मांग

144–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में वर्तमान समय में कितने अधीक्षण अभियन्ता के पद स्वीकृत हैं ? विभिन्न मण्डलों में कौन-कौन अधीक्षण अभियन्ता कहां-कहां तैनात हैं ? क्या यह सत्य है कि अधिकतर अधीक्षण अभियन्ताओं को मुख्यालय से सम्बद्ध कर रखा गया है जिससे जनपदों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो उनको मण्डलों पर कब तक तैनात कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के कुल–15 पद स्वीकृत हैं ।

परिमण्डलों में तैनात अधीक्षण अभियन्ताओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

1—परिमण्डल–	गोरखपुर	श्री वी० के० भट्टाचार्य
2— ,,	वाराणसी	श्री आर० पी० बिरला
3— ,,	फैजाबाद	श्री एस० के० सिंह
4— ,,	लखनऊ	श्री आर० सी० श्रीवास्तव

5— ,, झांसी श्री एस० एस० गंगवार
6— .. आगरा श्री पी० एस० पाण्डेय
7— ,, बरेली श्री एन० के अग्रवाल
8— ,, नैनीताल श्री डी० सी० सक्सेना
9— .. कानपुर श्री बी० के० तिवारी
10— मानीटरिंग सेल मुख्यालय श्री पी० एल० भण्डारी

जी नहीं ।

मात्र एक अधीक्षण अभियन्ता श्री एम० एस० खान जिनके विरुद्ध विभिन्न प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाहियां चल रही हैं, को मुख्यालय पर बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है । इनकी तैनाती के संबंध में शासकीय हित तथा व्यापक जनहित में यथा समय गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

145–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

जनपद जौनपुर में विगत वर्षों में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन प्रमुख/मुख्य अभियन्ता से कराये जाने की मांग

146–श्री अफजाल अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में 2 जनवरी, 1997 से 31-10-99 के मध्य ड्रेन (नाला) का निर्माण अथवा मरम्मत किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन प्रमुख/मुख्य अभियन्ता द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

सिंचाई विभाग में ड्रेनों के निर्माण अथवा मरम्मत कार्यों का भौतिक सत्यापन प्रमुख/मुख्य अभियन्ता द्वारा सामान्यतः किये जाने का प्राविधान नहीं किया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

147–श्री अफजाल अहमद–

क्या खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 जो खादी ग्रामोद्योग उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)–

जी नहीं ।

पत्र में उल्लिखित प्रथम एवं तृतीय बिन्दु पर उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कार्यवाही कर ली गयी है । बिन्दु सं०–2 के संबंध में अवगत कराना है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी आयोग से प्राप्त धनराशि से वितरित ऋण/ब्याज को माफ करने का अधिकार नहीं है । बिन्दु सं०–4 में उल्लिखित ग्राम सिद्दीकपुर को गांधी गांव के रूप में विकसित करने के लिए ग्राम्य विकास विभाग से अनुरोध कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय पिछड़े क्षेत्रों में मानक के अनुरूप हैण्डपम्प स्थापित किये जाने की मांग

148–श्री भाई लाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के पिछड़े क्षेत्र छानबे, हलिया, लालगंज, मड़िहान विकास खण्डों में मानक के अनुरूप हैण्ड पम्प स्थापित हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्रों में मानक के अनुसार हैण्ड पम्प कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

अवशेष मजरों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर पेयजल से संतृप्त कर दिये जाने का लक्ष्य है ।

149–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 30-3-2000 को अता० प्र० सं०–75 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौला श्रीदत्तगंज आदि में मानक व गुणवत्ता के अनुरूप नलकूपों की नालियों का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

150–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौला, श्रीदत्तगंज, गैडास बुजुर्ग में नलकूपों की नालियों के निर्माण में मानक व गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उ० प्र० लखनऊ को प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख–2–581045 व ख–2–581047 तथा ख–2–581049 दिनांक 12-11-99 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी, हां ।

प्राप्त शिकायती पत्रों के आधार पर जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर में सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 के सहायक अभियन्ता प्रथम के द्वारा फर्जी भुगतान आहरित किये जाने की टी० ए० सी० जांच की मांग

151–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर के अन्तर्गत ड्रेन की सफाई व खुदाई के लिए सहायक अभियन्ता प्रथम सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 द्वारा कराये गये अनुबन्ध संख्या–05/ए०ई० 1/98-99 के माध्यम से कार्य मानक व गुणवत्ता के आधार पर न कराकर फर्जी भुगतान आहरित कर लिया गया है ? क्या सरकार निर्माण स्थलों की जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अनुबन्ध के माध्यम से कराये गये विभागीय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण पर प्रथम दृष्टया कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता के अनुसार पाया गया । किसी प्रकार का फर्जी भुगतान की पुष्टि नहीं हुई ।

फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

उक्तानुसार ।

उक्तानुसार ।

जनपद बलरामपुर में सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 के सहायक अभियन्ता, प्रथम द्वारा विगत वर्षों में कराये गये कार्यों की टी० ए० सी० जांच की मांग

152–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर के अन्तर्गत ड्रेन की सफाई व खुदाई के लिए सहायक अभियन्ता प्रथम सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 द्वारा कराये गये अनुबन्ध संख्या–29/ए०ई० 1/98-99 ए०ई०1/07/98-99 तथा अनुबन्ध संख्या–0[illegible] ए०ई०1/98-99 व अनुबन्ध संख्या–27/ए०ई०1/98-99 के माध्यम से कार्य मानक व गुणवत्ता के आधार पर न कराकर फर्जी भुगतान आहरित कर लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अनुबन्धों के माध्यम से कराये गये कार्य विभागीय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण पर प्रथम दृष्टया कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता के अनुसार पाया गया । किसी प्रकार का फर्जी भुगतान किये जाने की पुष्टि नहीं हुई है ।

फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

उक्तानुसार ।

उक्तानुसार ।

जनपद बलरामपुर में सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 में बेलवा ड्रेन के निर्माण कार्यों का फर्जी भुगतान किये जाने की टी० ए० सी० जांच की मांग

153–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर द्वारा बेलवा ड्रेन की सफाई व खुदाई के लिए कराये गये अनुबन्ध संख्या–26/ए०ई० /98-99 अनुबन्ध संख्या– ए०ई०/98-99 तथा अनुबन्ध संख्या–07/ई०ई०/98-99 तथा अनुबन्ध संख्या–901/ए०ई०/98-99 के माध्यम से कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के न होने पर भी उसका फर्जी भुगतान ठेकेदारों के नाम से आहरित कर लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत अनुबन्धों के माध्यम से कराये गये विभागीय उच्चाधिकारियों के निरीक्षण पर प्रथम दृष्टया कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता के अनुसार पाया गया । किसी प्रकार का फर्जी भुगतान किये जाने की पुष्टि नहीं हुई है ।

फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

उक्तानुसार ।

उक्तानुसार ।

जनपद बलरामपुर में सरयू ड्रेन खण्ड–2 में पिपराताल ड्रेन का कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप न कराये जाने तथा फर्जी भुगतान किये जाने की टी० ए० सी० जांच की मांग

154–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर द्वारा पिपराताल ड्रेन की सफाई व खुदाई के लिए कराये गये अनुबन्ध संख्या–17/ई०ई०/98-99, अनुबन्ध संख्या–15/ ई०ई०/98-99 तथा अनुबन्ध संख्या–18/ई०ई०/98-99 के माध्यम से कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार न होने पर भी फर्जी भुगतान ठेकेदारों के नाम से आहरित कर

लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुबन्ध संख्या–17/ई०ई०/98-99 एवं अनुबन्ध संख्या–15/ई०ई०/98-99 के विरुद्ध कार्य विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता के आधार पर प्रगति पर है । अनुबन्ध संख्या–18/ई०ई०/98-99 के माध्यम से कार्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है । किसी प्रकार का फर्जी भुगतान होने की सूचना नहीं है ।

फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

उक्तानुसार ।

उक्तानुसार ।

जनपद कुशीनगर में नहरों की सिल्ट सफाई हेतु विगत वर्षों में आवंटित धन, अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिना कार्य कराये ही आहरित किये जाने की उच्च स्तरीय जांच तथा दोषीजनों को दण्डित करने की मांग

155–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में नहरों के सिल्ट सफाई व रख-रखाव हेतु वर्ष 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 में कुल कितना धन दिया गया है ? उक्त धन से किन-किन नहरों की सफाई पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ? क्या उक्त सभी नहरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिना कार्य कराये ही धन का आहरण करके अनियमितायें की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद कुशीनगर में नहरों की सिल्ट सफाई व रख-रखाव हेतु वर्ष 1998-99 में रुपया 100.02 लाख तथा वर्ष 1999-2000 में रुपया 133.06 लाख दिया गया था ।

वर्ष 1998-99 में 100 नहरों पर रुपया 29.456 लाख एवं वर्ष 1999-2000 में 75 नहरों पर रु० 30.480 लाख व्यय किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में कनौदिया चीनी मिल, कप्तानगंज में पिराई सत्र में पड़ाव की व्यवस्था किये जाने की मांग

156–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि कनौदिया चीनी मिल कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर के पास किसानों के गन्ने से भरी ट्राली, बैलगाड़ी के ठहराव हेतु पड़ाव की व्यवस्था कम होने के कारण पूरे पेराई सत्र में किसान कप्तानगंज पी०डब्लू०डी० सड़क को जाम कर अपने वाहन खड़ा कर मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल पर इसके लिए कोई समुचित व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

गन्ने से भरी ट्राली एवं बैलगाड़ी के ठहरने हेतु चीनी मिल ने अपने पड़ाव के अलावा दो अन्य पड़ावों, जो चीनी मिल के बिल्कुल पास ही हैं, की व्यवस्था कर ली है, जिससे गन्ने से भरी ट्राली एवं

बैलगाड़ी के ठहराने की कोई समस्या नहीं है। कृषकों को कोई परेशानी नहीं है तथा यातायात व्यवस्था बाधित नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में विगत वर्षों में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धन का विभिन्न कार्यों हेतु जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर वितरण सम्बन्धी जानकारी

157–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में जनपद कुशीनगर के सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? उक्त धनराशि का वितरण जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पर कौन-कौन से कार्य हेतु कितना-कितना किया गया ? कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं एवं उन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिव-प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कुशीनगर की सहकारी गन्ना विकास परिषद्, लक्ष्मीगंज के निलम्बित गन्ना पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की करायी गयी जांच तथा परिणाम की जानकारी

158–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास परिषद् लक्ष्मीगंज, कुशीनगर के निलम्बित गन्ना पर्यवेक्षक श्री चन्द्रपति दुबे को पुनः बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्री दुबे के विरुद्ध किन-किन भारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच करायी गयी तथा उनके परिणाम क्या रहे हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

श्री चन्द्रपति दुबे के विरुद्ध अनुशासनिक मामले में जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त गुण एवं दोष के आधार पर विचारोपरान्त बहाल किया गया।

श्री दुबे के विरुद्ध शिकायतों के 6 आरोपों की जांच करायी गयी :––

1––श्री दुबे ने भूमिहीन कृषकों का वर्ष 96-97 में गन्ना परताल करके सट्टा एवं कलेन्डर तैयार किया है।

2––वर्ष 96-97 में ऐसे कृषकों के नाम सट्टा तैयार कर गन्ना आपूर्ति की सुविधा दी गयी है, जो समिति के सदस्य नहीं हैं।

3––अनुमानित उपज से अधिक सट्टा तैयार करके सम्बन्धित कृषकों को अनुचित रूप से लाभ दिया गया है।

4––वर्ष 96-97 का सट्टा बनाते समय अपने अधीनस्थ ग्रामों के रकबों का मिलान राजस्व अभिलेखों से नहीं किया गया है।

5––विभागीय नियमों के विरुद्ध एक ही कृषक का दो-दो स्थानों से सट्टा तैयार करके विभागीय नियमों के विपरीत गन्ना आपूर्ति कराने के दोषी हैं।

6––कलेन्डर में न तो मेम्बर क्रमांक अंकित है और न तो कृषकों के सट्टे अंकों के साथ-साथ शब्दों में ही अंकित किया गया है।

जांच में सभी आरोप सिद्ध पाये जाने पर गन्ना आयुक्त के आदेश दिनांक 7 मई, 1999 द्वारा निम्न दण्ड देते हुए पदारूढ़ किये गये :––

1––एक वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोकी गयी।

2--निम्न आशय की विवरण प्रविष्टि चरित्र पंजिका में अंकित की गयी।

"वर्ष 1996-97 में सामयिक अभिलेखों की तैयारी में अनियमितता बरतने के दोषी पाये गये।"

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम सभा कुर्हा तेतरा के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना मद से कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराये जाने की मांग

159-श्री अफजाल अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुर्हा तेतरा के वर्तमान ग्राम प्रधान को उनके कार्यालय में जवाहर रोजगार योजना मद में कितना रुपया प्राप्त हुआ है ? उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा कुर्हा तेतरा को कुल रु० 2,33,078.39 की धनराशि प्राप्त हुई है।

उक्त धनराशि से हैण्डपम्प, खडंजा, नाली निर्माण, मिट्टी कार्य आदि कराये गये।

समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील इटवा में वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण में जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

160-श्री मोहम्मद मुकीम-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि तहसीलदार इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर ने वृद्धावस्था पेंशन की सूची सत्यापन कर समाज कल्याण अधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर को दिनांक 31-12-1997 को भेजी थी ? क्या उक्त सूची में क्रम० सं० 34 एवं क्रम संख्या 36 पर क्रमशः सुकई पुत्र सरन एवं मोल्हू पुत्र ढोढे, ग्राम मिश्रौलिया, खालसा, तहसील इटवा को मृतक दिखाया है ? क्या उक्त दोनों व्यक्ति जीवित हैं ? यदि हां, तो क्या जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण सक्षम अधिकारी को संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सी० एम० ओ० कानपुर देहात द्वारा विगत 20 वर्षों से कार्यरत चिकित्सक को कार्यमुक्त न किये जाने के संबंध में श्री बाबूराम यादव स० वि० स० के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

161-श्री श्यामलाल रावत-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबूराम यादव, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 19-8-1999 जो कानपुर देहात में लगातार 20 वर्षों से कार्यरत चिकित्सक को प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण के उपरान्त भी सी०एम०ओ०, कानपुर देहात द्वारा कार्यमुक्त न किये जाने के

सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, चिकित्सा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां, किन्तु मा० सदस्य का संदर्भित पत्र किसी चिकित्सक के स्थानान्तरण के बारे में नहीं है अपितु श्री आर० एस० वर्मा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर (देहात) को सी० एम० ओ० द्वारा कार्यमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है ।

शासन द्वारा सक्षम अधिकारी को श्री वर्मा को कार्यमुक्त करने तथा कोषाधिकारी, कानपुर देहात को इनके वेतन का आहरण, इन्हें कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से स्वीकार न करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद अम्बेडकर नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी की संस्तुति पर तत्कालीन बाल विकास परियोजनाधिकारी, कटेहरी को निलम्बित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

162–श्री राम अचल राजभर तथा श्री लालजी वर्मा–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी कटेहरी के विरुद्ध तत्कालीन जिला अधिकारी अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 7-7-99 को अपने पत्र संख्या–119/एस०टी०–टी०एम०/स्था०–2/99-2000 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त संस्तुति के आधार पर उक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में शारदा सहायक कैनाल की पटरी जमुनीपुर–सिबीलीपुर पर सिंचाई विभाग द्वारा डाली गयी मिट्टी को हटाये जाने की मांग

163–श्री राम अचल राजभर तथा श्री लाल जी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि शारदा सहायक कैनाल की पटरी जमुनीपुर से आर्या बाजार होते हुए सिबीली पुर तक जनपद अम्बेडकर नगर में लेपन स्तर तक निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पटरी पर सिंचाई विभाग द्वारा मिट्टी डाल देने से आवागमन बाधित हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मिट्टी को कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । यह कार्य जगह-जगह लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है ।

जी नहीं, जो मिट्टी डाली गयी थी, उसे हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में विगत वर्षों में विमुक्त जाति हेतु आवंटित छात्रवृत्ति की धनराशि विमुक्त जाति के छात्रों को वितरित किये जाने की मांग

164–श्री राम अचल राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में वर्ष 1997–98 व 1998–99 में विमुक्ति जाति के छात्रों के लिए कितनी धनराशि का आवंटन हुआ था ? क्या

वह सभी छात्रवृत्ति की धनराशि विमुक्ति जाति के छात्रों को वितरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जनपद अम्बेडकर नगर में विमुक्त जाति के छात्रों के लिए वर्ष 1997-98 में रु० 12,32,000/- तथा वर्ष 1998-99 मे रु० 11,06,000/- की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विगत वर्षों में विमुक्त जाति के छात्रों के लिए आवंटित धनराशि का वितरण न करने वाले दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाई की मांग

165–श्री राम अचल राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में विमुक्ति जाति के छात्रों के लिए प्रदेश में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी ? क्या स्वीकृति धनराशि का वितरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

विभाग द्वारा संचालित कक्षा–1—10 तक विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु योजना में शासन द्वारा वर्ष 1997-98 में रु० 541.73 लाख तथा वर्ष 1998-99 में रुपया 463.77 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी ।

जी हां, उक्त धनराशि का आवंटन जिलों को किया गया था । आवंटित धनराशि में से वर्ष 1997-98 में कुल रु० 495.39 लाख तथा वर्ष 1998-99 में कुल रु० 462.42 लाख की धनराशि व्यय हुई तथा अवशेष धनराशि जनपदों में आवश्यकता न होने के कारण समर्पित की गयी थी ।

अवशेष धनराशि जनपदों में आवश्यकता न होने के कारण समर्पित की गयी है जिसमें किसी कदाशयता के निहित न होने के कारण किसी कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर की कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्रवाई की मांग

166–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर के ग्राम पंचायत पिलखिनी, ग्राम पंचायत अलाउलपुर सिंधवल मलिहाबाद में जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का दुरुपयोग उक्त ग्राम के प्रधानों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में वहां के ग्राम वासियों के माह जून से अक्टूबर, 1999 के मध्य मा० मुख्य मंत्री तथा आयुक्त ग्राम्य विकास को शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जांच करायी गयी । जांच आख्या के अनुसार ग्राम पंचायत अलावलपुर द्वारा कराये गये कार्यों में कोई कमी नहीं पायी गयी, परन्तु ग्राम पंचायत–पिलखिनी द्वारा कराये गये कार्यों में रु० 42811.00 की कमी परिलक्षित हुई है, जिसके संबंध में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य स्थगित कर धनराशि वापस किये जाने सम्बन्धी जानकारी

167–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–मैनपुरी में मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी ने नलकूप निगम/यू०पी० एग्रो० मैनपुरी द्वारा इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य स्थगित कर धन वापस करने हेतु वर्ष 1999 में कब-कब पत्र लिखे और क्या उन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया ? यदि हां, तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पत्र संख्या–901/आर०के०/है०प०/99-2000 दिनांक 27-7-99 द्वारा लिखा गया था ।

शासनादेश संख्या–सी०एस०–116/38-5-99-653/95, दिनांक 5 अगस्त, 1999 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 3 जून, 1999 जिसके द्वारा जल निगम को एक मात्र कार्यदायी संस्था घोषित किया गया है, के पूर्व अन्य कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि आवंटित की जा चुकी है तो उसे वापस नहीं लिया जायगा । अर्थात् उस धनराशि से सम्बन्धित संस्था कार्य पूर्ण करेगी । इसी कारण उक्त धनराशि वापस नहीं कराई गई ।

जनपद मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र में त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना/अनुसूचित जाति जनजाति पेयजल योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि से अधिष्ठापित इण्डिया मर्का–2 हैण्डपम्पों का विवरण

168–श्री राम औतार शाक्य–

क्या क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विशेष सचिव श्री राजेन्द्र त्रिपाठी उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–5 द्वारा प्रश्नकर्ता को दिये गये अर्द्ध शा० प० सं० वी० आर्पी/127/38-5-99-38एक्यू/99 दिनांक 9 जुलाई 1999 के बाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में ब्लाक वाइज कितने-कितने और कहां-कहां पर इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प किस कार्यदायी संस्था द्वारा किस योजना में लगवाये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में कितने प्रश्नकर्ता की स्थल चयनों में राय बिना लगवाये गये और उसका आधार क्या है क्या उसमें कोई दोषी है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

श्री रमेन्द्र त्रिपाठी, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उ० प्र० शासन द्वारा प्रश्नकर्ता को दिये गये पत्र दिनांक 9 जुलाई, 1999 के बाद विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में त्वरित

ग्रामीण पेयजल योजना आवश्यकता कार्यक्रम/अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि पर निम्न विवरणानुसार इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये हैं :—

क्र०	कार्यदायी संस्था का नाम	विकास खण्ड में अधिष्ठापित हैण्डपम्प			कार्यक्रम	स्थल चयन जिसके द्वारा किया गया
1	जल निगम	सुल्तानगंज बेवर	किशनी		ए०आर०पी०	मा० श्री राम औतार शाक्य, विधायक
		30	—	—		
		23	10	6	विधायक निधि	,, ,,
		04	01	—	ए०आर०पी०	ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव
	योग :–	66	11			
2	यू० पी० स्टेट एग्रो	50	68	—	न्यूनतम आवश्यकता	,, ,,
	योग :–	116	79	6		

शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के तहत यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत अधिष्ठापित किये जा रहे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के स्थल चयन का अधिकार ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति को होगा। तदनुसार जल प्रबन्धन समिति के द्वारा किये गये स्थल चयन के आधार पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। अतः इसमें कोई दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर कोट स्लैप पर डाढाकोठी के टूटे पुल के शीघ्र निर्माण की मांग

169–श्री नवाब सिंह नागर –

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि कोट स्लैप पर डाढाकोठी जिला गौतमबुद्धनगर का पुल टूट जाने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल को बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

वित्तीय उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद हरदोई, मल्लावां क्षेत्र में भूमि सुधार निगम द्वारा जलवा खेड़ा ड्रेन पर आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण तथा खोदाई कार्य कराये जाने की मांग

170–डा० धर्मेश मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जलवाखेड़ा ड्रेन को सिंचाई विभाग हरदोई द्वारा भूमि सुधार निगम को स्थानान्तरित कर दी गयी है ? क्या सरकार इस ड्रेन के तालाब के सामने तथा ग्राम अन्जनवा व ग्राम वारेपुर के बीच

आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण, बिलग्राम रजवहा से जलखेड़ा ड्रेन पर पुलिया की स्लेव का जीर्णोद्धार, ग्राम अंधर्रा पर पुलिया का निर्माण तथा ग्राम बलेन्दा पर बना साइफन जो टूट कर ध्वस्त हो गया है पर साइफन अथवा आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण तथा उक्त ड्रेन की खोदाई का कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

तालाब के सामने पुलिया वर्तमान में निर्मित है । ग्राम अन्जनवा व ग्राम वारेपुर के बीच आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण नहीं कराया जायेगा । बिलग्राम रजवहा से जलवाखेड़ा ड्रेन पर पुलिया की स्लैब का जीर्णोद्धार नहीं कराया जायेगा । ग्राम अधर्रा पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया जायेगा । ग्राम बलेन्दा पर टूट कर ध्वस्त हुए साइफन के स्थल पर वर्तमान में साइफन निर्मित है । उक्त ड्रेन की खोदाई का कार्य कराया जायेगा ।

उ० प्र० भूमि सुधार निगम द्वारा ड्रेन के स्वीकृत प्राक्कलन में पक्के कार्यों का निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

171–श्री तेजभान सिंह–

[दिनांक 3-4-2000 को अता० प्र० सं०–72 द्वारा उत्तरित]

आगरा मण्डल के नलकूप फेल होने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता पश्चिम के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाई की जानकारी

172–श्री बाबूराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल में बहुसंख्यक नलकूप फेल होने के बारे में आर०पी० गुप्ता मुख्य अभियन्ता पश्चिम के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र जिसकी प्राप्ति उनके कार्यालय ने 28-10-99 को स्वीकार की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या थे और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मुख्य शिकायती बिन्दु अधिकारियों द्वारा नलकूपों के रख-रखाव पर किये गये धन का अपहरण करना है । शिकायतों की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) उत्तराखंड, सिंचाई विभाग देहरादून को जांच अधिकारी नामित किया गया है ।

जनपद आजमगढ़, तहसील मेंहनगर/लालगंज में लम्बित वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण के निस्तारण की मांग

173—श्री राम जग–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के तहसील मेंहनगर एवं लालगंज में वर्तमान समय में वृद्धावस्था पेंशन के कितने मामले लम्बित हैं ? उन पर कब तक पेंशन स्वीकृत करा दी जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति की संशोधित प्रक्रिया में पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया गया है । अभी तक आजमगढ़ जिले की प्रश्नगत तहसील मेंहनगर एवं लालगंज की ग्राम पंचायतों से कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकृत अथवा स्वीकृति हेतु लम्बित होने की सूचना प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के हरिहरपुर, हाला आदि कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करने की मांग

174—श्री विजय कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के हरिहरपुर, हाला, रठौली, सराय, गोला, धरी खुर्द, धरी कला, तारडीह, करमैता, कुराह, भीखेपुर, रामशाला, ककुड़ा, गोंडा कला, बुढंनपुर पठानपुर, कुन्डीपुर, हरजुपुर, शिकारपुर, जंगीपुर, पड़री आदि गांवों का पानी जांच के दौरान (खारा) प्रदूषित पाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद गाजीपुर के हाला, रहौली, सराय, गोला, धरीखुर्द, धरीकला, बुढ्ढनपुर, पठानपुर, शिकारपुर, जंगीपुर ग्राम में पानी की जांच के दौरान खारा पानी मानक से अधिक पाया गया ।

ग्राम हरिहरपुर, तारडीह, रामशाला में खारा पानी नहीं पाया गया है । शेष ग्रामों के जल परीक्षण परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । परीक्षण परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् खारे पानी वाले ग्रामों में पाइप पेयजल योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

175—श्री अफजाल अहमद–

[दिनांक 27-4-2000 को अता० प्र० सं०–5 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

176—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़/चम्पावत के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे टैक्निशियनों के कितने पद सृजित हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि कुछ डार्क रूम सहायकों को एक्सरे टैक्निशियन का प्रशिक्षण दिया गया था ? यदि हां, तो रिक्त एक्सरे टैक्निशियन के पदों पर इनकी नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के पांच पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध दो एक्सरे टेक्नीशियन कार्यरत हैं व तीन पद रिक्त हैं । जनपद चम्पावत में एक्सरे टेक्नीशियन का एक पद स्वीकृत है, जो रिक्त चल रहा है ।

37 विभागीय डार्करूम सहायकों को एक्सरे टेक्नीशियन का प्रशिक्षण दिलाया गया है । उ० प्र० एक्सरे टेक्नीशियन नियमावली, 1986 के प्राविधानों के अनुसार भर्ती हेतु उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक्सरे में प्रदान किया गया डिप्लोमा अथवा फैकल्टी द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य कोई अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है । विभागीय डार्करूम सहायकों को एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है । उक्त उ० प्र० एक्सरे टेक्नीशियन सेवा नियमावली में संशोधनोपरान्त विभागीय एक्सरे टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्राप्त डार्करूम सहायकों की नियुक्ति नहीं प्रोन्नति की जायेगी ।

प्रदेश में पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में जानकारी

177––श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने हेतु क्या कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रशिक्षण केन्द्र कब तक स्थापित किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सम्प्रति वित्तीय संसाधनों की कठिन स्थिति के कारण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बहराइच की जरवल रोड चीनी मिल में स्थाई एवं पुराने कर्मचारियों की छटनी किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

178–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6-12-99 को प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र जो प्रबन्ध निदेशक गन्ना के विरुद्ध प्रमुख सचिव मा० मुख्य मंत्री को दिया गया था, और जो जरवल रोड गन्ना मिल में 30 स्थाई कर्मचारियों एवं 20 पुराने कर्मचारियों/मजदूरों की छटनी की जांच कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हाँ ।

कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :–

(I) विगत 3 वर्षों में जरवल रोड इकाई में कोई भी नई नियुक्ति नहीं की गयी है । बन्द इकाईयों से वर्ष 1998-99 में 25 कर्मचारी तथा वर्ष 1999-2000 में 21 सामयिक कर्मचारी जरवल रोड इकाई में स्थानान्तरित किये गये ।

(II) बन्द इकाईयों से कर्मचारी स्थानान्तरित होकर आ जाने के कारण जरवल रोड इकाई में कम अवधि वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर कार्य पर नहीं लिया गया क्योंकि जो कार्य जरवल इकाई में दैनिक वेतन कर्मचारियों द्वारा किया जाना था वह कार्य अन्य बन्द मिलों से स्थानान्तरित होकर आये कर्मचारियों से लिया जा रहा है । अतः जरवल रोड इकाई के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य पर लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद बरेली में किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ी में ढुलाई कार्य खुले टेण्डर द्वारा कराये जाने की मांग

179–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, बरेली को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-10-99 जो किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ी बरेली में चीनी की ढुलाई का कार्य खुले

टेण्डर से कराने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या चीनी मिल द्वारा ढुलाई का कार्य खुले टेण्डर से कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी नहीं । चीनी मिल में चीनी के ढुलाई के कार्य हेतु स्थानीय ट्रान्सपोर्ट यूनियन से स्वयं व्यापारी ट्रक लेकर आते हैं तथा अपनी चीनी लदान करा कर ले जाते हैं । मिल द्वारा ट्रक की व्यवस्था नहीं की जाती है ।

जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विधान सभावार अवमुक्त धनराशि तथा जन प्रतिनिधियों की सहभागिता की जानकारी

180–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 8-2-1999 से दिनांक 31-12-99 तक जनपद प्रतापगढ़ की प्रत्येक विधान सभा को मदवार कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? प्रस्ताव की स्वीकृति से सम्बन्धित वर्तमान आदेश क्या है तथा इसमें जनप्रतिनिधियों की क्या सहभागिता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में अनुसूचित जाति के श्रम कल्याण अधिकारियों को पदोन्नति देने की मांग

181–श्री राकेश सोनकर–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के अधीन कार्यरत 17 श्रम कल्याण अधिकारियों में से सामान्य श्रेणी के 8 श्रम कल्याण अधिकारियों को क्रमशः दिनांक 1-7-71, 21-10-78, 20-9-79, 26-11-80, 1-8-88, 26-4-89 व 23-1-95 को श्रम कल्याण अधिकारी ग्रेड–2 की पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के श्रम कल्याण अधिकारियों को उनकी देय पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के साथ वर्ष 1995 में उस समय की निर्धारित पदोन्नति नीति के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले श्रम कल्याण अधिकारियों के साथ एक अनुसूचित जाति के कार्यरत श्रम कल्याण अधिकारी के पदोन्नति के संबंध में विचार किया गया था, परन्तु विगत 10 वर्षों में से वर्ष 1989-90 में उक्त अनुसूचित जाति के अधिकारी की कार्य एवं आचरण रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित होने के आधार पर उक्त अधिकारी को ग्रेड–2 में पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। प्राधिकारी द्वारा दि० 23-5-95 को संघ की पदोन्नति नीति का अनुमोदन किया गया । उक्त प्रभावी नीति के अनुसार श्रम कल्याण अधिकारी के पद को निःसंवर्ग का पद घोषित करते हुए संघ द्वारा

अन्य संवर्गों की भांति इन्हें भी 7 एवं 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा के अन्तराल पर प्रथम एवं द्वितीय उच्च वेतनमान प्रदान करते हुए सेलेक्शन ग्रेड भी दिये जाने का प्राविधान किया गया । इसी नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के एक कार्यरत श्रम कल्याण अधिकारी को ग्रेड–3 के पद पर 7 वर्ष की सेवा संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त श्रम कल्याण अधिकारी के पद ग्रेड–3 का समयमान वेतनमान रु० 2200-4000 श्रम कल्याण अधिकारी ग्रेड–2 के वेतनमान के रूप में दिनांक 23-5-95 से स्वीकृत किया गया ।

श्रम कल्याण अधिकारी की अनुमोदित पदोन्नति नीति 1995 में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22-4-98 को संशोधन करते हुए वेतनमान रु० 2200-4000 में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्राविधान रखा गया । अनुसूचित जाति के उक्त अधिकारी ने वेतनमान रु० 2200-4000 में 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं की हैं ।

182–श्री नवाब सिंह नागर–

[दिनांक 2-5-2000 को अता० प्र० सं०–88 द्वारा उत्तरित]

जनपद सीतापुर में विगत वर्षों में क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि की जानकारी

183–श्री ओम प्रकाश गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में सीतापुर जिले में कितना धन कब-कब किस खण्ड को उपलब्ध कराया गया और उनसे कौन-कौन मार्ग कब-कब पूर्ण हुए ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत क्षेत्र विकास योजना नामक कोई योजना संचालित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, जे० ई०, विकासखण्ड नौहझील द्वारा विगत वर्षों में कराये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

184–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, जे०ई०, विकास खण्ड नौहझील जिला मथुरा के वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 तीन वर्षों में किये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को/एम–1/22013/मथुरा/99, दिनांक 3-4-99 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

प्राप्त पत्र के संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जांच आख्या समस्त साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, मथुरा को शासन के पत्र दि० 16-

9-99 द्वारा निर्देशित किया गया था । जिलाधिकारी की आख्या पत्र दिनांक 28-2-2000 द्वारा प्राप्त हुई है जिसमें कतिपय फर्जी/त्रुटिपूर्ण बोरिंग की अनियमितता बताई गई है । अवर अभियन्ता को इसके लिये उत्तरदायी होने की संभावना व्यक्त की गयी है । अवर अभियन्ता को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियन्ता को निर्देशित कर दिया गया है तथा प्रश्नगत प्रकरण में संभावित गबन, शासकीय क्षति की धनराशि की मात्रा तथा अवर अभियन्ता के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों का अन्तर्ग्रस्तता तथा उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए विस्तृत जांच करने हेतु शासनादेश दिनांक 28-4-2000 द्वारा श्री एस० के० कपूर, अधीक्षण अभियन्ता, बरेली को जांच अधिकारी नामित करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर, जांच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

185–श्री मो० मुकीम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला पंचायत सिद्धार्थनगर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बिना कार्य कराये धन हड़प लेने के आरोप में जांच होने के पश्चात् आरोप सिद्ध होने पर थाना तेतरी बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर में मुकदमा अ० सं० 24/98 धारा 409, 420, 419, 467, 460, 471 आई०पी०सी० एवं 7/13 भ्रष्टाचार अधिनियम का मुकदमा दर्ज है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रकरण विवेचनाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग कार्यालय में विगत वर्षों से अब तक मा० सांसदों/विधायकों के पत्रों की पावती न भेजने वाले दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

186–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग कार्यालय के अधिष्ठान–4क–अनुभाग/ 4ख–अनु०/ 2क–अनु०/2 ख–अनुभागों में विगत कैलेण्डर वर्ष–1998 से अब तक कितने पत्र माननीय विधायकों/सांसदों के प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितनें पत्रों की पावती 31-8-1999 तक सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को नहीं भेजी गयी ? इस हेतु दोषी कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

359 पत्र प्राप्त हुए तथा इनमें से 347 पत्रों की पावती संबंधित जनप्रतिनिधियों को नहीं भेजी गयी ।

सम्बन्धित कर्मियों को भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है ।

श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 29-3-2000 को अता० प्र० सं०–129 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर में गत वर्ष सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि का आवंटन तथा शेष धनराशि की जानकारी

188–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर में सिंचाई विभाग को वर्ष 1998-99 में कितना धन किन-किन कार्यों हेतु स्वीकृत किया गया ? क्या स्वीकृत धनराशि में से कोई धनराशि शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद जौनपुर में वर्ष 1998-99 में विभिन्न मदों में कार्य हेतु निम्नानुसार धन आवंटित किया गया है ।

1—4701–नहर निर्माण एवं पक्के कार्य, निर्माण कार्य	रु० 384.1 लाख
2—2701–अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य (नहरें)	रु० 80.7 लाख
3—2711–ड्रेनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य	रु० 11.7 लाख
4—दस लाख कूप योजना (सुदृढ़ीकरण आन्तरिक सुधार एवं नहरें एवं ड्रेन)	रु० 10.97 लाख
5—सुनिश्चित रोजगार (सुदृढ़ीकरण आन्तरिक सुधार एवं सफाइ कार्य हेतु नहरें, ड्रेन)	रु० 171.01 लाख
6—2702–जनपद योजना (सामान्य) के अन्तर्गत नलकूपों पर नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन कार्य	रु० 33.12 लाख
7—4225– जनपद योजना (स्पेशल कम्पो० प्लान) के अन्तर्गत नलकूपों पर नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन का कार्य	रु० 34.00 लाख
8—2702–नाबार्ड योजना के अन्तर्गत नलकूपों पर नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन का कार्य	रु० 28.32 लाख
9—2702–नानप्लान नलकूपों का वार्षिक स्थापन का कार्य	रु० 39.43 लाख
10—2702–नानप्लान लघु डाल . नहरों का वार्षिक परिचालन एवं अनुरक्षण	रु० 22.66 लाख

जी हां ।

निम्न धनराशि शेष है :—

1—4701–नहर निर्माण एवं पक्के कार्य निर्माण कार्य	रु० 1.95 लाख
2—दस लाख कूप योजना (सुदृढ़ीकरण आन्तरिक सुधार एवं नहरें, ड्रेन)	रु० 11.74 लाख
3—सुनिश्चित रोजगार योजना (सुदृढ़ीकरण आन्तरिक सुधार एवं सफाई कार्य हेतु नहरें एवं ड्रेन)	रु० 27.34 लाख

वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में धन प्राप्त हुआ, अतः धन अवशेष रहा ।

जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक जगदीशपुर, ग्राम मिषौली के उप प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की बी० डी० ओ० द्वारा जांच कराने की मांग

189–श्री तेज भान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री मन्कर अली पुत्र मोहम्मद अली, उप प्रधान, ग्राम–मिषौली, ब्लाक–जगदीशपुर, जनपद–सुल्तानपुर

का दिनांक 1-9-99 को दिया गया शपथ-पत्र जिसमें जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो क्या इस शिकायत की जांच बी० डी० ओ० जगदीशपुर द्वारा दिनांक 28-9-99 व 1-10-99 को कराना निश्चित किया गया था ? यदि हां,तो क्या इसमें मौके पर जाकर जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

बी० डी० ओ० द्वारा जांच किये जाने के पूर्व यह संज्ञान में आया है कि प्रकरण की जांच दिनांक 25-9-99 को विकास खण्ड स्तर से सहायक विकास अधिकारी, पंचायत द्वारा की जा चुकी है ।

जनपद लखनऊ, गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई विभाग की नहरी भूमि पर अवैध कब्जे हटाये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

190–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत विभाग की नहरी भूमि पर अवैध कब्जा करके किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा पक्के/कच्चे निर्माण करा लिये गये हैं ? क्या सिंचाई विभाग की भूमियों पर अतिक्रमण हटाये जाने विषयक शिकायत पत्र दिनांक 29-9-99, जो उनके पूंजी क्रमांक : 3066/पीएस दिनांक 15-10-99 द्वारा विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग को अग्रसारित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत नहरी भूमि पर अवैध कब्जे का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

प्रश्नगत प्राप्त शिकायती पत्र की जांच से पाया गया कि माह सितम्बर, 1998 में जानकीपुरम् विस्तार योजना में निर्माणाधीन आश्रय भवनों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा खलीलाबाद अल्पिका की निष्प्रयोज्य भूमि पर पहुंच मार्ग बना दिया गया था, जिसकी जानकारी होने पर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया और प्रतिकर जमा करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को लिख दिया गया है ।

जनपद फतेहपुर के ग्राम आलमपुर गेरिया के नलकूप चालक द्वारा सरकारी नौकरी में रहते हुए ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े जाने के सम्बन्ध में जानकारी

191–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर के ग्राम–आलमपुर गेरिया में नलकूप चालक के पद पर कार्यरत श्री अवधेश कुमार द्विवेदी द्वारा सरकारी नौकरी में रहते हुए ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा गया था और वर्तमान में उक्त कर्मी द्वारा ग्राम प्रधान एवं नलकूप चालक दोनों कार्य देखे जा रहे हैं ? उक्त प्रकरण में वर्ष 1997 में कुल कितने परिवाद पत्र प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) कार्यालय में प्राप्त हुए तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हां ।

नहीं ।

कुल एक परिवाद पत्र

परिवाद की जांच कराई गई तथा जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेश दिनांक 15-9-97 द्वारा श्री अवधेश कुमार द्विवेदी को ग्राम प्रधान के पद से हटा दिया गया है ।

जनपद बरेली, मीरगंज के आजमपुर मार्ग पर काजबे निर्माण में अनियमितता करने वाले कर्मियों को दण्डित करने की मांग

192–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मीरगंज (बरेली) में ग्राम खमरिया, आजमपुर मार्ग पर सिद्धा नवला पर काजबे (रेगूलेटर) का निर्माण कब किया गया है ? इस काजबे पर कितना धन व्यय हूआ है ? क्या यह सही है कि घटिया सामग्री का प्रयोग होने से काजबे ध्वस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार काजबे निर्माण में अनियमितता करने वाले को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

वर्ष 1997-98 में ।

रु० 14.66 लाख

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्राम कटैय्या अल्हैया के मध्य निर्माणाधीन रेगुलेटर हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि की जानकारी

193–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के ग्राम कटैय्या अल्हैया के मध्य निर्माणाधीन रेगुलेटर के लिए पुनरीक्षित आकलन के अनुसार धन अवमुक्त करने हेतु दिनांक 21 अक्टूबर, 1999 को मुख्य विकास अधिकारी, बरेली को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो मुख्य विकास अधिकारी, बरेली द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी नहीं, परन्तु प्रश्नकर्ता का इस कार्य हेतु रु० 4.81 लाख की धनराशि अवमुक्त करने हेतु पत्र दिनांक 05-7-1999 मुख्य विकास अधिकारी, बरेली को प्राप्त हुआ है ।

मुख्य विकास अधिकारी, बरेली द्वारा दिनांक 10-12-1999 को रु० 4.80.200.00 की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है, जिसके सापेक्ष कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में अटल सेतु, दीनदयाल सेतु तथा मरगूपुर सेतु का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कराये जाने की मांग

194–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के अटल सेतु, दीन दयाल सेतु, चन्दौका एवं मरगूपुर सेतु के संबंध में शासन के पत्र सं०–1406ई/23-11-99-30ई/99 लोक निर्माण अनुभाग 11 दिनांक 28-4-99 एवं पत्र सं०–840 ई/23-11-99-7004 ई/98 लोक निर्माण अनुभाग 11 दिनांक 17-3-99 पर क्या अपेक्षित कार्यवाही करा ली गयी है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब जारी की गई है ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां, प्रश्नांकित पत्रों पर अपेक्षित कार्यवाही हेतु दिनांक 16-12-99 को संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० शासन के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें यह निश्चित किया गया कि उक्त पहुंच मार्गों का अवशेष कार्य भी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा ही कराया जाना चाहिए ।

उक्त निर्णय के क्रम में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है तथा यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।

जनपद हरदोई में सण्डीला–गदौरा की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

195–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला अन्तर्गत सण्डीला से गदौरा जाने वाली सड़क अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

जी हां ।

जी नहीं, वर्तमान में यह मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को स्वीकृत नहीं है अतः इस मार्ग पर कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न [illegible]

जनपद फिरोजाबाद के इटवा कस्बे में एक ही रात में सात व्यक्तियों की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें । आज जब सदन का उपवेशन प्रारम्भ हुआ तो टूण्डला की घटना को लेकर कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की । उसमें सूचनाएं आई थी, जैसा मैंने सदन को सूचित किया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सूचना दी कि पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव वहां गये हैं लेकिन सभी माननीय सदस्यों की इच्छा को देखते हुए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री की सहमति को देखते हुए मैंने यह भी उपयुक्त समझा कि प्रश्न काल के पश्चात् माननीय सदस्य अपने विचार इस सदन में घटना के संबंध में प्रस्तुत कर दें। आज चूंकि दो विभागों के आय-व्ययक पर चर्चा होनी है, तो कृपया वे ही माननीय सदस्य विचार रख लें जो तथ्यात्मक रूप से बात कर सकें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात भी सुन लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, टुण्डला की जिस गम्भीर घटना पर हम लोगों ने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है वह एक ऐसी घटना है जो पुलिस जुल्म और ज्यादती की इंतहा ही कहें और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मान्यवर, करीब पौने दो और सवा दो के बीच में कुछ बदमाशों ने एक इंजीनियर को लूटा और एक और को लूटकर आ रहे थे उस बीच एक मुस्लिम महिला जागती है कहा कौन है तो उसको गोली मार दी। उसके पड़ोस के दो लोग जागते हैं वह बदमाश गोली मार देते हैं। तब तक पुलिस को लोग सूचना देते हैं टुण्डला थाने पर पुलिस सक्रिय हो जाती है नगला बसई में चार अनुसूचित जाति के पल्लेदार, एक गांव है एलई, ट्रक में आलू को लोड करके आ रहा है वहां एक मेडिकल स्टोर है चौकी के पास वहां आता है वहां उस पैसे को वे लोग बांटने लगते हैं, इसी बीच पुलिस आ जाती है सबको थाने ले जाती है। थाने में टार्चर किया जाता है एक आदमी मर जाता है अब पुलिस हड़बड़ा गयी जो लोग तीन शेष बचते हैं सबको एक ट्रक में बिठाकर रास्ते में जाकर उन तीनों के सिर में गोली मार दी चारों मर गये उन्हें बसई गांव के खेत में ट्रक से उलट कर वहां डाल रहे थे इसी बीच एक संतोष जो प्रभात कोल्ड स्टोरेज का चौकीदार था जो उसने कहा उसको भी गोली मार दी, गले में उसको गोली लगती है और उनको डालकर पुलिस चली जाती है। पुलिस, चूंकि पाप पाप होता है लाश डालते समय पुलिस की एक टोपी लाशों के बीच में किसी तरह से रह जाती है। उस घायल व्यक्ति को जो संतोष चौकीदार था उसको आगरा के गोयल नर्सिंग होम में जनता ले जाती है तो वहां भी पुलिस पहुंचती है और पुलिस जबरिया उस व्यक्ति को ले जाती है और रास्ते में उसको भी मार देती है आज तक उसकी लाश का अता-पता नहीं है इस सारी जुल्म ज्यादती के खिलाफ जो संतोष चौकीदार वहां पहुंचा था और उसके सामने पुलिस वाले लाशें डाल रहे थे और उसने देखा था तो उसके भी गले में गोली मारी जाती है। जब इसका पता चला तो वहां पचासों लोगों ने जाम लगा दिया तो पुलिस ने फिर गोली चलाई और उसमें भी एक आदमी मारा गया और कई लोग घायल हुए। इससे ऐसा लगता है कि पुलिस अनियंत्रित हो गयी है और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। पीलीभीत की भी घटना हुई थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई उससे पुलिस का और भी हौसला बढ़ गया। पुलिस को संरक्षण प्राप्त हो गया सरकार का तो उनका हौसला और भी बढ़ गया सरकार का अपराधी को संरक्षण मिल जाता है तो निश्चित रूप से हौसला बढ़ना स्वाभाविक है।

मैं कहूंगा कि यह सरकार अगर अक्षम अधिकारियों को इसी तरह से जिले के प्रशासन में नियुक्त रखेगी तो निश्चित तरीके से इस तरह की घटनाए होंगी। जब ईमानदार और सक्षम अधिकारी होंगे, बहुत से अधिकारी हैं जो डी० एम० भी रहे हैं और पुलिस के अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं और सक्षम भी हैं जिनकी क्षमता पर कभी उंगली नहीं उठी उनको प्रशासनिक पदों से अलग रखा गया है। जब तक ऐसे लोगों को नहीं बैठायेंगे तब तक पुलिस खराब बर्ताव करती रहेगी और इस बात को लेकर कि हमारा प्रमोशन हो जायेगा, वाहवाही होगी तो ऐसी स्थिति में इस तरह से जघन्य अपराध होते रहेंगे। आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि जो पुलिस कर्मी दोषी हैं उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरन्त 302 का मुकदमा दर्ज किया जाये और अविलम्ब उन्हें जेल भेजा जाये और दूसरी चिन्ता यह है कि वह बेचारे जो कमाने वाले थे, नहीं रहे पूरा परिवार बर्बाद हो गया उनको 5-5 लाख रुपये

सहायतार्थ दे दिये जायें और जो घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपये दिये जायें ताकि वह अपना इलाज करा सकें। अन्त में मैं यह कहते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो सूचना मंगाने के लिए भेजा है, उस समय को संसदीय कार्य मंत्री दुखी थे और ऐसा मालूम होता है कि वह निश्चित तरीके से कार्यवाही करेंगे जिससे उन परिवारजनों को संतोष मिले और वह उत्पीड़न करने वाले कराने वाले निर्दयी पुलिस कर्मियों को सजा मिल सके। ऐसी निश्चित तरीके से कार्यवाही होगी। श्रीमन्, इस अनिश्चित लोक महत्व और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर विस्तार से चर्चा हो जाये। श्रीमन्, सारे सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, फिरोजाबाद के टुण्डला थाने पर जिस तरीके से 4 दलितों की नृशंस हत्या और उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह संतोष की हत्या हुई, वह पुलिसिया बर्बर अत्याचार को दर्शाती है और वहीं पर न्याय देने की बात तो दूर, अपनी मांगों को ले रहे आन्दोलनकारियों पर, जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज होता है, जिसमें रामप्रकाश की हत्या होती है। यह उत्तर प्रदेश की आज की लचर कानून व्यवस्था को दर्शाता है। आज यहां शासन-प्रशासन तंत्र पंगु हो गया है और पुलिसिया बर्बर अत्याचार चरम सीमा पर है और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान में तेल डालकर पुलिसिया बर्बर अत्याचार को बढ़ावा दे रही है, यह घटना उसी का दुष्परिणाम है। मान्यवर, बसई रोड पर प्रभात कोल्ड स्टोरेज के पीछे 4 दलितों की हत्या होती है, जिसमें जयपाल सिंह, विजय पाल सिंह, सुग्री और सत्यवीर ये सभी दलित समाज के हैं। इतना ही नहीं, इस घटना को देखने वाले संतोष, जो जाट बिरादरी का था और घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, जो घायल था, जिसने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया कि पुलिस ने उन चारों दलितों की हत्या की है, जो आगरा नर्सिंग होम में अपना इलाज करा रहा था, पुलिस का मनोबल इतना बढ़ गया कि उसने संतोष को नर्सिंग होम से ले जाकर गोली का शिकार बना दिया, इसलिये कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। गवाह ही नहीं रहेगा तो पुलिस ने किसको मारा, यह साबित नहीं होगा। सबूत मिटाने के लिये पुलिस ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया।

मान्यवर, यही नहीं, वहां पर जब पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ लोगों ने धरना देना शुरू किया और धरना के माध्यम से दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की और उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज करने की मांग की तो वहां का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, दोनों ने मिलकर उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया, गोलीवर्षा की, इस गोलीकांड में घटनास्थल पर रामप्रकाश की मृत्यु हो गई, सैकड़ों लोग घायल भी हुए। वहां पुलिस के इस नंगनाच से सारे क्षेत्र में दहशत और भय का वातावरण व्याप्त है, लोगों में इस बात का विशेष डर है कि कानून के रखवाले ही जब कानून का गला घोटेंगे, हमारी हत्या करेंगे तो हम न्याय की गुहार करने कहां जायेंगे ? मान्यवर, होना तो यह चाहिए था कि वहां का जिला प्रशासन उनको न्याय देता और न्याय देकर उनके घावों पर मलहम की पट्टी लगाता, यह बात तो कोसों दूर रही, उन आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार करके उल्टे जेल भेज दिया गया, पुलिस का इससे घिनौना चरित्र क्या होगा ? इस घटना को बीते 24 घण्टे हो गये, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के पास अभी उस घटना की सही जानकारी नहीं है 48 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, 1-2 तारीख की रात की घटना है लेकिन 48 घण्टा हो जाने के बाद भी इस सरकार को घटना की सही जानकारी नहीं है। आज मान्यवर, यह मामला सदन में उठेगा, इसको देखते हुए सरकार ने वहां पर जांच दल भेजा है। अच्छा होता यह सरकार संवेदनशील होती, आज सदन में ही वहां पर इस घटना के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश देती, एक अच्छा संदेश जाता कि सरकार संवेदनशील है लेकिन इसकी संवेदनशीलता इसी से जाहिर हो जाती है 48 घण्टे बाद सारे सूचना तंत्र होने के बावजूद भी इनका उत्तर प्रदेश सरकार का सचिवालय सोता रहा है। आई० जी० और डी० आई०

जी० गूंगे और बहरे बनकर इस घटना को देखते रहे हैं । मान्यवर, हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं यह तो पुलिसिया अत्याचार है । एक और वहीं पर थोड़ी दूर पर एक दूसरी घटना होती है, जहां पर डकैती काण्ड होता है और वहां पर आबिद हुसैन, मुहम्मद वसीम और अहमद हुसैन को गोलियों से मार दिया जाता है तथा वहां पर अहमद हुसैन, उसकी बहन अभी भी गम्भीर हालत में तड़प रहे हैं ।

मान्यवर, थोड़ी ही दूर पर ये दोनों घटनाएं हुईं, ये इस सरकार की कानून-व्यवस्था को उजागर करती हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । ये सरकार बड़ी-बड़ी डींगें हांका करती है कि हम कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण करेंगे, लेकिन इस घटना का खुलासा हुआ है, यह इनकी कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने सही तस्वीर को रखती है । यह बहुत ही दुख की बात है । माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूं और हमेशा वह भी कहते हैं कि जो भी गलत लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने वाले लोग हैं, कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि कथनी और करनी में एकता लानी होगी, कहने और करने में अगर अन्तर होगा तो आपकी बात केवल ख्याली पोलाव साबित होगी ।

इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस घटना में जो मृतक के परिवार हैं, उस मृतक परिवार को 5 लाख रुपये की राहत तत्काल उपलब्ध करायी जाय और वहां पर जो तमाम लोग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, मृत्यु शैय्या पर लेटे हुए हैं, यदि उनका सही इलाज नहीं हुआ तो वह भी दम तोड़ सकते हैं इसलिये मान्यवर, घायल को एक लाख रुपये की तत्काल उपचार हेतु सहायता राहत दी जाय । मान्यवर, तीसरी मांग यह है जो दोषी पुलिस कर्मी हैं, उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज की जाय और उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाय । चौथी चीज इस पूरे घटनाक्रम की सी० बी० आई० से जांच कराई जाय और पांचवीं चीज गांव के लोग जो निरपराध हैं, निर्दोष हैं, अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे थे जिला प्रशासन ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है और जेल भेजा है उनको तत्काल रिहा किया जाय । मैं सरकार से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि इस मामले में अगर सरकार संवेदनशील है और गम्भीर है तो इस पर कठोर रुख अपनाते हुए कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें । यहां पर हमने जो मांगें रखी हैं उन पर कार्यवाही की जाय इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज एक अत्यन्त गम्भीर और किसी सरकार के लिए सचमुच शर्मनाक घटना को उद्धरित करते हुए मुझे दुख हो रहा है । इस घटना में 9 लोगों की जानें गयी हैं और आज भी एक रहस्य बना हुआ है । वहां 5 लाशें गांव में पायी उनके सर पर गोलियों के निशान हैं । गोलियों के निशान पुलिस की बहादुरी की बात न कहकर यह साबित कर रहे हैं कि उनका फर्जी इन्काउंटर हुआ है। जनता के दबाव के कारण पुलिस को सूझ नहीं रहा है कि कौन सी कहानी गढ़ी जाय । सच्चाई यह है कि सरकार नहीं राज करती है सरकार का जलाल सरकार की शक्ति राज करती है । जिस सरकार का जलाल होता है वहां अपराधियों में भय होता है । इस घटना से यह साबित होता है कि सरकार शक्तिहीन हो गयी है और सरकार नाम की चीज प्रदेश की धरती पर नहीं है । कर्मचारियों ने इस सरकार का बहिष्कार किया है और ऐसी सरकार मान लिया है जिसमें कोई शक्ति नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विपक्ष कहता है कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है जंगल का राज है । जंगल राज प्रदेश में है अगर इसका कोई दृष्टांत गवाह हो सकता है तो यह घटना है । जो चीख-चीख कर कह रही है प्रदेश में कानून का राज नहीं है जंगल का राज है अपराधी मासूमों की हत्या कर रहे हैं पुलिस मासूमों की हत्या कर रही है जिस तरह से डकैती डालकर पूरे गांव को प्रताड़ित किया गया है उससे संदेह नहीं रह गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गयी है । सारे तथ्यों को माननीय नेता विरोधी दल और नेता बहुजन समाज पार्टी ने बताया है मैं उसको दोहराकर सदन के समय का अपव्यय नहीं करना चाहता हूं । लेकिन यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि सरकार इस घटना के प्रति गम्भीर रुख अपनाये और इस घटना की निष्पक्षता से जांच हो । सरकार ने यदि किसी दोषी कर्मचारी या अधिकारी को बचाने की कोशिश की तो शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना की ज्वाला धधक उठेगी । जिस तरह से मासूमों को बेरहमी से मारा गया है और पुलिस ने गुडवर्क दिखाने के लिये जिस तरह से चार लोगों की लाशें बिछा दी हैं वह अपने आप में शर्मनाक घटना है ।

मैं कहना चाहता हूं कि बिना विलम्ब के जो चार पल्लेदार थे जिनकी हत्या हुई जो ट्रक पर मजदूरी करके आ रहे थे, जो मजदूर थे और अपने परिवारों के मुखिया थे, अब उन परिवारों में शाम का चूल्हा नहीं जलेगा इसलिए प्रत्येक मृतक के जो आश्रित हैं उन्हें 10 लाख रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया जाय । इसके अलावा जो घायल हुए हैं उनकी तत्काल चिकित्सा करायी जाय। आप भी सहमत होंगे कि इसमें सी० बी० आई० की जांच जरूरी है । यह एक आपराधिक कृत्य है और जिस प्रकार से यह घटना हुई है, सी० बी० आई० जांच करके उसमें तारतम्य स्थापित करे और आप एलान करें कि दोषियों को सजा देंगे । इस मामले में अगर प्रशासनिक लापरवाही हुई है तो उसकी जांच के लिए किसी वर्तमान हाईकोर्ट के जज से इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करा लीजिये ।

और जो दोषी पाये जायं उसे ऐसा दण्ड दिया जाय कि भविष्य में कभी कोई गुडवर्क के लिये 4 मासूमों की हत्या न कर सके । उसकी संस्तुतियां भी प्रदेश सरकार लागू करे और देखें कि ऐसी घटनाओं से घबड़ाकर पुलिस कैसे कठोर कदम उठा लेती है, यह साफ हो जायेगा ? मैं आखिरी बात पर बल दूंगा । आप चाहते हैं कि जनता का रोष शान्त हो, गुस्सा शान्त हो, निष्पक्ष इन्क्वायरी हो तो मान्यवर, मेरी मांग ही नहीं सरकार से अनुरोध ही नहीं पुरजोर सलाह है कि इस घटना से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको तत्काल वहां से हटाकर मरहम लगाने का काम करें । मान्यवर, मैं इस घटना के लिए सरकार की निन्दा करता हूं । किसी भी हालत में इसे दबाने की कोशिश न की जाय, जुर्म वह करे और आपके दामन पर उसकी छींटे पड़ें । इसमें कठोर दण्ड देने की कोशिश करिये । मैं आपसे भी पुरजोर अपील करूंगा कि आप भी अपनी पीठ से सरकार को निर्देश दें कि दोषियों को दण्डित करें और इसकी न्यायिक जांच करायें और जो मरे हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपये दें और जो बेगुनाह जेलों में बन्द हैं, आज विधान सभा उठने से पहले यह घोषणा करें कि उन्हें रिहा कर दिया गया है ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, 1 मई जो जब पूरा प्रदेश "मई डे" मना रहा था और मजदूरों की सहायता के लिये कार्यक्रम कर रहा था उस दिन कुल मिलाकर 9 आदमियों की हत्या हो जाती है उसमें घायलों की संख्या भी काफी है । जिनकी हत्या हुई है वह बेकसूर लोग थे उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था । उन्होंने कहीं डकैती नहीं डाली थी मगर पुलिस ने उन्हें गुडवर्क दिखाने के लिये उनकी हत्या कर दी । यह सरकार एक अर्से से चिल्ला रही है कि हम कानून-व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं । थानों में आदेश दे दिये कि टाप–10, टाप–5 व टाप–1 का नाम दे दीजिये । अगर वह संख्या इस तरह से पूरी होनी है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बेगुनाह को मारा जायेगा तो इस[illegible] कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होनी है । सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए इतने बेकसूर पल्लेदार जो दलित वर्ग के थे उन्हें मार दिया । सरकार खामोश बैठी रही । होना यह चाहिए कि विपक्ष को उठाने के पहले सरकार का एक वक्तव्य आना चाहिए था कम से कम यह पता चलता कि आप कितने संवेदनशील हैं और हत्या का गम आपको है और चिन्तित हैं । लेकिन आपको उन्हें बचाना है । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं जो लोग मरे हैं खासतौर से दलित पल्लेदार, उनको 10 लाख रुपया देना चाहिए और जो घायल हैं उनको एक-एक लाख रुपये का भुगतान एवं उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाए । सी० बी० आई० इन्क्वायरी इस बात की सिर्फ न हो कि वह केवल इस प्रकरण को देखे बल्कि यह इन्क्वायरी हो कि इस तरह की की घटनाएं क्यों हो रही हैं कहीं मुख्य मंत्री को बदनाम करके की कोशिश हो रही है या दूसरी बात । इस प्रकरण की सी० बी० आई० के साथ हाई कोर्ट के किसी जज से भी इन्क्वायरी करायी जाय. इस सदन के उठने के पहले जो निर्दोष लोग बन्द किये गये हैं उनको छोड़ने की घोषणा की जाए ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त ज्वलंत तात्कालिक और अविलम्बनीय प्रकरण है । जनपद फिरोजाबाद के टुंडला कस्बे में 1/2 मई की रात में दो अलग-अलग घटनाएं हुई, भोर में 3.30 पर अकील के घर में सशस्त्र बदमाशों ने डकैती डाली उसमें तीन लोगों की जानें गई हैं । अकील का घर जब लूटा जा रहा था, डकैत लूट रहे थे तो उस मुहल्ले में रहने वाले लोग उसका प्रतिरोध अपनी क्षमता भर किये पुलिस को इत्तला की गई लेकिन पुलिस घटना स्थल पर तब पहुंची जब सशस्त्र बदमाश अपने घायल साथियों को लेकर सुरक्षित भाग निकले थे । इस स्थानीय पुलिस की लापरवाही को प्रदेश सरकार को स्वीकार करना चाहिए । पुलिस समय से मौके पर नहीं पहुंची जिसके कारण तीन निर्दोष लोगों की जानें गई जिसमें वशीम के हाथ बदमाशों ने धारदार हथियारों से काट डाले । जब तक पुलिस की इस तरह की कार्य प्रणाली को बदलने पर गम्भीरता से विचार नहीं किया किया जाएगा तब तक सरकार का अपराध नियन्त्रण का कोई भी प्रयास आसमान में ही लटका रहेगा । दूसरी घटना जिसका जिक्र विरोधी दलों के कई माननीय नेताओं ने किया है । दूसरी घटना में बसई गांव के चार पल्लेदार जो अनुसूचित जाति के थे इनकी हत्या हुई है उस घटना में एक व्यक्ति सन्तोष जो जीवित हैं उसने बताया है कि चारों पल्लेदारों की हत्या पुलिस ने किया है । दोनों घटनाओं में फर्क है एक घटना में बदमाशों ने अकील के घर को लूटा तथा तीन लोगों की निर्मम हत्यायें की उसमें पुलिस अवगत होने के बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंची और मूकदर्शक बनी रही दूसरी घटना में पुलिस ने चार दलितों की हत्या कर दी जो पल्लेदार थे जो सत्यशील ट्रांसपोर्ट के यहां पल्लेदारी का काम करते थे । यह चारों पल्लेदार रात के 10.30 पर एलई में आलू लादने के बाद वापस लौट रहे थे वापसी में इनके साथ घटना घटी । इस घटना में संतोष को भी जो संजय पेपर मिल में गया था, खाकी वर्दीधारियों ने मारना चाहा । किसी तरह संतोष हमलावरों से बचकर भाग निकला और चिल्लाता रहा कि उक्त चारों दलितों को पुलिस में मार दिया । चारों दलितों के सिरों पर गोली के निशान थे तथा उनको बिजली का करेंट भी लगाया गया था । इतनी अमानवीय घटना पूरे प्रदेश में इसके पहले कभी नहीं हुई । जहां डकैती पड़ रही थी वहां तो पुलिस नहीं पहुंच पाई और उन गरीब निर्दोष पल्लेदारों को मार दिया । इन लाशों को लेकर स्थानीय पुलिस के विरुद्ध फिरोजाबाद और टुंडला की जनता में धरना दिया । डी०आई०जी० उन लाशों को जबरन दाह संस्कार के लिए जब वहां से उठवा नहीं पाये तब उन्होंने इसका प्रतिरोध कर रही जनता पर गोलियां चलवाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गये । यह सरकार प्रदेश की जनता को सुरक्षा दे पाने में पूर्णतः विफल है । आज पुलिस निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रही है । उत्तर प्रदेश सरकार को इस घटना की न्यायिक जांच करानी चाहिए । मेरा निवेदन है कि जो पल्लेदार मरे हैं वे श्रमजीवी थे, वे रोज श्रम से अपने रोटी का इन्तजाम करते थे । मृत्यु से परिवार के लिए रोटी का

प्रबन्ध करने वाला कोई नहीं है इसलिए 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और इस घटना की जूडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय और उन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाय ।

*श्री रामजग–

मान्यवर, यह गम्भीर और दुखद घटना है । टुंडला में 1 और 2 की रात में चार दलितों की निर्मम हत्या हुई है और जब इसकी जानकारी ग्रामीण जनता को हुई तो उसनें सड़क पर उतर कर राजमार्ग जाम करके हत्यारों को पकड़ने की मांग की और 302 की रिपोर्ट दर्ज करानें की मांग की । डी०आई०जी०, डी०एम० और एस०पी० का घेराव किया । एक संतोष नाम के नौजवान ने बताया कि चार दलितों की हत्या पुलिस ने कर दी है । यह जनता जो रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रही थी और मृतकों के परिवारजनों को 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रही थी उस पर लाठीचार्ज किया गया और गोलियां चलाई गई । जिसमें एक आदमी पर गया और 100 से ज्यादा घायल हो गये । यह एक गम्भीर घटना है । दर्जनों लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल दिये गये । नगला मस्जिद के निवासी पप्पू को गोली मार दी गई, मुराद बेगम को गोली मार दी गई और मोहम्मद वसीम का हाथ तेज धार हथियार से काट लिया गया । इतनी बड़ी डकैती हुई और पुलिस वहां नहीं जाती है । अखबारों के अनुसार मरने वालों की संख्या 7 है परन्तु अन्य स्रोतों से जो सूचना मिल रही है, उसके अनुसार मरने वालों की संख्या 9 तक हो गई है । यह संख्या और आगे बढ़ सकती है क्योंकि कई लोग गम्भीर रूप से घायल हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं और घटना को घटे हुए 48 घंटे हो गये हैं परन्तु जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी तक सही रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी है । इतनी बड़ी गम्भीर घटना पर माननीय मुख्य मंत्री जी को घटना स्थल पर जाना चाहिये था परन्तु ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को भी गुमराह किया गया है, यह एक चिन्ता का विषय है । एक ओर तो पुलिस दलितों को गोली से मारती है और दूसरी तरफ डकैती में शामिल जो बदमाश थे, जिन्होने अल्पसंख्यकों की हत्या की परन्तु 48 घंटे बीत जाने के बाद भी सरकार के पास उसकी रिपोर्ट नहीं आयी । आज इतनी बड़ी घटना से पूरे प्रदेश का हृदय कांप उठा है । पुलिस के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, जंगल राज कायम है। या तो आज अपराधिक किस्म के अधिकारी शासन करेंगे या फिर प्रदेश सरकार शासन करेगी ।

मान्यवर, समय रहते यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, और पुलिस विभाग के अधिकारी अपराधियों के साथ जुटे हुए हैं और कुछ खुद अपराधिक किस्म के हैं, इस पर आपको गम्भीरता के साथ विचार करना होगा । यह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी बनती है । चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, इन सबके लिये यह चिन्ता का विषय है । इसलिये एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर एक टीम को वहां मौके पर भेजा जाना चाहिये और जो दोषी व्यक्ति हैं, उन्हें तत्काल गिरफ्तार कराया जाये और जिन लोगों को जेलों में बंद किया गया है, आज सदन की समाप्ति से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि उन्हें छोड़ देने का निर्देश दे दिया गया है । दलित परिवार के जो लोग मर गये हैं और जिनके बच्चे अनाथ हो गये हैं, मृतक आश्रित के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता दी जाये और प्रत्येक मृतक के एक आश्रित को नौकरी दी जाये । दूसरा यह है कि पुलिस का चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाना चाहिये और उसे सजा मिलनी चाहिये, उसे फांसी दी जानी चाहिये ।

(इस समय 1 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा अनुरोध यह है कि इस घटना से साफ मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है । इसलिए इतनी बड़ी घटना के बाद दोषी व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिए । यदि सरकार इसमें विफल होती है तो दोषी व्यक्तियों को सजा नहीं देती है तो मुख्य मंत्री जी आपको इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाय ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं दो-तीन बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । श्रीमन्, एक घटना है डकैती की, दूसरी घटना है पुलिस ने इन पल्लेदार लोगों को मारा और तीसरी घटना है पुलिस ने बल का प्रयोग गोली चला कर लोगों को घायल किया और गोली लगने से एक व्यक्ति की हत्या की। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या डकैती को रोकने में सक्षम है, अपराधियों को पकड़ने में क्या सक्षम है या डकैतों के हौसले बढ़ा रही है । मान्यवर, जहां डकैती पड़ती है वहां पुलिस न पहुंचकर अन्य जगह चार लोगों को मार देती है । एक घटना नगला मस्जिद की है जो टुण्डला में पड़ता है । इस घटना में पुलिस अक्षम और निकम्मी साबित हुई है और डकैतों का मुकाबला करने पुलिस नहीं पहुंचती है लेकिन बसई गांव के कुछ लोग पल्लेदारी करने जाते हैं और वे जब पल्लेदारी करके वहां से लगभग साढ़े 10 बजे लौट रहे थे तो आपस में चौराहे पर मजदूरी का बंटवारा कर रहे थे । तो पुलिस को आप देखें तो वह कितनी सक्षम है कि वह इन मजदूरों को संदेह का लाभ देकर पकड़ती है और कहती है कि तुम लोग डकैती डाल कर बंटवारा कर रहे थे । पुलिस उन पल्लेदारों को पकड़ कर ले जाती है जिसे वहां के लोगों ने देखा कि पुलिस की कस्टडी में चार लोग जा रहे हैं जिनकी बसई गांव में प्रभात कोल्ड स्टोरेज के पीछे बाद में लाशें पायी जाती हैं । जिसे गांव के लोगों ने सुबह देखा ।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह क्राइम का बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस की संवेदनशीलता समाप्त हो गयी है और वहां डी० आई० जी०, जिलाधिकारी और एस० एस० पी० के होते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि चार आदमी मार दिये जाते हैं और इसकी जानकारी मुख्य मंत्री जी को नहीं मिलती है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । लखनऊ में सारी जानकारी है रास्ता जाम के नौ घण्टे बाद वहां डी० एम०, एस० पी० और डी० आई० जी० पहुंचते हैं । उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया होता तो आगे की घटना नहीं होती । लोकतंत्र में जब इतनी बड़ी घटना हो जाय तो जनता में आक्रोश का होना स्वाभाविक है । उन्होंने मांग की कि थाने वालों को हटाया जाय, उन्हें बर्खास्त किया जाय और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाय । श्रीमन्, इस मामले में यदि पुलिस अधिकारियों ने विवेक से काम लिया होता तो गोली न चलानी पड़ती । एक दूधिया अपना दूध लेकर जा रहा था उसको गोली लगती है और वह मर जाता है जबकि उसका उस भीड़ से कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरा भी दूधिया घायल हो जाता है और अनेक लोग घायल हो जाते हैं । निर्दोष निरीह लोग अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हुए और उनके ऊपर गोली चलायी गयी । मान्यवर, इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई घटना नहीं है जिस पर मुख्य मंत्री जी आपकी निन्दा की जाय । आपको तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए थी और कार्यवाही का अंग बनाते वहां के सीनियर अधिकारियों को हटाते और निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है । जो लोग घायल हुए हैं उनको कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है । जो चश्मदीद गवाह है वह घायल है । जिलाधिकारी ने उसका बयान क्यों नहीं लिया ? एस० पी०, डी० आई० जी० को उसका बयान लेकर डी० जी० पी० और मुख्य मंत्री जी को सूचना देनी चाहिए थी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना की विवेचना होने से पहले, सी० आई० डी० जांच हो या जूडिशियल इनक्वायरी हो इससे पहले उनको वहां से हटाये जाने की आवश्यकता है ।

टुण्डला थाना तत्काल पूरा वहां से हटाया जाय और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाय । जब तक यह लोग यहां रहेंगे जांच सही तरह से नहीं हो सकती है । मान्यवर, फिरोजाबाद में भी आज बाजार बन्द हो रहा है । टुण्डला में भी हो रहा है । पूरे जिले में हलचल मच गई है । जनता में भय और आतंक पैदा हो गया है । पुलिस डाकुओं का मुकाबला नहीं है, निर्दोष और निरीह लोगों पर गोली चलाने का काम यह सरकार की पुलिस कर रही है । पल्लेदारों के परिवार में एक-एक आदमी को नौकरी दी जाय और 5-5 लाख रुपये की सहायता दी जाय । नगला मस्जिद में जो घायल हुए हैं जो घटना में मरे हैं उनको भी एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाय । घायलों के इलाज की व्यवस्था की जाय । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि इस विषय पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं । नियम–56 में भी इसकी सूचना है और इस विषय पर प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष दोनों के माननीय विधायक और संसदीय कार्य मंत्री सबके विचार आने हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धैर्य रखें एक-एक करके सबको अवसर दूंगा । इस विषय में बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाह रहे हैं । सार संक्षेप में अपनी बात कह सकें । गागर में सागर भर सकें । मैं उन लोगों को जिनके सूचना में हस्ताक्षर हैं उन्हें भी अवसर दूंगा और इसके अतिरिक्त अन्य जो सदस्य बोलना चाहेंगे उनको भी अवसर दूंगा ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, टुण्डला की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिये एक बदनुमा दाग है और किसी लोकतंत्र और प्रजातंत्र के उस कल्याणकारी प्रशासन के मुंह पर तमाचा भी है जो प्रतिदिन सदन में दम्भ के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है । अभी दो दिन पूर्व कानून व्यवस्था की चर्चा हो रही थी और आज तमाम ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया उससे लगे रहा था कि प्रदेश की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है । यहां भी अपराधी आते हैं और बेखौफ होकर हत्यायें करते हैं और चले जाते हैं पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रहती है । उस दिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं, प्रदेश की सरकार बहुत मजबूती से कार्यवाही कर रही है पूरे प्रदेश का जन-मानस सुरक्षित है ।

मान्यवर, टुण्डला कस्बे में वह गांव नहीं है, लाइन के पल्ली पार नगला मस्जिद जो शहरी मुहल्ला है वहां डकैती पड़ी, चोरियां तो शहरों में भी होती हैं, लेकिन जिस तरह से डकैती हुई दुर्दान्त ढंग से डकैती हुई, आधे घण्टे गोलियां चलती रहीं, मोहल्ले के लोग देखने आते गये और एक-एक करके हत्यायें होती गई लेकिन पुलिस उन डकैतों से सुरक्षा नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस तो ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले मजदूरों की हत्याओं, मेहनतकश की हत्याओं में लिप्त थी.। एक कस्बे में एक तरफ डकैती पड़ रही थी, डकैत हत्यायें कर रहे थे लूटपाट कर रहे थे, जनता की रक्षा करने का दायित्व जिस पुलिस के कन्धों पर था वही पुलिस डकैतों से मुकाबला करने के बजाए, मजदूर जो दिन भर मेहनत करके दो वक्त की रोटी जुटाता है, वह मेहनतकश मजदूर दो वक्त का भोजन करने केलिए बंटवारा कर रहेथे, पुलिस उनकी हत्या में लिप्त थी टुण्डला की घटना से साबित हो गया है कि वह रक्षक नहीं भक्षक है । मुख्य मंत्री जी को सूचना होगी, आप कहेंगे नहीं इसलिए घटना हुई है.....

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप में कहें कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कहें लेकिन इस तरह की घटनायें हों तो यह चिन्तनीय विषय है गम्भीर विषय है इस तरह की घटनायें ज्यादा बढ़ रही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस तरह की घटनायें बढ़ेंगी तो पुलिस के ऊपर प्रश्नचिह्न लग जाता है आजकल थाने बिक रहे हैं जब एस० ओ० थाने में पैसा देकर पोस्टिंग करायेगा, तो वह पैसा लेगा भी। मान्यवर, श्रमिक दिवस जो शिकागो से लेकर हिन्दुस्तान तक मनाया जा रहा था उस समय उस चूड़ी की नगरी में, उस कांच की नगरी में चार लोगों की जिस तरह से, मेहनतकश की जिस तरह से हत्यायें हुई इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है। कस्बे में हत्यायें हों तीन लोगों को मार दिया जाय और 6 घायल हो जायें और जनता सड़क जाम करती है तो उसको हटाने के लिए गोली चलाएं.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

जिस तरह से टुण्डला में घटना हुई है इस तरह की घटनायें पूरे प्रदेश में होंगी। जनता सड़क पर आयेगी प्रदेश का प्रशासन पानी हो जाएगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें मैं चार बार अनुरोध कर चुका हूं मुझे कहना पड़ेगा कि अंकित न करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह बहुत ही लोमहर्षक घटना है, मर्माहत करने वाली घटना है, हृदयविदारक घटना है इसमें मैजिस्ट्रेट जांच की बात हुई तो आप भी विपक्ष में रहे हैं मजिस्ट्रेट जांच एस० पी० करेगा. मान्यवर, इसमें पुलिस की न्यायिक जांच कराए, सी० बी० आई० से करा दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाये। इसमें यदि पुलिस गुनाहगार है तो उसको सजा दें। किसी भी पुलिस कर्मी को यह इजाजत नहीं है कि वह गोली चलाए। मान्यवर, जो घटना घटी है उससे स्पष्ट हो रहा है कि हत्या की गयी है। जो लोग इस घटना में मरे हैं उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। जिन लोगों को जेल में ठूंसा गया है उनको भी तत्काल छोड़ देना चाहिए। यह अति संवेदनशील मामला है। यह अति संवेदनशील मामला है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। यहनहीं कि संसदीय कार्य मंत्री जी हमेशा की तरह उठ गये और जवाब देने लगे। आपने मुझे कार्य स्थगन के रूप में सुना इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि इसमेंआप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता–

एक ही विषय पर कई लोगों की सूचनाएं आयी हैं। कुल मिलाकर 25 लोगों की सूचनाएं हैं। तो दो ही तरीके हो सकते हैं। एक या तो अनुशासन का परिचय देंऔर दो–दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। दूसरा तरीका यह है कि मैं विभिन्न दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि वेअपने दल से दो या तीन से अधिक लोगों के नाम न दें और जिसको वह कहें उनको सुन लिया जायेगा। 25 लोगों को इसमें नहीं सुना जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत समय लग जायेगा।

श्री राम तेज यादव एडवाकेट–

मान्यवर, दो-दोमिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं फिर दो मिनट के बाद नहीं बोलने दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील मामला है इसमें सभी सदस्यों को सुना जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

तब तो और कार्यवाही नहीं चल पायेगी । मैं नेताओं से अनुरोध करूंगा कि नाम लिखकर दे दें ताकि आसानी हो जायेगी और उनके विचार आ जायेंगे ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आज जिस हृदय विदारक और दर्दनाक घटना के बारे में इस महान सदन में चर्चा हो रही है, श्रीमन्, यह घटना जहां एक तरफ पुलिस के माथे पर कलंक है वहीं इसआजाद देश केलिए कलंक है । श्रीमन्, जहां पर यह घटना होती है जनपद फिरोजाबाद, टुण्डला कस्बा, जो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिन्दुस्तान में भी नहीं बल्कि पूरी पूरी दुनिया में जाना जाता है । जहां पर महिलाओं के सुहाग के लिए चूड़ियां बनती हैं । मान्यवर, यह घटना ऐसे वक्त होती है जब समूचा देश मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस मना रहा था और एक बट्टा दो मई की रात को दलित परिवार के जो श्रमिक हैं अपनी मजदूरी करके वापस आ रहे थे वहां पर हमारी प्रदेश की बहादुर पुलिस ने मारने का काम किया, टार्चर करने का काम किया । जो रिपोर्ट है उसको आप मंगवाकर देख लें जिस तरह की चोटें आयीं हैं यह किसी एक्सीडेंट की नहीं है यह मारने पीटने की हैं । यह पुलिस के द्वारा घटना की गयी है । मान्यवर, यह घटना उस समय भी हो रही है जब अपराध कर्मी और पुलिसकर्मी मिलकर यह घटना कर रहे हैं । दलितों की हत्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को अपराधकर्मी लूट रहे हैं और हत्या कर रहे हैं । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपराध कर्मी कितने सबल और ताकतबर हो गये हैं और पुलिस कितनी अक्षम और बौनी हो गयी है । नगला मेंअल्पसंख्यक के घर में डकैती हो रही ह सारे गांव के लोग जाग जाते हैं ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं बहादुर पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि घटना स्थल पर जायें । और उसके बाद लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस उनको टार्चर करके मारनें का काम कर रही है। इतनी बड़ी घटना हुई है माननीय मुख्य मंत्री जी ने आजादी की लड़ाई देखी है, कितने कर्मठ और योग्य मुख्य मंत्री होते हुए जो जांच दिखाई गयी है केवल मजिस्ट्रेटी जांच, उससे कुछ नहीं होता है । इसकी समयबद्ध तरीके से न्यायिक जांच कराई जाये और 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट मंगाई जाये । यह सरकार इस्तीफा दे ।

मान्यवर, इस घटना से दलितों में आक्रोश व्याप्त है, यह मान रहे हैं कि यह सरकार दलितों की दुश्मन है मजदूरों की दुश्मन है । 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये जो लोगों को चोटेंआयी हैं आप शाम तक रिपोर्ट मंगा लें भगवान करे उनकी मृत्यु न हो । उनकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं और जो मारे गये हैं उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । तत्काल वहां के डी० आई० जी०, डी० एम० और एस० एस० पी० का ट्रांसफर किया जाये पुलिस के दोषी लोगों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विरुद्ध 302 का मुकदमा दायर हो । मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है । जो भी निर्दोष लोग बन्द हैं यह सारी घटना पुलिस और प्रशासन के निकम्मेपन के कारण हुई है, ऐसे लोगों को तुरन्त छोड़ा जाये । यह घटना पुलिस के माथे पर कलंक है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, फिरोजाबाद की दो घटनाओं ने सरकार के सुधरे हुए कानून व्यवस्था की पोल खोल दिया है । मान्यवर, एक तरफ पुलिस जनता को मारती है और दूसरी तरफ डाकू जनता को मारते हैं । तीन आदमी डकैती में मारे जाते हैं और गरीब परिवार के चार लोग क्रमशः 22 वर्षीय जयपाल सिंह, 25 वर्षीय विजय पाल सिंह, 35 वर्षीय सुग्रीव और 30 वर्षीय सत्यवीर जो दलित वर्ग से सम्बन्धित हैं वह मजदूरी करने जाते थे, आलू लगाने गये थे । रास्ते में लौटते समय पुलिस पकड़ कर उनको ले गयी मारा-पीटा और करेण्ट लगाया । एक आदमी मर गया और इस घटना को छुपाने के लिए 3 को पुलिस ने गोली मार दिया और खेतों में डाल दिया । खेतों में डालते समय एक चौकीदार ने देख लिया तो उसको भी गोली मार दिया । मेरा आग्रह है कि इसकी जांच सी० बी० आई० से कराई जाये और दोषी पुलिस कर्मियों को जेल भेजा जाये और मृतकों के परिवार वालों को कम से कम पांच-पांच लखा रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये और घायल व्यक्ति को एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाये तथा गिरफ्तार सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाये । इस घटना के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं बयान दें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस घटना के तथ्यों के संबंध में काफी चर्चा हो चुकी मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहता, मैं केवल चार बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (1) पुलिस और जिला प्रशासन (2) अपराधीगण (3) जनता (4) सरकार । इस पूरे घटनाक्रम से जो चीज निकल कर आती है वह यह है कि एक तरफ बड़े अपराधियों ने तमाम स्वचालित हथियारों से डकैती डालने का काम किया वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए जनता को मारने का काम किया । जनता को मारते वक्त जहां असफलता को छिपाने का काम किया । उनकी जिम्मेदारी थी अपराधियों को पकड़ने की जब उनको पकड़ नहीं पाये और डकैतों का पता लगा नहीं पाये तो उन्होंने जनता को लोगों को मार दिया और सबूत नष्ट करने का काम किया । सबसे पहले एक आदमी बिजली के करेण्ट से मारा जाता है चूंकि 3 आदमी पल्लेदार थे और वह सबूत के तौर पर थे । वह सबूत न दे पायें इसलिए उनको भी खत्म कर दिया और चौथा जहां पर डेड बाडी को डाल कर जाम लगाया गया जाट समाज का एक व्यक्ति उसने घटनाक्रम को देखा उसको भी गोली से मारने का काम किया गया ताकि वह गवाह न बन सके ।

मान्यवर, जब वह गोयल नर्सिंग होम पहुंच गया था तो पुलिस ने बर्बरता का नंगा नाच नहीं छोड़ा और आगरा के नर्सिंग होम से लाकर उसको भी मार डाला । जनता का यह अधिकार है कि वह धरना-प्रदर्शन करे, सड़क रोके, जुलूस निकाले तो उनको भी ताबड़-तोड़-गोलियां चलाकर मार दिया गया। जहां तक पत्रकार बंधु है मुझे निश्चित जानकारी है कि मुझे पत्रकार बंधुओं ने इस घटना को वीडियो कैसेट में कैच करने का काम किया गया उनके भी कैसेट पुलिस द्वारा छीन लिये गये और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया । आज इस घटना से पुलिस के मुंह पर एक बदनुमा दाग लगा हुआ है यह उत्तर प्रदेश की सरकार गूंगी-बहरी है । इस पर कोई असर नहीं पड़ता । मैं इस घटना पर मुख्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं । अगर जरा भी नैतिकता है तो वह इस्तीफा की घोषणा करें और सारे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की घोषणा करें और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दें तथा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम करके जेल भिजवाने का काम करें ।

*श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जो गंभीर घटना घटित हुई है ऐसी गंभीर घटनाओं की पृष्ठभूमि बढ़ती चली गई कई सदस्यों के द्वारा पुलिस की नाकामी और बर्बरता के कई मामले यहां उठाये गये, लेकिन सरकार ने उसे नकार करके अधिकारियों को बचाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनको पीछे करके स्वयं आगे होकर बचाने का काम किया। इसलिए उनको लगा कि सरकार तो हमें बचाव दे रही है। सरकार हमें बचा रही है तो क्यों अपराधों पर अंकुश लगाया जाय। अंकुश लगाने के बजाय सरकार के यह अधिकारी-कर्मचारी खुद अपराध में लिप्त हो गये हैं। इसी घटनाक्रम में मैं और जोड़ता हूं कि आखिर थानेदार की क्षमता क्या है, एक मरे, दो मरे, तब दंडित होगा। सी० ओ० की क्षमता क्या है, 5 मरे, तब दंडित होगा। इसी तरह एस० पी० जब 10 निर्दोषों की जान जाय, तब दंडित होगा और इस सरकार की क्षमता क्या है, जब 100-200 की जान चली जाय, तब यह सरकार इस्तीफा देगी। सरकार को आखिर जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिये कि थानेदार की जिम्मेदारी है, सी० ओ० की है या फिर एस० पी० की जिम्मेदारी है। आज सरकार मर चुकी है और इस घटना ने इस सरकार के ताबूत में एक और कील ठोकने का काम किया है, इस सरकार को नैतिक रूप से बने रहने का कोई हक नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री को इस घटना पर नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिये।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा बहुत विस्तृत हुई है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, इस प्रदेश में कुछ बचा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार इस चीज की घोषणा करते हैं कि समाज के सभी वर्गों पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, सभी को न्याय मिलेगा, लेकिन यह न्याय तो तभी मिलेगा, जब कानून व्यवस्था ठीक हो। मान्यवर, जिस घटना की चर्चा हो रही है, उसमें पुलिस ने लोगों को मारा पीटा, करेन्ट लगाया और उसके बाद गोली चलाकर मार डाला। एक आदमी जो सबूत के तौर पर था, जिसने सारी चीज को स्पष्ट किया, उसको भी मार डाला। एक अल्पसंख्यक के यहां डकैती डाली गई, डकैत हर उस आदमी को ऐसे मारते थे, जो उनके सामने आता था, जैसे उनके ऊपर कोई कानून व्यवस्था का डर ही नहीं है। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी होती है तो वह भी वहां नहीं पहुंचती है और जब एस० पी०, डी० एम० पहुंचते हैं तो उनके ऊपर धूल, गर्दा, कीचड़, मिट्टी जनता फेंकती है, इससे जाहिर होता है कि कहीं कानून का राजपाट नहीं है। एस० पी०, डी० एम० जैसे अधिकारी मौके पर इतनी देर से जायेगें तो जनता को उनका स्वागत ऐसे ही करना चाहिये। सारे कमजोर, लचर अधिकारी इस प्रदेश में अच्छी-अच्छी जगहों पर बैठा दिये गये हैं, उनकी कोई सोच नहीं है जैसे हमारे माननीय नेता सदन बहुत दिन बाद कुछ कहते हैं, वह भी भगवान भरोसे। ऐसी कौन सी बात हो गई है कि अपराधी निर्द्वन्द हो गये हैं।

पुलिस बुद्धिजीवियों, पत्रकारों के साथ ज्यादती करे, मकान और कार्यालय पर कब्जा कर ले, आखिर सरकार है कहां ? यदि इस घटना की न्यायिक जांच नहीं होती है, मृतकों के परिवार में किसी को अच्छी जगह नौकरी नहीं दी जाती है और मृतकों को 10-10 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाता है तो उचित नहीं होगा। जहां घटना हुई है, माननीय मुख्य मंत्री जी को वहां होना चाहिए था, वह विपक्ष के अपने साथियों को भी ले जाते, धनीराम जी को ले जाते, तब अधिकारियों को पता लगता, कि लोग मौके पर आ गये, इसमें गृह मंत्री को भी जाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा लगता है कि कोई कानून व्यवस्था चलाना ही नहीं चाहते। आज अधिकारी निरंकुश हो गये हैं। आप लोगों को पिछली सरकारों से सबक लेना चाहिए, जब समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह की सरकार थी तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने कहा था कि थाने पर एक कत्ल होगा तो दरोगा नहीं रहेगा, दो कत्ल होंगे तो सी० ओ नहीं रहेगा और अगर इस ज्यादा कुछ होगा तो एस० पी० और डी० एम० को छोड़ा नहीं जायेगा । क्या ऐसी कोई घोषणा आपने की है ? आज लोग भारी मात्रा में पैसा देकर पोस्टिंग करौते हैं, सब बड़े बादशाह हो गये हैं ।

आज चाहे टूण्डला की घटना हो, चाहे गोण्डा, बस्ती, देवरिया, आगरा की हो और चाहे जनता पार्टी और बजरंग दल के लोगों का हो, कानून व्यवस्था कहीं रह नहीं गयी है, आप इस पर अंकुश लगाइये ।आप सदन में संयोग से बैठे हैं, इस घटना पर आप स्वयं उत्तर दें । मैंने स्पष्ट राय इसलिये रखी है ताकि इस प्रदेश में जो बचा खुचा है, उसको आप बचा लीजिये, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

* श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे पूर्व तमाम सदस्यों ने घटना के बारे में विस्तार से अपनी बातें कहीं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह घटना बहुत ज्यादा दुखद है, इससे ज्यादा दुखद घटना हो नहीं सकती । जो यह टुण्डला, फिरोजाबाद की घटनाएं हुई हैं, मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, जवाब में कह देंगे कि कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है, हम अपराधियों के ऊपर शिंकजा कसते जा रहे हैं, हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सक्षम है, तो वह स्वतंत्र हैं कह सकते हैं लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया है कि प्रदेश की पुलिस अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने में कतई सक्षम नहीं है, बल्कि अक्षम साबित हुई है, उसने साबित कर दिया कि उसका रोल क्या है ? डकैती पड़ रही है, धुंआधार रूप से पड़ रही है जो आ गया उसे गोलियों से भून दिया गया, पुलिस वहां पर नहीं पहुंची और न किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में सक्षम हुई । लेकिन दूसरी ओर पुलिस जरूर सक्षम है, हमारे चार निर्दोष मजदूर थे जो मजदूरी करके आ रहे थे, उन्हें गोलियों से भून दिया, इतना ही नहीं उन्हें बिजली का करेन्ट लगाया गया । एक तरफ तो पुलिस बदमाशों के पास नहीं पहुंच पा रही है और प्रदेश के अन्दर अपहरण, हत्या और डकैतियों की बाढ़ आ रही है और पुलिस एकदम अक्षम साबित हो रही है लेकिन निरीह जनता को मारने में, बहादुरी दिखाने में कोई कोताही नहीं कर रही है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अमन पसन्द नागरिक हैं, जो निर्दोष हैं जो अपनी मांग को सरकार के सामने शान्तिपूर्वक रखना चाहते हैं, उन पर पुलिस बहादुरी दिखाती है, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिये यदि नागरिकों ने जाम लगाया तो यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है । वहां की आम जनता शान्तिपूर्वक सड़क के ऊपर धरना दे रही थी, सरकार का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित करने का काम कर रही थी, यह बताने की कोशिश कर रही थी कि आपकी पुलिस कितनी सक्षम है । यह सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में अक्षम है । यहां पर जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें नौकरी दी जाये, यह सही है । अगर सरकार में थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बाकी हैं तो उसे त्याग-पत्र देकर इससे मुक्ति पा लेनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस शर्मनाक घटना का जिक्र और जिन तथ्यों का जिक्र अनेक माननीय सदस्यों ने किया मैं उस दिशा में कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि लगभग सारे तथ्य सामने आ गये हैं, केवल एक तथ्य के बारे में मैं कहना चाहता हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी से निवेदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई उसमें 4 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पुलिस पकड़ कर थाने ले जाती है और वहां पर उनके इलेक्ट्रिक शाक लगाया जाता है जिससे एक आदमी मर जाता है और जो तीन बचते हैं वह कहीं गवाही न करें इसलिये उन तीनों लोगों को पुलिस गोली मार देती है । यह घटना 10 बजे रात की है और उसी रात को 3 बजे डकैती पड़ती है । अगर डकैती की घटना पहले हो गयी होती तो पुलिस यह कहने के लायक होती कि डकैत समझ कर पकड़ लिये गये थे । लेकिन पुलिस यह कहानी बना नहीं सकती ।

यही नहीं मान्यवर, इन तीनों लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । तीनों अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर कभी 107/116 की कार्यवाही भी नहीं हुई है और न इनके खिलाफ कोई एफ० आई० आर० लिखी हुई है । इस तरह से मान्यवर, यह सरासर हत्या का मामला है । इसमें निश्चित तौर पर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने का काम करें । जिन लोगों के घरों में डकैती पड़ी है और जो लोग मरे हैं तो प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय । जो घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपये इलाज कराने हेतु दिया जाय। इसमें सी० बी० आई० से जांच करायी जाय और प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाही रही है और दूसरी जो घटना प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने की हुई हैं जिसमें एक आदमी मारा गया है, इस प्रकरण की जांच जिस तत्परता से होनी चाहिए और समय पर जो सूचना मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिली है इसलिये जितने भी अधिकारी इस मामले में दोषी हैं उसकी जुडीशियल जांच हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए । मैं एक बात के लिये आज गौरव महसूस कर रहा हूं कि इस घटना पर चर्चा के समय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, यह हम लोगों के लिये गौरव की बात है । मुझे आभास होता है कि इस पर नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं । मैं चाहूंगा कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए मुख्य मंत्री जी जो इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं यह इस संबंध में अपना पक्ष रखेंगे, संसदीय कार्य मंत्री जी को हम रोज सुनते हैं । और नेता सदन इस तरह के कार्यवाही की घोषणा करें जिससे आज जो दोषी पुलिसकर्मी या अधिकारी, कर्मचारी हैं उनके ऊपर अंकुश लग सके । दोषी लोग जेल जा सकें और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके ताकि प्रदेश में कानून का राज कायम हो सके । नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी होगी । वह एक सन्देश आज इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता में जायें । आप कहते हैं कि कमजोर मुख्य मंत्री किसी का नुकसान नहीं करता । आप यह दिखा दें कि हम कमजोर और मुलायम हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों, आततायियों के लिये कठोर से कठोर हैं । धन्यवाद ।

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, एक गम्भीर विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद । आज दलितों की हत्या इस सरकार के द्वारा करायी जा रही है । इस माननीय सदन के अन्दर कानून-व्यवस्था के नाम पर पता नहीं कितनी बार चर्चा हुई और सरकार की तरफ से यह उत्तर आ जाता है कि सरकार दलितों, अल्पसंख्यकों और प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्प है । पहली तारीख को श्रमिक दिवस मनाया जा रहा था । 1-2 तारीख की रात में जिस प्रकार से 4 दलित मजदूरों की हत्या पुलिस द्वारा की गयी, जानबूझकर हत्या करायी गयी, इससे बड़ा सरकार का निकम्मापन और कुछ नहीं हो सकता है । कानून-व्यवस्था के नाम पर सरकार दलित और अल्पसंख्यक लोगों की हत्या करवा रही है । यह सरकार दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है । यह गरीबों का शोषण कर रही है । यह अपराधियों को पकड़ने में अक्षम है यह बहादुरी वहां पर दिखा रही है जहां पर दलित और अल्पसंख्यक हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है इससे गम्भीर घटना दूसरी नहीं हो सकती । इस प्रकार की घटना तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी अगर उस समय एक हत्या हो जाती थी तो पूरा थाना हिल जाता था, सरकार हिल जाती थी । मान्यवर, यह सरकार संवेदनशील नहीं है, कानून-व्यवस्था के नाम पर संवेदनशील नहीं है । [× × ×] इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए । इनके शासन काल में दलितों, अल्पसंख्यकों का शोषण और हत्यायें हो रही हैं । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों की हत्यायें हुई हैं उनके परिवार के लोगों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा दे और नौकरी दे । जो घायल हुए हैं उनको दो लाख रुपया दिया जाय । इसी के साथ अगर इस सरकार के अन्दर जरा भी नैतिकता है तो इसको आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए । [× × ×] इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह फिरोजाबाद जनपद के टुण्डला थाना क्षेत्र के अन्तर्गत जिस तरह की घटना घटित हुई उन तीनों घटनाओं के बारे में नेता प्रतिपक्ष से लेकर माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इतनी लोमहर्षक, हृदय विदारक तीनों घटनाएं रहीं जिसको सुनने समझने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं । इस वर्ष की सबसे बड़ी और विचित्र घटना यह है । नेता सदन भी बैठे हैं एक तरफ जहां घर में लोगों की हत्या होती उसको बचाने के लिए कोई महिला आगे आती उसका भी हाथ काट दिया जाता है । यह सरकार और प्रशासन के लिये कलंक की बात है इसके बाद भी प्रशासन नहीं जगा और तीनों पल्लेदारों की हत्या हो जाती है लोक तंत्र में जब किसी लोमहर्षक घटना के बाद भी कुछ न किया जाए तो एक ही रास्ता रह जाता है कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन करें यही यहां हुआ जिस तरह से लोग आक्रोशित थे और सड़क जाम कर रहे थे उसमें पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई उसमें एक व्यक्ति मारा गया कई घायल हुए अस्पताल में हैं । जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं । इस संबंध में मेरा कहना है कि नेता सदन बैठे हैं इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया जाए और जितने वहां अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें ।

सूचना मिली है कि फिरोजाबाद और आगरा बन्द होने जा रहा है अगर लोगों में असंतोष व्याप्त है तो कहां पर वह रुकेगा । इसलिये जनता का विश्वास हासिल किया जाए । भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में बार-बार मैं बयान सुनता हूं । इसमें फौलादी हाथों से निर्णय लेने का काम करें किसी तरह का दबाव न हो । शासन के हित में जो चुनौती मिली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी अधिकारी को वहां रहने न दिया जाए । इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि जो फायरिंग हुई है वह भी जनता के सामने आ जाए । मजिस्ट्रेट जांच की व्यवस्था तो पुलिस रेगुलेशन में है इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाए । साथ ही साथ पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि जो लोग रिपोर्ट लिखाने जाएं उनकी रिपोर्ट न लिखें । अतः सारी रिपोर्ट दर्ज की जाएं । जो मृतक परिवार हैं उनको 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए जो घायल हैं उन्हें भी कम से कम दो लाख रुपये की व्यवस्था की जाए । साथ ही साथ इस बात का ध्यान में रखा जाए कि जल्दी से जल्दी इस घटना की न्यायिक जांच की घोषणा करें । यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है ।

श्री रामवीर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे इस दुखद घटना पर बोलने का अवसर दिये इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में हैं । यह सरकार फिरोजाबाद जनपद में गुण्डों

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

और माफियाओं को संरक्षण दे रही है। इस तरह की वारदातें तो इंग्लिश पीरियड में भी नहीं होती थीं। पौने दो सवा दो पर नगला मस्जिद लाइन पार के पास 5-6 लोगों को बदमाशों ने जो अत्याधुनिक हथियार से लैस थे, लूट लिया और आदित हुसैन, मुराद्दिन बेगम और अहमद को मार डाला। इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को भी इसलिए वहां मौके पर नहीं पहुंची और बदमाश वारदात करके फरार होने में सफल रहे। चार पल्लेदार जो ट्रक लोड करके आ रहे थे उनको पुलिस पकड़ कर थाने ले आई वहां करण्ट दिया गया और फिर खेत में ले जा कर उनको मार दिया। संतोष को जो प्रभात कोल्ड स्टोर का चौकीदार था उसको पुलिस ने गोली मारकर डाल दिया जब वहां थोड़ा समय ज्यादा हो गया तो गांव वालों को संतोष ने इस घटना की जानकारी दी।

संतोष को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया वहां से पुलिस उसे पकड़ लाई और फिर उसकी भी मृत्यु हो गयी। सारे गांव के लोगोंने जिला प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शन किया तो गोलियां चलाई गई जिसमें दूधिया रामप्रकाश की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गये। वहां बदमाशों को प्रशासन का संरक्षण है। किचोरा में डकैती पड़ी, सिरसागंज में डकैती पड़ी, दो हत्यायें गदेरी में हुई। वहां रंगा अपराधी ही यह सब करवाता है उसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है उसे कौन नहीं जानता। मैं आपके माध्यम से सरकार से मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि इस्तीफा दें। इस निन्दनीय घटना पर सदन में चर्चा करायी जाय। ये लोग वहां जाली नोटों का धंधा कर रहे हैं। दो एक वकील मारेगए ये शिकोहाबाद में और एक निषाद की हत्या कर दी गयी। उस दरोगा को कौन नहीं जानता। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस घटना की न्यायिक जांच करायी जाय तथा इस सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बनायी जाय जो उसकी जांच करे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय। जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाय तथा मरने वाले लोगों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री उदयराज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की लगातार बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है चाहे हत्यायें हों, डकैतियां हों, अपहरण हों, पुलिस की जुल्म और ज्यादती हो, वह लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब भी विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था के बारे में यहां पर सवाल उठाया तो सरकार की तरफ से जवाब आ जाता है कि कानून-व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। फिरोजाबाद के टुण्डला कस्बे में एक घटना हुई और इस घटना ने उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की कलई खोल दी। टुण्डला में तीन अलग-अलग घटनायें होती हैं। तीन अल्पसंख्यकों के यहां डकैती पड़ती है और उनको मार दिया जाता है, दूसरी तरफ डकैतों को गिरफ्तार करने के बहाने पुलिस द्वारा एक पल्लेदार की मृत्यु हो जाती है। गवाहों को नष्ट करने के लिए तीन और पल्लेदारों को पुलिस मार देती है। तीसरी घटना यह है कि इस घटना से उत्तेजित होकर उस क्षेत्र के लोग धरना व प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस द्वारा उन पर गोलियां चलायी जाती हैं।

आज सरकार इतनी संवेदनहीन हो गयी है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और न कोई गिरफ्तारी हुई। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं, इसलिये मांग करता हूं कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के आदेश सरकार द्वारा दिये जाने चाहिए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि जो लोग इस घटना में मारे गये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं चाहे डकैती में हो, पुलिस द्वारा मारे गये हों अथवा धरना, प्रदर्शन के दौरान मारे गये हों उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा और घायल लोगों को दो-दो लाख रुपये सहायता के रूप में देने का काम करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं जो बसई गांव है, जो नगला मस्जिद है यह हमारे गांव से दो-तीन कि०मी० की दूरी पर है। मेरा इन गांवों से आना-जाना है और पारिवारिक रिश्ता भी है जिससे विवाह आदि समारोहों में यहां आना-जाना होता है। श्री विजय सिंह के दो पुत्र मारे गये हैं। और इसके परिवार के दो व्यक्ति और मारे गये हैं वे मजदूर पल्लेदार हैं और आलू खोदने की मजदूरी का काम करते हैं। वे शाम को मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रहे थे कि पुलिस ने उनको पकड़ कर मार दिया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वहीं डी० एम०, डा० बी० के० गुप्ता हैं जोअपने ट्रांसफर को रुकवा रहे हैं। डी० एम० का कहना है कि मुख्य मंत्री मेरे रिस्तेदार हैं। मान्यवर, डी० एम० का तीन बार ट्रांसफर रुक चुका है और फिर अपना ट्रांसफर रोकने के लिये प्रयास कर रहा है।

मान्यवर, वहां का डी० एम० दलितों का उत्पीड़न कर रहा है जिससे वहां जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसलिये मेरी मांग है कि डा० बी० के० गुप्ता, जिलाधिकारी को वहां से तुरन्त हटाया जाय वरना निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। मान्यवर, इस घटना में वहां के डी० एम०, डी० आई० जी० और एस० एस० पी० की मौजूदगी में अपराध हो रहे हैं। मान्यवर, जो व्यक्ति मारे गये हैं वे गरीब पल्लेदार थे और अपराधी नहीं थे। उनके खिलाफ कोई अपराध भी दर्ज नहीं था इसलिए उनके साथ ज्यादती की गयी है। मान्यवर, यह अल्पसंख्यक और पिछड़े दलित लोग मारे गये हैं। इस प्रकार इस सरकार के समय में वहां का पुलिस प्रशासन दलितों को मारने का काम कर रहा है। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिलाया जाय तथा निष्पक्ष जांच के लिए वहां के उच्च अधिकारियों को हटाया जाय तथा इस घटना की न्यायिक जांच करायी जाय।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, प्रदेश सरकार एक तरफ कानून का राज स्थापित करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश में अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। 1 मई को जब पूरा देश मई दिवस के नाम पर मजदूरों को सम्मान दे रहा था वहीं फिरोजाबाद में पुलिस की गोली से 1/2 की रात को 7 लोगों की हत्या हो जाती है। इस सदन में तमाम नेताओं की बात आई; मैं उन सबकी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। मान्यवर, एक सवाल है, घटना की जांच होनी है हम मान्यवर, एक तथ्य रखना चाहते हैं कि डी० एम०, इन्स्पेक्टर और डी० आई० जी० यह तीनों वैश्य जाति के लोग हैं जो फिरोजाबाद में तैनात हैं। हम माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को हटाये बिना कोई निष्पक्ष जांच सम्भव नहीं है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपके बयान अखबारों में पढ़ने को मिला है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जंगल राज को खत्म करने के लिये तत्पर है। आज फिरोजाबाद की घटना ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में गुन्डों का राज है, जंगल राज है। किसान मजदूर अपनी बात कहने के लिये सड़क पर आयें तो इनके पुलिस के लोग उन्हें गोली से मार दें। यह कैसी इनकी कानून व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षेप करें।

श्री विनोद मणि–

फिरोजाबाद में जो लोग मारे गये हैं, टुण्डला की घटना में जो लोग मारे गये हैं वहां पर मृतक आश्रित को 10 लाख रुपये प्रति परिवार मुआवजा दिया जाय । जिस परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार से एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में रखा जाय । घायलों के उपचार के लिये 2-2 लाख रुपये की व्यवस्था कराई जाय । आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय में कठोर निर्णय नहीं लेगें । दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराकर कार्यवाही नहीं की तो आने वाले वर्षों के दिनों में पुलिस के लोगों की गोलियों से तमाम निरीह और निर्दोष लोगों की हत्या होगी । एस० पी०, इन्सपेक्टर के खिलाफ, डी० आई० जी० और बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम करके कार्यवाही की जाय ।

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, बड़े गम्भीर विषय पर उस ओर बैठे हुए मित्रों को सुना । वास्तव में जो घटना हुई है उस घटना पर सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को बड़ा कष्ट है और प्रदेश में जिन्होंने भी इस घटना को सुना होगा उसको कष्ट हुआ होगा । इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी होती रही है । आकस्मिक घटनाएं बार बार सामने आती रही हैं लेकिन सदन में इस घटना की चर्चा करना बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग आपस में बैठकर चर्चा कर के कोई सही निर्णय लेगें ?

(व्यवधान)

आप मेरी पूरी बात तो सुनें । हमारी सरकार की तरफ से सभी को बात करने का मौका दिया गया है । कई माननीय सदस्यों ने एक बात कह कर मामले की गम्भीरता को खत्म कर दिया कि मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें । एक शब्द बार-बार दोहरा रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें । वे मित्र शायद यह भूल गये हैं कि पूर्व में भी रामपुर तिराहा जैसा घिनौना काण्ड और लखनऊ गेस्ट हाउस काण्ड जैसे भयंकर काण्ड, हल्लाबोल भी इसी प्रदेश में हुए थे, जो योजनाबद्ध थे । यह तो आकस्मिक घटना है जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों को घटनास्थल पर भेज दिया है । जब इसकी रिपोर्ट आयेगी इसको गम्भीरता से लिया जायेगा । मेरा अनुरोध है कि इसमें सहयोग का रास्ता अपनायें । धन्यवाद ।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें मैंने 3 से 4 नाम भेजने को कहा था हर दल से, नाम भेजे गये, मैंने अधिकतम सदस्यों को मौका दिया पहले जो नाम आये पहले उनको बोलने का मौका दिया ।

श्री लालजी वर्मा–

मेरा नाम भी था ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी गृह मंत्री भी हैं और सदन में मौजूद हैं इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से उत्तर आना चाहिए ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता जी, सदन में आदरणीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उत्तर देने की जहमद तो मोल लें । इतनी बड़ी घटना प्रदेश में हुई, मेरा अनुरोध है माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं बयान दें ।

(व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उनको भी अपनी बात कहने दें।

श्री रामजग–

आप गृह मंत्री भी है इतनी गम्भीर घटना घटी है हम चाहते है कि संसदीय कार्य मंत्री जी न बोलें मुख्य मंत्री जी बैठे हैं वह गृह मंत्री भी है वह इस पर बोलें।

श्री कौकब हमीद–

मुख्य मंत्री जी गृह मंत्री भी हैं वह इस पर बोलें। इतनी गम्भीर घटना इसमें वह संवेदनशीलता दिखाएं।

श्री अधिष्ठाता–

कई माननीय सदस्यों की भावनाओं से सदन अवगत हुआ मैंने भी उनको सुना, लोकतंत्र में आप सुझाव दे सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं कर सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे हैं फिर उचित अवसर होगा तो माननीय नेता सदन को सुन लेंगे।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते समय कहा कि लोग मुझको मौनी बाबा कहते हैं, लेकिन मैं उचित समय आने पर बोलता हूं। आज उचित समय आ गया है। आज तमाम लोगों की नृशंस हत्यायें हुई हैं कानून व्यवस्था को चुनौती दी गयी है। इसलिए बेहतर है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें कहें।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं यह गम्भीर घटना है और इसे गम्भीरता से लेना चाहिए इस घटना पर माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, मैं संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में जो तथ्य हमारे पास आये हैं उनका उल्लेख करूंगा सरकार ने इसमें कार्यवाही क्या की है ? क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? दो घटनायें हैं अपने-अपने तरीके से सम्मानित नेताओं ने घटना का उल्लेख किया है। शासन का वर्जन सदन के सामने रखना चाहता हूं। 1/2 मई, 2000 को, गांव है, नगला मस्जिद लाइन पार थाना टुण्डला, छोटे खां पुत्र बाबू खां के घर 15-16 अज्ञात बदमाश घुसे, लूटपाट की, फायरिंग की। सुबह 3 बजकर 20 मिनट पर घटना हुई।

(व्यवधान)

मुझे कहने दें टोके नहीं, फायरिंग की, लूटपाट की गई पप्पन पुत्र मोहम्मद हुसैन उम्र 25 साल, मुर्दान बेगम उम्र 20 साल, अहमद हुसैन शाकिर हुसैन उम्र 22 वर्ष यह तीनों लोगों की मृत्यु हो गयी। दो की मौत मौके पर ही हो गयी थी और एक अहमद हुसैन की बाद में अस्पताल में हुई। चार लोग इसमें जख्मी हुए। 396 आई० पी० सी० के अन्तर्गत 140/2000 में मुकदमा कायम हुआ। मान्यवर, दूसरी घटना लगभग पांच या छः बजे प्रातःकाल 2 मई, 2000 की है। एक पब्लिक का आदमी पुलिस को इत्तिला देता है कि चार व्यक्तियों की लाश खेत में पड़ी है। टुण्डला चौराहे से लगभग एक किलोमीटर दूर फिरोजाबाद की ओर बसी गांव के पास, पुलिस मौके पर पहुंची और वहां की घटना की गम्भीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और एस० एस० पी० दोनों पहुंचे। उसी गांव के व्यक्ति की जानकारी के

आधार पर सत्यवीर, विजयसिंह, सुग्रीव और जयपाल सिंह की मृतक के रूप में शिनाख्त हुई । जब यह हो गया तो भीड़ इकट्टा होने लगी और नारेबाजी होने लगी । उसमें पुलिस की एक जीप तथा रोडवेज की एक बस जला दी गयी, जो फायर ब्रिगेड का चालक था उसको चोट पहुंचा दी गयी और कट्टे से फायर हुआ और उसमें एक सब इंस्पेक्टर और पुलिस के जवान जख्मी हुए ।

मान्यवर, जब यह स्थिति हो गयी तो इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर फायरिंग की और एक व्यक्ति की मरने की सूचना है । यह तथ्य जो आये हैं मैंने उनका उल्लेख किया है । कुछ बातें यहां पर कही गयी मैं बाद में उसका उल्लेख करूंगा । अभी मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया । मान्यवर, जैसे ही जानकारी मिली घटना की, घटना और वहां का वातावरण, मान्यवर, चूंकि वातावरण में तनाव था इसलिए लाजिमी है लोग उग्र हुए होंगे और प्रदर्शन भी किया होगा, तो हमने प्रमुख सचिव, गृह, मुख्य सचिव और डी० जी० पी० को निर्देशित किया कि मौके पर जायें और सारी स्थितियों का आंकलन करें और जानकारी दें । मान्यवर, इसके साथ-साथ यह आवश्यक था चूंकि तनावपूर्ण माहौल था इसलिए इस माहौल को कम करने के लिए हमने राजस्व मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही जी को, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डा० राम बाबू हरित तथा स्थानीय विधायक श्री शिव सिंह चक की टीम बनाकर कहा कि आप मौके पर जायें और स्थिति का जायजा लें और प्रयास यह होना चाहिए कि जो तनाव व्याप्त है वह कम हो ।

मान्यवर, कुछ बातें कही गयीं । दोनों बातों में अन्तर है । एक में यह कहा गया कि पांच, छः बजे की घटना है और पब्लिक से आदमी आता है और वह सूचना देता और दूसरा वर्जन यह कहा गया कि रात दस बजे की घटना है, कोई मेडिकल स्टोर बताया गया, इन लोगों को गिरफ्तार करके ले आया गया । एक आदमी को शाक दिया गया उसकी वजह से मृत्यु हो गयी । कहा गया कि पुलिस हड़बड़ा गया उन सबको पकड़ ले आयी उनको वहां पर मार दिया फर्जी इन्काउन्टर दिखाने के लिए । मेरी जिज्ञासा हुई कहा गया कि रात के 10 बजे की घटना है थाने पर रखा गया, बिजली का करेन्ट दिया गया तो स्वाभाविक है कि शरीर पर उसके निशान आयेंगे । तो निष्पक्षता बनी रहे जांच सही हो इस कारण से यह आदेश दिया गया कि पोस्टमार्टम टीम बनाकर किया जायेगा । घटना किस समय की है जो मृत्यु हुई उसकी समयावधि क्या है यह पता चल जायेगा । मान्यवर, हमारी प्रतीक्षा उस बात की है कि रिपोर्ट आ जाये ।

मान्यवर, न्यायिक जांच की बात कही गयी । मान्यवर, सारे प्रकरण को सरकार ने गम्भीरता से लिया है तभी हमने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बनाकर भेजी है हमारे सजनेता वहां पर गये हैं वे यहां पर आंकलन अपना रखें बाकी हम एक सही नतीजे पर पहुंच सकें कि किस स्तर के जांच की आवश्यकता है । केवल कानून व्यवस्था का मामला है दो घटना अलग-अलग हो गयीं । पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कोई कमी है सारी बातें सामने आ जायेंगी तभी सही रहेगा कि हम तय करें कि किस स्तर की जांच की आवश्यकता है । कहा गया कि इतने रुपये की घोषणा कर दीजिये, वही होगा सही समय पर सारे तथ्य हमारे सामने आने के बाद । सरकार चलती है उसकी एक प्रक्रिया होती है उस तरीके को अपनाया जा रहा है उसमें एक क्षण की भी विलम्ब नहीं हुआ है । कहा गया कि कल की घटना थी सरकार सो रही थी सरकार आपके सामने थी सदन चल रहा था ठीक डेढ़ बजे तक सूक्ष्म किस्म की जानकारी आ गयी जल्दी कार्यवाही हो उस पर ध्यान दिया गया । जितनी जानकारी प्राप्त हुई है मैंने उसको आपके सामने रखा है ।

प्रस्तावित यह है कि आज की जांच की रिपोर्ट हमारे सामने आने के बाद हम निर्णय लेंगे । कहा गया कि आप इस्तीफा की घोषणा करें, यही सरकार है माननीय राम प्रकाश गुप्त जी के नेतृत्व की सरकार, जो कार्यवाही अपेक्षित थी उस कार्यवाही को कर दिया गया । आपकी तरह सो नहीं रहे थे सरकार आप लोगों ने चलायी है । इस जनता के सामने जो मुखौटा आप लोगों ने लगाकर दिखाया था आप हमसे इस्तीफे की मांग करते हैं । कोई भी अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाया जायेगा । कोई भी अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाया जायेंगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायेगी । जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, मैं सचेष्ट हूं, घटना हुई है, तुरन्त गम्भीरता से उस घटना को लिया है,

दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो डकैती की बात है, जो 4 लोगों की बात है लेकिन तथ्य सामने आ जायें अगर कार्यवाही हम न करें तो हम दोषी हैं । हमने तथ्यों का कलकुलेशन शुरू कर दिया है । इसलिये मेरा आग्रह है कि इस बिन्दु को समाप्त करते हुए आगे की कार्यवाही संचालित की जांय ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा–

श्रीमन्, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो इस घटना से सम्बन्धित सूचना दी है उसमें ऐसे बिन्दुओं को छिपा रखा है जिनकी खासतौर से चिन्ता होनी चाहिए थी जिनके बारे में अपने विचार रखने चाहिए थी । श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं, पहली बात यह है कि आलू लादे गये अथवा नहीं उस गांव में, एलई गांव है और किस समय में लादा दूसरा यह है कि यह संतोष चौकीदार जिसने पुलिस को ट्रक से उन पल्लेदारों को डालते हुए गांव के पास खेत में देखा उसको गोली मारी गयी । गांव के लोगों ने उस घायल चौकीदार को गोयल नर्सिंग होम आगरा में भर्ती कराया, पुलिस उसको पकड़ कर ले आई और उसको मौत के घाट उत्तर दिया लाश अब तक नहीं मिली । तीसरा, वह व्यक्ति जिसने पुलिस को सूचना दी 5 और 6 बजे की वह कौन व्यक्ति है यह जानकारियां भी आप करें अगर उस व्यक्ति ने कहा है कि घटना 5-6 बजे की है और आप कह रहे हैं कि 5-6 बजे की है तो यह 10 बजे की या 1 बजे की है कितने बजे की है ? और उस व्यक्ति ने मरे हुए लोगों को देखा है यह घटना घटित होते हुए देखा है कैसे कह रहे हैं कि 5-6 बजे । मैं जानना चाहता हूं कि आप इन बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस गांव के व्यक्ति ने जानकारी दी उसने केवल यह जानकारी दी कि सड़क के पास खेत में 4 लाशें पड़ी हैं और इस जानकारी के आधार पर स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची और जिलाधिकारी एस० एस० पी० पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा थी । उन्होंने बताया कि फलां की लाशें हैं । दूसरा गोयल नर्सिंग होम में संतोष नाम का व्यक्ति दाखिल हुआ कि नहीं इस तथ्य की पुष्टि की जा रही है यह मेरे पास नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आलू लादने गया या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

पुलिस के खिलाफ क्या मामला बनता है, इसमें सरकार ने क्या कार्यवाही किया ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि पूर्ण रूप से तथ्यों के संज्ञान के बाद ही कुछ कहेंगे ।

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने लगे तथा नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल, कृपया अपने सदस्यों को आसन पर जाने के लिए कहें । कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें ।

(फ्लोर पर आये हुए सदस्यों के वापस न जाने पर)

मैं सदन की कार्यवाही को 3.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 2 बजकर 40 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 3 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 3 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं ।

श्री राम विशुन आजाद–

सरकार ने केवल अपने पक्ष के लोगों को भेज दिया । इसमें सर्वदलीय कमेटी भेजनी चाहिए

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिजनों को मृतकों के शव नहीं दिये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । समस्या का समाधान जोर से बात करने से नहीं होगा । समस्या का समाधान तो शांतिपूर्ण वातावरण में बात करने से होगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह सरकार कितनी संवेदनहीन है कि 48 घंटे बीत रहे हैं कोई कार्यवाही करने का जिक्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया है । अम्बिका जी कह रहे हैं कि मारे गये लोगों के शव उनके परिवार वालों को नहीं दिये गये हैं इससे ज्यादा गम्भीर बात और कोई नहीं हो सकती है । सरकार को आप निर्देश दें कि 10-10 लाख रुपये मुआवजा दें और दोषी कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाय, मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं, यह सदन के सामने आना चाहिए ।

श्री राम विशुन आजाद–

इस समय सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी भी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आ रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

36 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

आपस में स्पर्धा न करिये कि किसकी आवाज तेज है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस घटना को 36 घंटे हो गये हैं । सरकार की संवेदनहीनता देखिये कि इतना समय बीत जाने के बाद भी, कल पूरे दिन का समय था और दिन भर में इस घटना के विषय में सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी ।

श्री अध्यक्ष–

यह बात तो आप कह चुके हैं उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं है । यह बातें सदन की संज्ञान में हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सरकार अपने पूर्व रवैये के अनुसार इस घटना पर भी लीपापोती का रवैया अपना रही है और जब आज बहुजन समाज पार्टी तथा विपक्ष के अन्य माननीय साथियों ने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी तो उसके बाद सरकार ने इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया । जब यहां पर पीठ के सामने यह बात प्रस्तुत हुई तो सरकार ने यहां पर सूचना एकत्र करने के लिये अपनी एजेंसी को भेजने का काम किया । अभी भी आपके सामने की बात है, आपके कक्ष में संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हमने आधा घण्टा पहले प्रमुख सचिव, गृह, माननीय राजस्व मंत्री तथा डी० जी० पी० को घटनास्थल पर भेज दिया और जब 12.20 पर आपकी अनुमति से यहां पर अपनी बात प्रस्तुत करने का समय मिला तो राजस्व मंत्री जी को सदन में देखा तो मैंने बी० आर० वर्मा जी से कहा कि राजस्व मंत्री तो यहीं पर हैं, तो उन्होंने कहा कि हेलीकाप्टर से गये थे अब आ गये होंगे । लेकिन वह गये नहीं थे । जब यहां पर आपके सामने सारी बातें आयीं उसके बाद उनको भेजने का काम किया गया ।

अभी भी सरकार इस पर गम्भीर नहीं है । अच्छा होता कि सरकार इस पर गम्भीर व संवेदनशील होती और सरकार यह सूचना देती कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है । एफ० आई० आर० दर्ज करने की सूचना सरकार देती, यह सूचना देती कि मृतकों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपया दे दिया गया है । जो घायल हैं उनके उपचार की व्यवस्था करती तथा उन्हें आर्थिक सहायता देती । जो आन्दोलनकारी गिरफ्तार हैं उनको छोड़े जाने की सूचना सरकार देती । लेकिन इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गयी । संसदीय कार्य मंत्री जी तो [× × ×] कह रहे हैं कि अब मैं घटनास्थल पर अपनी एजेंसी के फलां-फलां लोगों को भेज रहा हूं । इससे सरकार की गम्भीरता स्पष्ट होती है । उदाहरण के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कल मेरे क्षेत्र में आग लग गयी । 3.00 बजे मुझे सूचना मिली और 3.30 बजे मैं घटना स्थल पर पहुंच गया । इतनी बड़ी घटना जिसमें 9 जानें गयीं और कल डेढ़ बजे संसदीय कार्य मंत्री जी को इसकी सूचना मिल गयी, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है तो डेढ़ बजे दिन में पता लगने के बाद भी सोते रहे, यह सरकार की गम्भीरता को दर्शाता है । इसलिये हम आपका संरक्षण चाहते हैं और इस विषय पर आपकी ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश चाहते हैं । इस बात का स्पष्ट निर्देश दें कि जो मृतक आश्रित हैं उन्हें तत्काल 10 लाख रुपया मुहैया कराया जाय और जो घटना में हताहत हुए हैं उनके उपचार की तुरन्त व्यवस्था की जाय ।

आन्दोलनकारियों को रिहा किया जाये, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज की जाय तथा मामले की सी० बी० आई० से जांच करायी जाये । साथ ही साथ मेरा सुझाव है कि यदि उस घटना का सही तथ्य इस माननीय सदन में रखना चाहते हैं तो वह सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय नेताओं की एक टीम बनाकर तत्काल घटनास्थल पर भेजना सुनिश्चित करें और यह टीम वहां जाकर हर हाल में रात्रि 8.00 बजे तक वापस आ जाये तभी सही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी अन्यथा संसदीय कार्य मंत्री जी हमेशा के मुताबिक घिसी-पिटी बात रखने का काम करेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, सुबह नियम 311 के अन्तर्गत टुण्डला की गम्भीर घटना को हम लोगों ने आपके माध्यम से रखने का प्रयास किया। आपने सदन स्थगित कर दिया और अपने कक्ष में बुलाया और बड़ी गम्भीरता के साथ आपने इस घटना को लिया उसकी हम जितनी प्रशंसा करें कम है। आपने बहुत गम्भीरता से लिया लेकिन सरकार ने इसको बहुत हल्के फुल्के ढंग से लिया। संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर लीपापोती करने का काम किया। आपने कहा कि स्थानीय विधायक को भेज दिया आधा घंटे पहले वह आपके कक्ष में मौजूद थे और भी जिन लोगों को भेजने की बात थी वह नहीं भेजे गये। इस समय वहां जो तांडव नृत्य चल रहा है जिससे शिकोहाबाद फिरोजाबाद टुण्डला कस्बे बन्द हैं लोगों को घटना के प्रति आक्रोश है। पुलिसिया जुल्म चल रहा है पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिवारजनों को दे दिया जाता है अन्तिम संस्कार के लिये लेकिन बड़े दुख के साथ है कि.....

श्री अध्यक्ष–

पोस्टमार्टम हो गया ? अभी संसदीय कार्य मंत्री से पूछ रहा हूं।

श्री धनीराम वर्मा–

परिवारजन अस्पताल में मौजूद हैं उनके शवों को नहीं दिया जा रहा है लाठीचार्ज हो रहा है। सरकार ने जुल्म ढाने में हद कर दिया है। परिवारजनों को अन्तिम संस्कार के लिये शवों को न दिया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि परिवारजनों को तुरन्त शवों को दिया जाए। वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज हो रहा है ऐसा प्रजातंत्र कितने दिन चलेगा ? आप प्रजातंत्र को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपको फैक्स की प्रति भिजवा रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, सभी दलों के नेताओं ने जिस विषय पर चिन्ता प्रकट की है यह अत्यन्त गम्भीर विषय है सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया। मैं आशा करता था कि इस विषय पर नेता सदन अपना वक्तव्य देंगे लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने विपक्ष के किसी सुझाव को नहीं माना। जैसी जानकारी देने की कोशिश की गई वह पूरे सदन के लिये चिन्ता का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री गये हैं। गृह मंत्री मुख्य मंत्री हैं उनको स्वयं जाना चाहिए था वह नहीं गये तो गृह राज्य मंत्री श्री मिश्र जी हैं वह भी यहां बैठे हुए हैं। टीम भेजने की बात थी वह नहीं भेजी गई आप एकतरफा बात रखना चाहते हैं। एक सदस्यीय कमेटी चली जाती वह एक घंटा जाने में और एक घंटा आने में लगाती दो घंटे में सारी स्थिति का आंकलन करके सदन को बताया जा सकता है। नहीं एकतरफा टीम भेजेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि शायद इस सरकार को वहां की परिस्थिति का अंदाजा नहीं है। वहां जो आग लगी है वह इतनी तेज है कि उससे अगल बगल के जिले प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष चाहता है दोषियों को सजा हो जाय और सरकार खुद सारा दोष अपने सिर पर ले रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह भाषण का दूसरा चक्र नहीं है। सारी बातें विपक्ष और नेता बसपा ने कह दी हैं। सदन की कार्यसूची को भी देखें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी इस बात पर संदेह व्यक्त किया गया था कि जिन लोगों के नाम लिये गये राजस्वमंत्री, स्थानीय विधायक और राज्य स्वास्थ्य मंत्री नहीं गये हैं वे अभी यहां बैठे थे। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि दो टीमें अलग-अलग गई हैं एक टीम में अधिकारी हेलीकाप्टर से जा चुके हैं और दूसरे हवाई

जहाज की व्यवस्था में थोड़ा समय लग गया जिसके कारण आप मंत्रीगण को आने में विलम्ब हुआ लेकिन वे सब अभी चले गये हैं। नेता प्रतिपक्ष जो कर रहे हैं वह भी कहा और जो हुआ वह भी कहा।

श्री धनीराम वर्मा–

जो यह कर रहे हैं वही मैं कह रहा हूं।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्य नारे लगाते हुए वेल में आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायें, कृपया आप सब माननीय सदस्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 4.00 बजे तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 4 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है। 4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह सरकार दलित विरोधी है। मान्यवर, सरकार सारे तथ्यों को छिपा रही है इसलिये हम धरने पर बैठे हैं।

(श्री राम विशुन आजाद, डा० वकार अहमद शाह, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव तथा श्री ददद्दू प्रसाद आदि विपक्ष के अधिकांश सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ले लें।

(घोर व्यवधान)

सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ले लें।

(सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाते रहे जिससे निरन्तर व्यवधान बना रहा)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लेने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फैजाबाद में हुई समूह "ग" की परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित करके तथा नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह मांग करता हूं कि कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, फैजाबाद में समूह "ग" के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार होने के बावजूद भी अब तक इस कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों का चयन न किया जाना एक गम्भीर मामला है । समूह "ग" की परीक्षा का परिणाम इस विभाग से सम्बन्धित प्रदेश के अन्य जनपदों के विभागों में चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है और अन्य जनपदों के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भी हो गई हैं । जनपद फैजाबाद में इस विभाग में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति न होने के कारण यहां के अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है इनमें से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी आयु सीमा बहुत ही कम रह गई है । अब तक नियुक्तियां न होने के कारण जनपद के इस विभाग में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के अन्दर रोष एवं असंतोष व्याप्त हो रहा है । जिसके कारण कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है ।

अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त विभाग में हुई समूह "ग" की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करके नियुक्तियां प्रदान करने का सरकार को निर्देश देने की कृपा करें ।]

जनपद चित्रकूट के ग्राम रमौली में चकबन्दी कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर० के० सिंह पटेल–

[महोदय, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूंगा । जनपद चित्रकूट के तहसील कर्वी के ग्राम रमौली में चकबन्दी का कार्य विगत दो वर्षों से चल रहा है, किन्तु अभी तक मात्र सर्वे ही किया गया है । दो वर्ष बीतने के बाद अभी तक सर्वे की रिपोर्ट भी नहीं दी गयी है । जिससे आगे कार्य बाधित है । चकबंदी का कार्य जल्दी पूर्ण न होने से गांव का विकास बाधित है । किसानों को खेती की मोड़ों एवं सिंचाई आदि के अन्य विकास कार्य करने में व्यवधान बना है । जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है । स्थिति विस्फोटक हो सकती है ।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से तत्काल उक्त गांव में चकबन्दी कार्य वर्ष 2000 के अन्त तक पूर्ण कराकर चकों का आवंटन कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद बाराबंकी में पंचायत चुनाव कराने हेतु वोटर लिस्टों में की गयी गड़बड़ियों कीजांच करायेजाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फरीद महफूज किदवई–

[महोदय, जनपद बाराबंकी में पंचायत के चुनाव कराने हेतु वोटर लिस्टों में हुई गड़बड़ियों व अनियमितताओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यह सारी अनियमितताएं इस तरह भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर की गयी हैं । कि अमुक प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ने में असमर्थ रहे अधिकतर ऐसा किया गया है कि भावी प्रतिद्वंदी का नाम या तो वोटर लिस्ट से गायब है या फिर उसे अपमार्जन दिखा दिया गया है ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उदाहरण के लिए ब्लाक हरख जनपद बाराबंकी तहसील नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम चदौली के निवासी मुहम्मद शकील पुत्र मो० रफीक जो ग्राम चदौली के मूल निवासी हैं तथा जो जन्म से लेकर आज तक उसी ग्राम में रह रहे हैं तथा इस बार ग्राम सभा के प्रधान पद के तीन प्रत्याशी थे। का नाम वोटर लिस्ट में था परन्तु उसे संशोधित कर इन्हें अपमार्जन दिखा दिया गया। यही नहीं उनके भाई मोहम्मद कफील पुत्र मो० रफी व उनकी पत्नी श्रीमती जुबेदा जो उसी क्षेत्र से बी० डी० सी० की सदस्य हैं को भी अपमार्जन दिखा दिया गया है। ताकि वह बी० डी० सी० का चुनाव न लड़ सकें यही नहीं इनके परिवार के लगभग आठ व्यक्तियों को अपमार्जन अर्थात यह लोग अब गांव में नहीं रहते हैं। दिखा दिया गया है यह सब इन लोगों के राजनीतिक विपक्षियों ने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी हरख व दूसरे कर्मचारियों से मिलकर यह कारनामा किया है।

यह बहुत गम्भीर मामला है तथा मैं इस घटना की सूचना आप के माध्यम से सदन को देना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।]

जनपद जौनपुर के गरिया नाले पर बने पुल से टोल टैक्स समाप्त करने तथा बेलाव घाट पर पीपा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, जनपद जौनपुर के जफराबाद बेलाव मार्ग अत्यन्त प्राचीन है जिस पर गरिया नाला पड़ता है तथा गोमती नदी पड़ती है। नदी पर कोई पक्का पुल व पीपा पुल भी नहीं है। नाव से ही आवागमन होता है। उक्त मार्ग न तो राज्य मार्ग है और न ही जिला मार्ग है। बाढ़ के समय वहां की स्थिति अत्यन्त भयावह हो जाती है इसलिए गरिया नाला पर पुल बनाया गया है। उक्त पुल को बने हुए काफी समय व्यतीत हो गया है और अब उस पर शासन द्वारा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। चूंकि पुल अभी भी अधूरा है इसलिए स्थानीय जनता में असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए टोल टैक्स समाप्त करने तथा बेलाव घाट पर पीपा पुल लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के घोषित पर्यटन स्थल कालिन्जर में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[महोदय, शासन ने जनपद बांदा के कालिन्जर को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घोषित किया है। वहां पर पर्यटकों के पहुंचने के लिए सम्पर्क मार्गों का तथा यातायात साधनों का अभाव है। सम्पर्क मार्ग बदौसा कालिन्जर मार्ग में बागै नदी में व करतल नरैनी कालिन्जर मार्ग के पुगरी नाला के गहरा नाला में अधूरे पुल करीब आठ सालों से अधूरे बने पड़े हैं जिससे पर्यटकों को आने जाने में बहुत दिक्कत व असुविधा होती है। पर्यटकों के बीमार होने पर दवा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, पेयजल, विद्युत, दूरसंचार केन्द्रों की समुचित व्यवस्था नहीं है। पर्यटकों के खाने पीने व ठहरने के लिए कोई होटल व धर्मशाला भी नहीं है। जिससे पर्यटकों को बहुत कठिनाई असुविधा व समस्याएं पैदा हो गयी हैं। जिससे क्षेत्र की जनता व पर्यटकों में असंतोष व्याप्त है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कालिन्जर में सम्पर्क यातायात साधनों, पेयजल, विद्युत, दूर संचार व्यवस्था, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल व धर्मशाला की सुविधा की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के थानापुर स्थित विद्युत उपकेन्द्र में अतिरिक्त 5 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

[महोदय, जनपद चन्दौली के अन्तर्गत थानापुर विद्युत उपकेन्द्र स्थित है विद्युत आपूर्ति के लिए वहां पर अतिरिक्त 5 के० वी० ए० के ट्रांसफार्मर लगाये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि तीन-तीन के० वी० ए० के दो ट्रांसफार्मर लगे हैं जो काफी पुराने व जर्जर स्थिति में हैं। अधिक भार होने के कारण किसानों को बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। इन परिस्थितियों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो इसके लिए 5 के०वी० ए० के ट्रांसफार्मर लगाया जाना आवश्यक है।

आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस समस्या का निदान करने हेतु 5 के०वी० ए० का नया ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद जालौन के थाना चुर्खी के थानाध्यक्ष द्वारा धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल–

[महोदय, जनपद जालौन के थाना चुर्खी क्षेत्र में निरन्तर घटित गम्भीर अपराधिक घटनाओं के पीड़ितों की प्राथमिकी ही दर्ज नहीं की जाती है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेशानुसार पंजीकृत प्राथमिकी के अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है गत माह ग्राम सुसमरिया निवासी हुलासी नाम के अनुसूचित जाति के व्यक्ति व उसकी पत्नी की सवर्णों द्वारा मारपीट व फसल उजाड़ने तथा घटना के गवाहों की मारपीट में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया तथा ग्राम सिकरी रहमानपुर में एक महिला को गम्भीर रूप से मार पीटकर घायल किये जाने की घटना में प्राथमिकी दर्ज होते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी। ग्राम–चुर्खी निवासी सरमन कृषक की अरहर की फसल थानाध्यक्ष ने स्वयं उठवाकर अपने आवास पर रख ली तथा ग्राम नड़वा में किस्सन नट की सवर्णों द्वारा दिनांक 21-4-2000 को बारात में फ्री बैण्ड बाजा न बजाने पर की गयी गम्भीर मारपीट की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी जिसके कारण अपराधियों के हौंसले बुलन्द होकर निरन्तर दलितों की मारपीट की जा रही है। अपराधी थानाध्यक्ष के संरक्षण में बेखौफ होकर अपराध पर अपराध कर रहे हैं। निर्बल व कमजोर तबके के पीड़ित लोग दूसरे जिलों में पलायन करने पर मजबूर हो गये हैं।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3 मई, 2000 को नियम–300 के अन्तर्गत सात सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनके सम्बन्ध में मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की दिनांक 2-5-99 की

नोट : [illegible] यह प्रश्न पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न सं०–85 का उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में है। प्रक्रिया नियमावली के नियम–32 में यह प्राविधान है कि प्रश्नों के लिखित उत्तर नियत दिन से एक दिन पूर्व संबंधित सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाय। कार्यालय के अनुसार संदर्भित प्रश्न संख्या–85 का उत्तर कल प्रश्नों का समय समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है और मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रश्नों का लिखित उत्तर नियत दिन से एक दिन पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाया करें।

(फ्लोर पर आये हुए सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाये जाते रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

दूसरी सूचना श्री बाबू प्रसाद और श्री आर० के० सिंह पटेल की नियम–56 के अन्तर्गत चयनित सूचनाएं जिन पर ध्यान आकृष्ट किया गया है, पर निदेश संख्या 19 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना न दिये जाने के संबंध में है। निदेश संख्या–19 में यह प्राविधान है कि शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के लिए आशयित सूचनाओं के संबंध में शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जाय उसकी सूचना संबंधित सदस्य एवं विधान सभा सचिवालय को यथाशीघ्र भेजी जायेगी। इस प्राविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री सुदामा चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कोकब हमीद की सदन में ध्वनि व्यवस्था में तकनीकी खराबी के कारण स्पष्ट सुनाई न देने के संबंध में। मैं इसकी जांच करा लूंगा। शेष जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं डा० अशोक बाजपेयी, श्री दीप लाल भारती, श्री बी० आर० वर्मा, श्री राम ललित चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री श्रीराम पाल, श्री शिव चरण प्रजापति, श्री राम औतार शाक्य।

(फ्लोर पर आये सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाये जाने से व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 2 मई, 2000 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है।

जनपद संत रविदासनगर, भदोही में सुरियावां के पश्चिमी क्षेत्र दुर्गागंज को क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) घोषित किये जाने विषयक श्री राम बहादुर सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद संत रविदासनगर, भदोही में सुरियावां के पश्चिमी क्षेत्र दुर्गागंज को क्षेत्र पंचायत (ब्लाक) घोषित किये जाने विषयक श्री राम बहादुर सिंह तथा श्री रामेरेख "निशंक", निवासीगण जनपद संत रविदासनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(फ्लोर पर आये हुए सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाने से सदन में व्यवधान बना रहा)

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद मथुरा के कस्बा राधाकुण्ड में वोल्टेज को सुव्यवस्थित करने हेतु एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र कुमार गोस्वामी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा के कस्बा राधाकुण्ड में वोल्टेज को सुव्यवस्थित करने हेतु एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र कुमार गोस्वामी तथा श्री राम चन्द्र बघेल, निवासीगण जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद मथुरा स्थित मंडी समिति के चौराहे पर एक पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने विषयक श्री पृथ्वीराज कुमार पोइया आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद मथुरा स्थित मंडी समिति के चौराहे पर एक पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने विषयक श्री पृथ्वीराज कुमार पोइया निवासी जनपद मथुरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने से सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा)

श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर के जखनियां तहसील में मघई नदी पर चौजा सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भृगुनाथ राम आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का स्थगन

श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम कटघरा में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री त्रिभुवन सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 स्थगित करते हैं।

जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत दीघ ब्लाक के सेमराधनाथ में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत दीघ ब्लाक के सेमराधनाथ में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विश्वम्भर नाथ मिश्र तथा श्री राजकुमार पाण्डेय, निवासीगण जनपद संत रविदास नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम रमईपुर में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमशंकर पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका +

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद संत रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के अन्तर्गत रमईपुर में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रेमशंकर पाण्डेय

+ छापी नहीं गयी।

तथा श्री दिवाकर शुक्ल, निवासीगण जनपद संत रविदासनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विभिन्न सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 एवं 11 में कुछ नहीं है। मद संख्या–12 में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव हैं उनको आज स्थगित किया जाता है अगर कोई माननीय सदस्य कल देते हैं तो उसमें कल की स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

''यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/सदस्यों द्वारा राज्यसभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय'' के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–13 में चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 6 मार्च, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 8-क का (संशोधन)

2—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8-क में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जहां कोई व्यापारी किसी कर देय माल को वाहन द्वारा परिवहन करता है तो वह वाहन के परिवहनकर्ता या चालक या किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति को विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा गया माल परिवहन-मेमो देगा और ऐसे माल को ले जाने वाले वाहन का परिवहनकर्ता या चालक या प्रभारी व्यक्ति धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऐसे मेमो को उसके निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसी मांग पर वाहन का परिवहनकर्ता या चालक या प्रभारी व्यक्ति ऐसा मेमो प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो यह उपधारित किया जायगा कि :—

(क) व्यापारी ने कर के भुगतान के अपवंचन की दृष्टि से ऐसे माल का लेखा-जोखा नहीं दिया है ; या

(ख) यदि ऐसे माल का व्यापारी अभिनिश्चेय न हो तो परिवहनकर्त्ता, और यदि परिवहनकर्त्ता की अभिनिश्चेय न हो तो यथास्थिति, वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति ऐसे माल का परिवहन अपने वास्ते कर रहा है;

और यथास्थिति ऐसे व्यापारी, परिवहनकर्त्ता, वाहन का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर कर का निर्धारण किया जायेगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डनीय भी होगा।"

धारा 13-कक का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम में, धारा–13–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ी दी जायेगी, अर्थात् :–

न्यून मूल्यांकन की दशा में माल को अधिगृहीत करने की शक्ति

"13–कक–(1) जहां कर निर्धारण प्राधिकारी या धारा–13–क के अधीन सशक्त किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य में कोई माल लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने वाले व्यापारी ने कर के भुगतान के अपवंचन की दृष्टि से ऐसे माल को आयात करने के लिये घोषणा-प्रपत्र में ऐसे माल का प्राक्कलित मूल्य उसकी उचित कीमत से कम दर्शाया गया है या ऐसे प्रपत्र में प्राक्कलित विक्रय मूल्य नहीं दर्शाया है और ऐसे माल का उपधारित विक्रय मूल्य ऐसे माल की उचित कीमत से कम है, तो ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी व्यापारी को, यथास्थिति, ऐसे प्राक्कलित विक्रय मूल्य या उपधारित विक्रय मूल्य के 105 प्रतिशत का भुगतान करके ऐसे माल को अधिग्रहीत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाय।

(3) घोषणा-प्रपत्र पर छपी हुई नोटिस को उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए नोटिस समझी जायगी और व्यापारी की सुनवाई के लिए अलग से नोटिस दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत माल को ऐसी रीति से निर्धारित किया जायेगा जैसी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(एक) "उचित कीमत" का तात्पर्य ऐसी रीति से अवधारित मूल्य से है जैसी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(दो) उपधारित विक्रय मूल्य घोषणा-प्रपत्र में दर्शायी गयी क्रय कीमत को 110 प्रतिशत के बराबर होगा ।

अधिसूचना का संशोधन

4—अधिसूचना संख्या का०नि०–2–2516/ग्यारह–7 (21)/86-उ० प्र० अधिनियम–15-48-आदेश–99, दिनांक 29 नवम्बर, 1999 में शब्द और अंक "30 मई, 1999 से" के स्थान पर शब्द और अंक "पहली अप्रैल, 1999से" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2000

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बाबू राम एम० काम०–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर से निरन्तर नारे लगाने से घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर अनुदान के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–01

आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01—आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,05,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव उपस्थित कर रहे हैं ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01—आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,05,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर अनुदान के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या—14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,18,79,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव उपस्थित कर रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,18,79,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन, जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको स्थगित करता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :—

(1) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — प्रदेश में यू० जी० सी० द्वारा पी० एच० डी० धारकों को "नेट" परीक्षा से छूट प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री श्रीराम पाल — प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा हजारों मजदूरों को बन्धक बनाकर उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री श्यामदेव राय चौधरी — वाराणसी नगर में मदनपुरा क्षेत्र में पूर्ण क्षमतायुक्त थाना खोलने तथा क्षेत्र की गलियों में "पिकेट ड्यूटी" सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री राम विशुन आजाद — जनपद गोण्डा में मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :—

(1) श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदासनगर (भदोही) में डाइंग प्लांटों से निकलने वाले जहरीले पानी से प्रदूषित हो रहे भू-गर्भ जल स्तर को सुरक्षित रखे जाने व जनजीवन को हो रही गम्भीर असुविधाओं के सम्बन्ध में।

(2) श्री वसीम अहमद — प्रदेश में विशेषतः जनपद आजमगढ़ में निरन्तर हो रहे अग्निकाण्ड के पीड़ितों को समुचित राजकीय सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद संत रविदासनगर (भदोही) के अन्तर्गत काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में पूर्व से संचालित बी० एड० की कक्षायें बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(4) श्री दीपलाल भारती — उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकेल्टी द्वारा डिप्लोमा इन फार्मेसी तथा एक्सरे टेक्नीशियन के चयन में कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(5) श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा में रमन प्लांटेशन एवं फाइनेंस कम्पनी लि० द्वारा जालसाजी किये जाने तथा अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में ।

(6) डा० वकार अहमद शाह — जनपद बहराइच में फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था न होने तथा कतिपय स्थानों पर फायर सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :––

(1) श्री शिवचरन प्रजापति — लोक सेवा आयोग, उ० प्र० द्वारा होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री सुधाकर सिंह — जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डल अन्तर्गत ग्राम सभा नेवादा गोपालपुर के ग्राम प्रधान को जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये जाने के संबंध में।

(3) श्री सौलत अली एडवोकेट — इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, जिला मुरादाबाद में वायलर में जलाई जा रही भूसी की राख से क्षेत्रवासियों पर हो रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में ।

(4) श्री राम चन्द्र यादव — नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में लम्बी अवधि से कार्यरत दैनिक श्रमिकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री राम अचल राजभर — चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों, प्रोफेसर्स, रीडर्स तथा प्रवक्ताओं के शिक्षा सत्र के मध्य अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की दशा में सत्रान्त उनको सेवा विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री भारत सिंह रावत तथा श्री मोहन सिंह रावत 'गांववासी' — जनपद चमोली के भूलेख निरीक्षक स्वर्गीय दीवानीराम के मृतक आश्रित पुत्र श्री देवेन्द्र प्रसाद को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं :––

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री विजय कुमार, श्री भगवती प्रसाद, श्री राजाराम पाल, श्री रामकुमार ''एडवाकेट'', डा० अशोक बाजपेयी, श्री बाबू खां, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री लाल सिंह वर्मा, श्री प्रदीप कुमार, डा० कौशल किशोर व श्री श्रीराम पाल की ।

हरिद्वार नगर में सप्त सरोवर मार्ग पर शिवानन्द आश्रम, तुलसी मानस मन्दिर के समीप सीवर का गन्दा जल, गंगा नदी में जाने से गंगा प्रदूषण एवं यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पूंजीयन,. मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री अम्बरीष कुमार, मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि हरिद्वार में सप्त सरोवर मार्ग पर शिवानन्द आश्रम, तुलसी मानस मन्दिर के समीप

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने और सीवर का पानी आश्रमों, मन्दिरों तथा घरों में जाने के साथ-साथ बरसाती नाले के माध्यम से गंगा जी की अविच्छिन धारा में समाहित हो रहा है। इस प्रकार गंगा जी का पवित्र जल गन्दे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया है कि जोकि हर की पैड़ी पर भी जा रहा है जहां लाखों श्रद्धालु स्नान और आंचमन करते हैं। श्मशान घाट खड़खड़ी पर स्थिति यह है कि शवों को गंगा स्नान के पश्चात् पुनः नल से पानी लेकर स्नान कराना पड़ता है। गंगा प्रदूषण से रोगों के फैलने की आशंका बनी हुई है और गंगा में प्रदूषण फैल रहा है जिससे लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है।

2—इस संबंध में मा० सदन को अवगत कराना है कि हरिद्वार में सप्त सरोवर मार्ग पर शिवानन्द आश्रम तुलसी मन्दिर के पास मार्ग पर पड़ी सीवर लाइन चोक होने के कारण ओवर फ्लो कर रही थी। उक्त सीवर लाइन क्षतिग्रस्त नहीं पाई गई। ज्यों ही नगर पालिका परिषद् के संज्ञान में यह तथ्य आया, तुरन्त ही अधिशासी अधिकारी द्वारा सीवर की सफाई कराने के पश्चात् उसे चालू कर दिया गया है। दिनांक 29-4-2000 को प्रभारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, हरिद्वार एवं परियोजना अभियंता गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई हरिद्वार द्वारा अपरान्ह 4.30 बजे संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गई। किसी भी प्रकार का सीवर का पानी ओवर फ्लो करके गंगा नदी में नहीं जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त खड़खड़ी स्थिति श्मशान घाट का भी निरीक्षण उक्त अधिकारियों द्वारा किया गया और उनके द्वारा वर्णित स्थल पर गंगा नदी का जल स्वच्छ पाया गया। इस प्रकार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् हरिद्वार द्वारा सीवर लाइन की सफाई कराने से स्थानीय नागरिकों की सीवर समस्या का समाधान हो गया है।]

जनपद बिजनौर में जैन पेपर मिल, मोहित पेपर मिल से निकले केमिकल युक्त गन्दे पानी से उत्पन्न प्रदूषण से जनजीवन पर होने वाले कुप्रभावों के सम्बन्ध में स्वामी ओइम्वेश द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद बिजनौर स्थित जैन पेपर मिल, मोहित पेपर मिल आदि मिलों से निकले कैमिकल युक्त गन्दे पानी से उत्पन्न प्रदूषण से जन-जीवन पर होने वाले कुप्रभाव के संबंध में मा० सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है।

2—उपरोक्त सूचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि मे० मोहितपेपर मिल्स, नगीना रोड, बिजनौर वर्ष 1995 से उत्पादनरत है। जैन पेपर मिल नाम का कोई उद्योग जनपद बिजनौर में स्थापित नहीं है। मे० मोहित पेपर मिल्स लि०, के द्वारा उद्योग के स्थापना के पूर्व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था उद्योग पेपर इकाई है तथा गन्ने की खोई, एग्रीकल्चरल वेस्ट वेस्ट पेपर तथा अन्य केमिकल का प्रयोग कर राइटिंग, प्रिन्टिंग पेपर व क्राफ्ट पेपर का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 30टन/दिन पेपर उत्पादन करने की है। उद्योग से औद्योगिक प्रक्रिया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के दौरान प्रदूषणकारी उत्प्रवाह लगभग 2200 कि० ली०/दिन जनित होता है, जिसके शुद्धिकरण हेतु उद्योग में उचित क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है।

3—उद्योग का उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है। अद्यतन निरीक्षण दिनांक 17 दिसम्बर, 1999 एवं 5 अप्रैल, 2000 को किया गया। निरीक्षण के समय स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र कार्यरत पाया गया। निरीक्षण के समय शुद्धिकरण के पश्चात् निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या के परिणाम निम्न प्रकार हैं :–

क्र०सं०	पैरामीटर	परिणाम		निर्धारित मानक
		17-12-99	5-4-2000	
1	पी० एच०	7.768	7.72	5-5-9.0
2	निलम्बित ठोस	84.0 मिग्रा/ली०	92 मिग्रा/ली०	100 मिग्रा/ली०
3	बी० ओ० डी०	27.0 मिग्रा/ली०	23 मिग्रा/ली०	30 मिग्रा/ली०
4	सी० ओ० डी०	248 मिग्रा/ली०	240 मिग्रा/ली०	250 मिग्रा०/ली०

4—उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों के अनुरूप है। उद्योग के उत्प्रवाह में रंग की समस्या है। उत्प्रवाह से रंग को दूर करने हेतु वर्तमान में कोई तकनीकी प्रचलित नहीं है। उत्प्रवाह में रंग के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मानकों के अनुसार यथा व्यवहार्य अनुपस्थित होना चाहिए। रंग की समस्या को दूर करने हेतु उद्योग को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 1988, 18 मार्च, 1999 एवं 12 जनवरी, 2000 द्वारा निर्देश भी दिये गये हैं जिसके परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के परामर्श पर केमिकल ट्रीटमेन्ट किया जा रहा है।

5—उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 1999 को छोइया नदी के समीपस्थत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था। यह नदी ग्राम–हादरपुर, गडाना, मोमनपुर, मौजीपुर, जलालपुर, अगिनगली, शाहपुर लाल, सिकन्दरी आदि गांव के पास से होकर गुजरती है। सर्वेक्षण के समय पाया गया कि छोइया नदी का पानी खेतों में नहीं फैलता है। पशुओं के रोगी एवं मरने के संबंध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बिजनौर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त क्षेत्र में "पशुओं में किसी व्यापक बीमारी का आभास नहीं हुआ है।" छोइया नदी के आस-पास स्थित गांवों, सिकन्दरी, हादरपुर, शाहपुर लाल के हैण्ड पम्प के नमूने एकत्र कर उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला से विश्लेषित कराये गये थे। विश्लेषण के परिणामों के अनुसार हैण्ड पम्पों का जल पीने योग्य पाया गया।]

चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज, मण्डी श्यामनगर, जनपद गौतमबुद्ध नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–21 स्थगित की जाती है।

प्रदेश में समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पन्न हुई 'होम्योपैथिक भेषजक' की परीक्षा को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत होम्योपैथिक भेषजकों के 222 रिक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा दिनांक 9 जुलाई, 1999 को आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा में गम्भीर अनियमिततायें बरते जाने यथा कतिपय कक्ष निरीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों को नकल कराने, होम्योपैथिक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों व कुछ अन्य अभ्यर्थियों को एक विशेष परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जाने आदि की शिकायतें प्राप्त हुईं। इस संबंध में शासन द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ० प्र० से जांच करायी गयी तथा जांच रिपोर्ट में कतिपय शिकायतें सही पाये जाने के कारण प्रश्नगत परीक्षा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3452/सेक–4/इकहत्तर/99-130/98, दिनांक 29 नवम्बर, 1999 द्वारा निरस्त कर दी गयी। भेषजकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन की कार्यवाही शीघ्र पुनः प्रारम्भ किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। उक्त चयन के लिये आयोजित होने वाली परीक्षा में निरस्त की गयी परीक्षा में सम्मिलित अर्ह अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने एवं उनके फीस के समायोजन पर विचार किया जायेगा।]

नाबार्ड द्वारा आवंटित पूर्ण धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त न कर पाने से आर० आई० डी० एफ० योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले विकास कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

सम्पूर्ण प्रदेश में कई-कई हत्याओं के आरोपियों तथा सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा दाखिल आरोप पत्रों के मुकदमों की वापसी के कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर न्याय मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 23 व 24 स्थगित की जाती है।

सेण्ट जान कान्वेन्ट हास्टल टिनिसिरपुर, बिजनौर तथा मथुरा में एंग्लो इण्डियन स्कूल में अराजक तत्वों द्वारा हमला कर ननों तथा कर्मचारियों को मारे-पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पीटर फैन्थम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत श्री पीटर फैन्थम, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया कि सेन्ट जान कानवेन्ट हास्टल, टिनिसिरपुर, बिजनौर में हथियार से लैस 15 व्यक्तियों द्वारा हास्टल में आक्रमण किया तथा वहां पर तैनात ननो और कर्मचारियों को मारा-पीटा, अपमानित किया । यह एक घिनौना कुकृत्य है । जनपद मथुरा में एंग्लो इण्डियन स्कूल के साथ भी इसी प्रकार की घटना का होना, सूचना में अंकित है । सूचना में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त घटनाओं से अल्पसंख्यकों में आतंक एवं भय व्याप्त है जिसके कारण स्थिति विस्फोटक हो सकती है । शासन से इस संबंध में वक्तव्य की मांग की गयी ।

2—इस संबंध में अवगत कराना है कि बिजनौर–मेरठ मार्ग पर स्थित ग्राम तिमरपुर, जनपद बिजनौर के पास स्थित सरवेन्ट क्वार्टर के निवासी श्री पैट्रिक पुत्र मारकस द्वारा थाने पर यह प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है कि 04 अज्ञात बदमाशों द्वारा डरा धमका कर रुपये 800/- नकद, एक डेक, सोने के कुण्डल, चांदी की जंजीर व अन्य सामान लूटा गया । इस संबंध में मु० अ० सं०–287/2000 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया । उक्त घटना के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा भी मौके पर जाकर जांच की गई और यह पाया गया कि उक्त घटना सामान्य रूप से घटित होने वाली अपराधों की श्रेणी के अनुरूप ही है । फादर जोस मूर, निवासी तेरा प्रेम, बिजनौर द्वारा राष्ट्रीय सहारा के नई दिल्ली स्थित स्थानीय सम्पादक को एक पत्र भेजकर वास्तविकता से अवगत कराते हुए यह कहा गया है कि किसी के साथ मारपीट नहीं की गयी है । स्कूल पर कोई हमला नहीं हुआ पूजास्थल को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई और न ही पूजास्थल को अपवित्र किया गया है उक्त स्थल पर पूजा गृह (चर्च) है ही नहीं । उनके पत्र में यह भी आश्वासन है कि उक्त घटना से ईसाई मिशनरियों में कोई भय व्याप्त नहीं है। उनके द्वारा स्थानीय सम्पादक से यह भी कहा गया है कि वास्तविक घटना को पुनः प्रकाशित करा दिया जाय ताकि ईसाई मिशनरियों में कोई गलत संदेश न जाने पाये स्थानीय ईसाई समुदाय प्रशासन से पूर्ण रूप से संतुष्ट है और उनमें कोई भय व्याप्त नहीं है । इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही में दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है ।

3—मथुरा जनपद के मिशन स्कूलों में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :—

(1) सेकरेड हार्ट कान्वेन्ट स्कूल, थाना नरहौली, जनपद मथुरा में कुछ समय से छात्रों द्वारा विकास शुल्क लिये जाने, फीस वृद्धि करने, छात्रों को फेल करने, अगले क्लास में प्रोन्नति न करने, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस न मनाये जाने एवं स्कूल में प्रवेश को लेकर आदि मुद्दों पर विरोध किया जा रहा था । दिनांक 03 अप्रैल, 2000 को कुछ अभिभावकों से जो प्रधानाचार्य से वार्ता करने आये थे, प्रधानाचार्य द्वारा वार्ता करने से इन्कार कर दिया गया था अभिभावकगण द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारी, मथुरा से सम्पर्क किया गया जिस पर दिनांक 06 अप्रैल, 2000 को परगना मजिस्ट्रेट सदर की उपस्थिति में प्रधानाचार्य से वार्ता करने का आश्वासन दिया गया । प्रधानाचार्य द्वारा वार्ता न किये जाने पर 06-4-2000 को कतिपय अभिभावक विद्यालय के गेट पर एकत्रित हुए और प्रधानाचार्य से

नोट :– | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वार्ता करने का अनुरोध किया गया । श्री महेश्वर नाथ चतुर्वेदी, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, जनपद मथुरा तथा कुछ अन्य लोग प्रधानाचार्य के कार्यालय में पहुंचे तथा परगना मजिस्ट्रेट सदर तथा तहसीलदार सदर की उपस्थिति में यह तय हुआ कि दिनांक 17-4-2000 को प्रधानाचार्य अभिभावकों से उनकी कठिनाइयों के निराकरण हेतु वार्ता करेंगी । उक्त बैठक 17-4-2000 को ही सम्पादित हुई जिसमें सभी बिन्दुओं पर समझौता हो गया । स्कूल में प्रदर्शन आदि किये जाने की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा अनिच्छा व्यक्त की गयी ।

(2) दिनांक 10-4-2000 को सेन्ट डामनिक स्कूल, मथुरा कैण्ट में प्रधानाचार्य से बच्चों के प्रवेश को लेकर हाथापाई हो गयी थी जिसके संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा थाना सदर बाजार, जनपद मथुरा में मु०अ०सं०–60/2000 अन्तर्गत धारा 147/504/506/323/452 भा०द०वि० दर्ज कराया गया। इसमें श्री सुरेश चन्द्र शर्मा को नामजद भी किया गया था । लेकिन विवेचना के दौरान सभी व्यक्तियों विजय शर्मा पुत्र गंगा प्रसाद शर्मा (भू०पू० विधायक) व श्री अरविन्द शर्मा पुत्र राम नाथ शर्मा का पता लगा लिया गया । कमरे में विजय शर्मा व प्रधानाचार्य से गरमा-गरम वार्ता हुई एवं हाथापाई हो गयी थी। पुलिस के लगातार दबिश और दबाव से श्री विजय शर्मा व अरविन्द शर्मा ने दिनांक 13-4-2000 को ए० सी० जे० एम० तृतीय, मथुरा के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया । न्यायालय ए० सी० जे० एम० ने अभियुक्तों से मुचलका भरवाकर अन्तरिम जमानत कर दी जांच से इस घटना में इन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति का सम्मिलित होना नहीं पाया गया । विद्यालय में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा स्वयं गये थे । वहां किसी की असुरक्षा की भावना नहीं है एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गयी है ।

(3) दिनांक 10/11 अप्रैल, 2000 की रात्रि में थाना कोसी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बरहाना के पास सेन्ट टेरसा कान्वेन्ट स्कूल परिसर में एक डकैती की घटना घटित हुई जिसके संबंध में मु०अ०सं०–83/2000 अन्तर्गत धारा 395/397 भा०द०वि० दर्ज किया गया । डकैती की घटना के दौरान फादर के० के० थामस को चोटें आयी हैं इसके अतिरिक्त सिस्टर ग्लोरिया को भी एक घूंसा बदमाशों ने मार दिया था । बदमाशों के पास कोई भी हथियार नहीं थे व संख्या में करीब 09 थे । जिन्होंने घटना के पूर्व पेड़ों से शाखायें तोड़ ली थी और उन्हीं के डण्डे बना लिये थे । दरवाजा तोड़ने के लिए बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया तथा एक दरवाजा गमला मारकर तोड़ा जो वही स्कूल परिसर में उपलब्ध था । इस घटना में लगभग 70,000/- की कीमत का नकदी व सामान लूटकर ले जाना बताया गया । घटनास्थल का निरीक्षण आयुक्त, आगरा मण्डल, पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा, जिलाधिकारी, मथुरा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा किया जा चुका है । थानाध्यक्ष कोसी द्वारा घटना की विवेचना की जा रही है । अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार धार्मिक अथवा जातिगत बात प्रकाश में नहीं आयी है । वर्तमान में विद्यालय परिसर में पुलिस का पहरा बना हुआ है तथा स्थिति सामान्य है । अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उक्त घटनाओं में किसी सम्प्रदाय विशेष के विरुद्ध न होकर सामान्य रूप से अपराधिक घटनायें हैं इनके सम्बन्ध में शासन एवं प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गयी है एवं सजगता बरती जा रही है प्रदेश शासन एवं प्रशासन, अल्पसंख्यकों के हितों/उनके स्कूलों आदि की सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से सजग है ।]

जनपद संत रविदासनगर के नगर पंचायत नई बाजार में फेयर बस स्टाप न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद संत रविदासनगर में जौनपुर–मिर्जापुर मार्ग पर स्थित भदोही नगर पंचायत में नई बाजार स्थान पर परिवहन निगम का फेयर स्टाप पूर्व से ही घोषित है । इस स्थान पर यात्री परिवहन निगम की बसों की सुविधा आने जाने हेतु प्राप्त कर रहे हैं । परिवहन निगम द्वारा चालकों/परिचालकों को नई बाजार में यात्रियों को पूर्ण यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है तथा यातायात निरीक्षक को समय-समय पर बसों के रुकने की स्थिति का निरीक्षण करने के आदेश भी दे दिये गये हैं । इस प्रकार भदोही नगर पंचायत के नई बाजार नामक स्थान पर परिवहन निगम का फेयर स्टाप होने के कारण यात्री इसका लाभ उठा रहे हैं ।]

जनपद संत रविदासनगर, भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के गोपीगंज नगर में सीवर लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में गोपीगंज, नगर पालिका परिषद् को वर्ष 1997-98 में शासन द्वारा सीवर निर्माण हेतु धन स्वीकृत कर कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज विभाग से निर्माण कराने हेतु व्यवस्था की गयी है, का जो बिन्दु अपनी सूचना में उठाया गया है, इस संबंध में स्थिति यह है कि वर्ष 1997-98 में नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज को सीवर व्यवस्था हेतु शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । शासनादेश संख्या–1179ए/नौ–1-95. दिनांक 11 सितम्बर, 1995 द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 में नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज को कुल रु० 25.00 लाख का विशेष सड़क अनुदान उनकी सीमा के अन्तर्गत आने वाली सड़कों के अनुरक्षण, सुधार, नवीनीकरण एवं उसके किनारे की नालियों के बनने और सीवरेज से जोड़ने के प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गयी थी । नगर पालिका परिषद् को स्वीकृत उक्त 25.00 लाख रु० की धनराशि को जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत जी० टी० रोड के दक्षिणी ओर नाला निर्माण के कार्य का निर्णय लेते हुए निर्माण एजेन्सी कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज यूनिट संख्या–34 उ० प्र० जल निगम, भदोही से कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

2—निर्माण इकाई द्वारा प्रश्नगत नाले के निर्माण कार्य हेतु रु० 53.98 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया था जिसके सापेक्ष शासन द्वारा स्वीकृत उक्त 25.00 लाख रु० तथा निकाय द्वारा

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अपने अंशदान के रूप में रु० 3.25 लाख की धनराशि अर्थात कुल 28.25 रु० लाख की धनराशि निर्माण इकाई को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई । उपलब्ध कराई गई धनराशि से 890 मीटर नाले का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप इस प्रकार के मद बन्द होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन द्वारा मांगी गयी अवशेष धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की जा सकी । अतः अब इस संबंध में समस्त कार्य नागर स्थानीय निकाय को राज्य वित्त आयोग से सीधे संक्रमित की जाने वाली धनराशि तथा अपने संसाधनों से कराये जाने हैं ।]

महाराज सिंह इण्टर कालेज, बहराइच के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री अली हुसैन को पेंशन प्रपत्र न मिलने से पेंशन के भुगतान में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–28 स्थगित की जाती है ।

जनपद गोण्डा के दक्षिण वन प्रभाग गोण्डा के अन्तर्गत वनाधिकारियों की मिली भगत से अवैध लकड़ी कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामविशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[सूचना में दिये गये स्थलों की की जांच निरीक्षण कराया गया जिसमें रामगढ़ टिकरी रेंज के मनीपुर बीट कम्पार्टमेन्ट, 11. 12. 13. 14. 19 वासुदेवपुर कम्पार्टमेन्ट 1. 2. 3 बुटहनी बीट कम्पार्टमेन्ट 18. 19 गणेशपुर एवं करीदी बीट में कोई अवैध कटान नहीं पाया गया । उक्त रेंजों के कतिपय बीटों में छिटपुट सूखे बूट कुल्हाड़ी से कटे पाये गये जैसे कि रामगढ़ बीट एवं बुटहनी बीट में 0-1 व 1-2 व्यास कक्ष के साल व सागौन के छिटपुट बूट, बटैनी बीट कम्पार्टमेन्ट 15. 16 व 17 में 0-1 का एक बूट तथा 1-2 ब्यास कक्ष के 6 बूट जामुन व साल के कटे पाये गये । उक्त हेतु किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक उत्तर प्रदेश को निर्देश जारी कर दिये गये हैं । निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ हुआ कि भारी मात्रा में अवैध कटान नहीं हुआ है । जहां तक रेंज अधिकारी व सम्बन्धित फारेस्ट गार्ड द्वारा वन माफियाओं से मिलकर अवैध कटान/बूट खुदान करने का प्रश्न है, ऊपर उल्लिखित तथ्यों के परिशीलन से सूचना में दिये गये तथ्य सही प्रतीत नहीं होते हैं ।

जहां तक रामगढ़ टिकरी रेंज में 50 यूकिलिप्टस के वृक्षों को कटवाने व 40 ट्रक जलौनी बेचने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस रेंज में हाइटैक नर्सरी की स्थापना हेतु 16 वृक्ष यूकिलिप्टस, 16 वृक्ष सागौन एवं महुआ अर्जुन, जामुन तथा आम का एक-एक वृक्ष (कुल 36 वृक्ष) काटे गये थे । इन वृक्षों से प्राप्त प्रकाष्ठ में यूकिलिप्टस से 36.7643, अर्जुन से 0.5657, महुआ से 0.4501,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सागौन से 3.4122. जामुन से 0.4850 तथा आम से 1.1588 घनमीटर प्रकाष्ठ प्राप्त हुआ । इस प्रकाष्ठ का उल्लेख संगत पंजिका में पृष्ठ संख्या 22से 29 पर दर्ज है एवं जिसे लाट बनाकर वन निगम को सार्वजनिक नीलाम हेतु दे दिया गया है । इस प्रकार 50 यूकिलिप्टस वृक्षों के कटान में 40 ट्रक जलौनी बेचने की बात जांच में सही नहीं पायी गयी है ।

जहां तक हाईटेक नर्सरी में अधोमानक एवं उच्च मूल्य पर ईंटों के प्रयोग का सम्बन्ध है इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत निर्माणाधीन हाईटेक नर्सरी में अभिलेखानुसार प्रथम श्रेणी के 1.12.900 ईंटों का क्रय तथा प्रयोग किया जाना पाया गया । उक्त ईंटों में से लगभग 75 हजार ईंटें, 1256 वर्गमीटर क्षेत्र में खडंजा मार्ग में प्रयुक्त की गयी तथा शेष अन्य निर्माण कार्यों में प्रयोग में लायी गयी । भौतिक सत्यापन में अधिकांश ईंट प्रथम श्रेणी की पायी गयी परन्तु कहीं-कहीं "ओवर बर्न्ट" ईंट दिखायी पड़ती है जो कि सम्भवत: ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा ईंटों की आपूर्ति के समय मिश्रित करके बेची गयी हैं जिसे आपूर्ति के समय यदि किंचित सावधानी बरत कर रोका जा सकता था । इस संबंध में किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश विभागाध्यक्ष को दे दिये गये हैं । गोण्डा वन प्रभाग में निर्माणाधीन हाईटेक नर्सरी हेतु स्वीकृति प्राक्कलन के अनुरूप रु० 1600 प्रति हजार (ढुलाई प्रभार सहित) की दर से ईंटों का क्रय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय वित्तीय समिति द्वारा कोटेशन के आधार पर किया गया है ।

जहां तक रेंज अधिकारी द्वारा थिनिंग कार्य करायी गयी लकड़ियों को बेचने का बिन्दु है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 7 वर्ष एवं 10 वर्षीय साल थिनिंग का कार्य रामगढ़ कम्पार्टमेंट–20 में टांगिया मजदूरों द्वारा स्वीकृत कार्य योजना में दिये गये प्राविधान के अनुसार निशुल्क कराया गया तथा इसकी जलौनी लकड़ी मौके पर स्थानीय उपयोग हेतु छोड़ दी गयी ती, जिसे टांगिया मजदूरों द्वारा अपने जीविकोपार्जन हेतु बाजार में बेचने का प्रयास किया गया परन्तु इस बीच इसकी जानकारी होते ही उक्त थिनिंग कार्य को तत्काल रोक दिया गया है । थिनिंग की जलौनी पकड़ी को रेंज अधिकारी द्वारा स्वार्थवश न पकड़ने, उसे बेचने एवं जनता को परेशान करने एवं अवैध वसूली की सूचना जांचोपरान्त सत्य प्रतीत नहीं होती है ।

जहां तक रेंज अधिकारी द्वारा गरीब जनता को नाजायज तरीके से परेशान करने व अवैध वसूली करने का बिन्दु है इस संबंध में अवगत कराना है कि वन क्षेत्राधिकारी, सादुल्ला नगर रेंज के कार्यभार के साथ-साथ टिकरी रेंज का भी कार्य देख रहे हैं । यह दोनों ही रेंजें अत्यन्त संवेदनशील एवं अवैध कटान के लिए कुख्यात रही हैं । यह दुहरे कार्य भार में होने के बावजूद वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अवैध कटान पर नियंत्रण का भरसक प्रयास किया गया है जो उक्त जांच आख्या से स्पष्ट है । वन क्षेत्राधिकारी द्वारा टिकरी रेंज के अपने कार्यकाल के दौरान 91 वन अपराध जारी किये गये तथा अवैध कटान में लिप्त 25 अभियुक्तों के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा–393/411/333/504/506 भारतीय वन अधिनियम की धारा–26 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है । जिनमें से 25 अभियुक्त जेल भी भेजे गये हैं । पंजीकृत किये गये वन अपराधों में 48 केस आरक्षित वन के तथा 43 केस ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिनमें क्रमश: रु० 61350.00 तथा रु० 121250.00 अर्थात कुल 182600.00 मात्र का प्रतिकर

मार्च, 2000 तक वसूल किया गया है। अतः वन क्षेत्राधिकारी द्वारा गरीब जनता को नाजायज तरीके से परेशान करने व उनसे अवैध वसूली की सूचना सही प्रतीत नहीं होती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० परिवहन निगम द्वारा मनमाने ढंग से लखनऊ महानगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित बसों का मार्ग परिवर्तन किये जाने तथा लखनऊ शहर में व लखनऊ से अन्य स्थानों को अवैध रूप से चलायी जा रही जीपों, टाटा सूमों तथा डग्गामार बसों से परिवहन निगम को हो रही क्षति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, परिवहन मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–30 स्थगित की जाती है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल दिनांक 4-5-2000 को पुनः 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 3 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

कुष्ठ नियंत्रण इकाई जौनपुर से सम्बन्धित कर्मचारियों की सूचना :—

क्रम संख्या	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदनाम		कार्यरत तिथि	विशेष
1	2	3		4	5
1	डा० ए० के० पी० सिंह	प्र०वि०अ०, कु०नि०ई०		21-6-90	
2	श्री हरिशंकर सिंह	पर्यवेक्षक, कु०नि०ई०		4-4-83	
3	,, गंगाराम गुप्ता	तदैव		28-1-84	मंत्री रा०कु० चि० कर्म० संघ
4	,, चन्द्रधारी यादव	तदैव		11-7-85	
5	,, राजेश यादव	तदैव		26-8-96	
6	,, चन्द्रभान वर्मा	फिजियोथिरेपिस्ट		29-8-77	
7	,, रूदल यादव	कु०नि० ई० मुफ्तीगंज एन० एम० ए०		3-12-81	
8	,, दुबे	केराकत	,,	15-7-82	
9	,, शिवशंकर वर्मा	सुजानगंज	,,	19-7-82	
10	,, नागू सिंह	मछलीशहर	,,	6-8-82	
11	,, ओम प्रकाश सिंह	डोभी	,,	21-6-83	
12	,, अशोक कुमार यादव	सिकरारा	,,	22-8-83	
13	,, बल्क नाथ शर्मा	मुगराबादशाहपुर	,,	1-12-83	
14	,, सुरेन्द्र नाथ	मडियाहूं	,,	9-8-83	
15	,, दशरथ प्रजापति	करंजाकला	,,	27-12-83	
16	,, मूलचन्द्र	सिकरारा	,,	22-8-87	
17	,, अमित कुमार उपाध्याय	बक्सा	,,	30-11-87	अध्यक्ष रा०कु०नि० कर्म० संघ
18	,, चन्द्रभान सिंह	धर्मापुर	,,	24-11-87	
19	,, रामप्रताप सिंह	रामनगर	,,	16-7-84	
20	,, विनोद कुमार मिश्र	महाराजगंज	,,	1-9-89	
21	,, कमला यादव	जलालपुर	,,	13-7-90	
22	,, चन्द्रबली यादव	जलालपुर	,,	7-9-92	

उत्तर प्रदेश गजट

1	2	3	4	5
23	श्री वि ग्री राम	धर्मापुर	,,	19-8-92
24	,, जय प्रकाश त्रिपाठी	सोइथाकला	,,	3-8-91
25	.. बी० एल० गुप्ता	खुटहन	,,	13-7-93
26	,, रमेश चन्द्र गौड़	केराकत	,,	2-7-93
27	,, हबीबुल्ला	स्वक्षक		1-9-75
28	.. लालजी	चपरासी		-12-84
29	,, जायन्त्री प्रसाद	वार्डब्वाय		7-8-92
30	,, विनोद कुमार मिश्र	तदैव		26-7-88
31	,, अनवर अली	स्वक्षक		6-10-90
32	,, मो० जमील	तदैव		2-4-87

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 282 विधान सभा (607)–2000–813 (डी०टी०पी०) ।